खण्ड-197, अंक-2
मंगलवार, 4 भाद्रपद, शक संवत् 1880
(26 अगस्त, 1958 ई0)

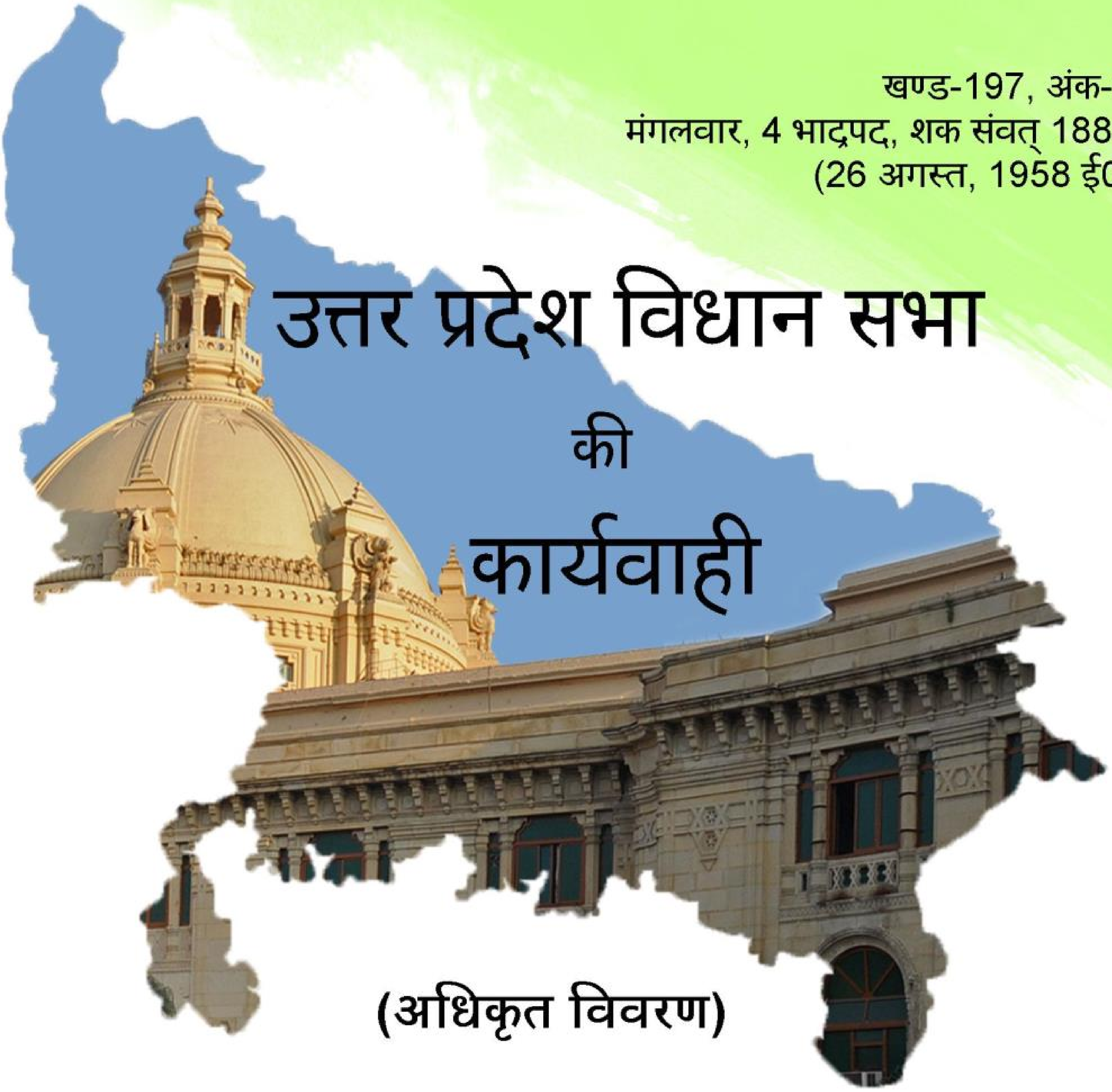

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 197 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २६ अगस्त, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७०

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज़ इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अलीजर्रार जाफ़री, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री

राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री

श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रसोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २६ अगस्त, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नाविक जल मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश की मांगें

**१—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री को "नाविक जल मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश" की ओर से जिसका प्रधान कार्यालय दोहरीघाट आजमगढ़ है ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि १० अगस्त तक उनकी कतिपय मांगें न पूरी होने पर वे राज्य-व्यापी हड़ताल १५ अगस्त से करेंगे ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—जी हां ।

**२—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनकी मांगें क्या हैं और सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—संघ की मांगें तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रखा हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २११–२१२ पर)

श्री झारखंडेराय—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जो है वह नाविक जल मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश के विषय में है और जो जवाब मिला है वह करीब करीब जौनपुर से सम्बन्ध रखता है, तो यह जौनपुर से जो मांगें आई थीं उन से यह उत्तर सम्बन्धित है या पूरे प्रदेश के नाविक जल मजदूरों के बारे में है ?

श्री गिरधारीलाल—यह तो पूरे प्रान्त भर के जो नाविक जल मजदूर हैं उनके सिलसिले में सन् ५६ में एक मांग आयी थी उसी का जवाब दिया गया है जिसका हेड क्वार्टर दोहरीघाट में है।

श्री झारखंडेराय--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सब से बाद में करीब दो सप्ताह पहले कोई प्रार्थना-पत्र, नाविक मजदूर संघ की ओर से प्राप्त हुआ था जिसमें २ मांगें रखी गई थीं कि एक तो लाइसेंस प्रणाली रखी जाय और दूसरे उनके साथ वही बर्ताव किया जाय जैसी हरिजनों को सुविधा आदि दी जाती हैं ?

श्री गिरधारीलाल--ऐसी मांगें तो नहीं रखी गई थीं, लेकिन १३ तारीख का एक छपा हुआ नोटिस जरूर मैंने देखा, उसमें यह दोनों मांगें थीं जिनका माननीय सदस्य ने जिक्र किया। एक प्रश्न और पहले उठा था जिसके बारे में मैंने बताया था कि उसका बहुत कुछ सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है, लाइसेंस आदि का क्षेत्र उन्हीं का है। जैसा मैंने पहले कहा था गंगा ब्रह्मपुत्र वाटर ट्रान्सपोर्ट बोर्ड केन्द्रीय सरकार का है, हम चाहते हैं कि यह सब मसले उसके सामने आयें। इस रेफरेन्स में यह भी बता दूं कि सितम्बर में वह आने वाले हैं उस वक्त यह मामले उन के सामने आ जायेंगे। दूसरी मल्लाहों की मांग यह है कि उनको भी वही सहूलियतें दी जायं जो शिड्यूल क्लास को दी जाती हैं लेकिन वह लिस्ट केन्द्रीय सरकार ने कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत बनाई है उसको हम घटा- बढ़ा नहीं सकते, हम तो केवल उनकी परिस्थिति को देखकर केन्द्रीय सरकार से सिफारिश कर सकते हैं।

श्री झारखंडेराय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह हड़ताल कहां-कहां पर हुई थी और उसमें कितनी गिरफ्तारियां सरकार की ओर से और अधिकारियों की ओर से हुई थीं ?

श्री गिरधारीलाल--इसकी कोई इत्तला नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--क्या यह सही है कि दोहरी घाट और बड़हलगंज में हड़ताल करने पर सरकार की ओर से लाठीचार्ज हुआ था और ५२ आदमी गिरफ्तार किये गये थे ?

श्री गिरधारीलाल--सरकारी तौर से तो कोई ऐसी इत्तला नहीं आई, लेकिन मैंने सुना है कि वहां कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५६ में उनका एक शिष्टमंडल सरकार से मिला था और उसने सरकार से यह मांग की थी कि सरकारी घाटों की नीलाम की पद्धति बन्द करके लाइसेंस पद्धति चलाई जाय ? यदि हां, तो उस पर मंत्री जी ने क्या विचार किया और क्या कदम उठाया ?

श्री गिरधारीलाल--वास्तव में जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है वह अधिकतर इस राय की नहीं है कि ठेकों को हटाकर लाइसेंस पद्धति चालू करें।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनके उत्तर में जो संख्या ५ है, उसमें लिखा है कि "जिलाधीश जौनपुर को इस मांग पर आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है", क्या वह कृपा कर बतायेंगे कि जिलाधीश ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री गिरधारीलाल--इसके लिये मुझे नोटिस की जरूरत होगी।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर में जो पहले नम्बर का उत्तर है, उसमें लिखा हुआ है कि "सरकार का निश्चय जिलाधीश को सूचित किया गया", तो क्या वह बतायग कि सरकार का क्या निश्चय था जिसकी सूचना जिलाधीश को दी गयी ?

श्री गिरधारीलाल--जैसा मैंने कहा, उसको नामंजूर किया गया।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिला पंचायत अधिकारी के विचाराधीन श्री शिवपूजन राय पंचायत लिपिक का प्रार्थना-पत्र

*१—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय में १-१-५६ से लेकर ३०-४-५८ तक कितने और किन-किन पंचायत मंत्रियों एवं पंचायत लिपिकों के निम्नलिखित विषयों के प्रार्थना-पत्र, अपील, प्रतिनिधित्व (Representation) विचाराधीन हैं :

(क) नियुक्ति अथवा सेवा समाप्ति के विरुद्ध पुर्नविचार हेतु प्रार्थना-पत्र एवं अपील,

(ख) पदोन्नति अथवा पदच्युत के विरुद्ध पुर्नविचार के लिये प्रार्थना-पत्र व अपील,

(ग) स्थायीकरण के विरुद्ध पुर्नविचार एवं अपील ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—आजमगढ़ जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय में १ जनवरी, १९५६ से लेकर ३० अप्रैल, १९५८ तक की अवधि में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों, अपीलों, प्रतिनिधित्वों में से केवल एक प्रतिनिधित्व (Representation) श्री शिवपूजन राय, पंचायत लिपिक, का जो स्थायीकरण न किये जाने के विरुद्ध है, विचाराधीन है।

*२—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त विषयों को निर्णय करने कोई निश्चित अवधि सरकार द्वारा निर्धारित रहती है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसकी सूचना निम्नलिखित है :—

श्री शिवपूजनराय, पंचायत लिपिक का स्थायीकरण के विरुद्ध प्रतिनिधित्व २८ मार्च, १९५८ को प्राप्त हुआ था। इस विषय में अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन), देवरिया से लिखा-पढ़ी की जा रही है।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त प्रार्थना-पत्र कितने दिनों तक जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय में पड़े रहे और कब वह जिलाधीश, आजमगढ़ के पास निर्णय के लिये भेजे गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्री शिवपूजन राय का १८ मार्च, १९५८ को प्राप्त हुआ है और जिसमें निर्णय हो चुका है वह १० जुलाई को हो चुका है।

श्री मुक्तिनाथ राय—मान्यवर, मैंने यह पूछा है कि सिवाय इस प्रार्थना-पत्र के कइ प्रार्थना-पत्र रिकमेंडेशन के लिये, अपील के लिये और स्थायीकरण के लिये दिये, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय में कितने दिनों तक रहे और पुनः वह जिलाधीश के पास कब भेजे गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—तिथियों की जानकारी के लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी आजमगढ़ जिला पंचाय अधिकारी के कार्यालय में उपरोक्त समय की अवधि में प्राप्त कितने प्रार्थना-पत्र और अपील कब-कब निर्धारित किये गये, इसको सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमान् जी, यह तो ब्योरे का सवाल है। अगर किसी विशेष पदाधिकारी के बारे में लिखकर दगे तो उसकी सूचना मंगा ली जायगी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत रूल्स, शेड्यूल नम्बर ५ के परा ७ में जो नियम सरकार द्वारा समय निर्धारण के लिये रखे गये हैं, वह सही हैं या "जी नहीं" का उत्तर सही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—अपील के लिये समय होता है, रिप्रेजेंटेशन के लिये किसी नियम में समय नहीं होता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि उनका रेप्रेजेंटेशन खारिज कर दिया गया और उन्हें सूचना तक नहीं दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा नहीं होता है। जिसका रिप्रेजेंटेशन खारिज होता है उसको सूचना दी जाती है।

जाब्ता फौजदारी की दफा १०७/११७ के मुकदमों के निर्णय में विलम्ब की शिकायत

*३—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है कि दफा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के मुकदमें शीघ्र से शीघ्र निपटाने के लिये प्रत्येक जिले में मैजिस्ट्रेट की टोली बनाई जायगी ताकि मौके पर जाकर तुरन्त ऐसे केसों का निर्णय कर दिया जाय ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जी नहीं।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या न्याय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि १०७/११७ के मुकदमों के निपटाने में काफी देर होती है, लोग काफी परेशान होते हैं ? यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जहां तक देर होने का ताल्लुक है, बाज मुकदमों में देर होती है। उसके सिलसिले में वक्तन-फवक्तन आदेश ऐसे जारी किये गये हैं कि मुकदमों को जहां तक जल्दी हो सके फैसल किया जाय।

श्री मुक्तिनाथ राय—ऐसे आदेश कब जारी किये गये और उसमें कहां तक सफलता सरकार को मिली है ?

श्री सैयद अली जहीर—कई बार जारी हो चुके हैं। इस वक्त मेरे पास सूचना तो नहीं है, लेकिन उसमें काफी सफलता भी हुई है।

अल्मोड़ा कर-दाता समिति के नगरपालिका द्वारा लगाये गये करों के सम्बन्ध में सुझाव

*४—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाल में कुछ सुझाव नगर कर दाता समिति अल्मोड़ा के म्युनिसिपल टैक्सों के संबंध में सरकार के पास आये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। अल्मोड़ा करदाता समिति ने सुझाव दिया था कि अल्मोड़ा नगरपालिका ने १९५७ में हाउस टैक्स के लिए जो assessment list बनाई थी उसी के अनुसार जल-कर वसूल करना चाहिए और जल-कर के लिए दूसरी list न बनाई जाए।

*५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त सुझाव के मानने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—चूंकि मामले का सम्बन्ध सरकार से नहीं था इसलिए उक्त सुझाव जिलाधीश, अल्मोड़ा के आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। इसकी सूचना कर-दाता, समिति अल्मोड़ा को भी दे दी गई थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनकी सूचना के अनुसार जिलाधीश अल्मोड़ा ने इस आवेदन-पत्र पर क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिस समय यह भेजी गई थी उस समय जिलाधीश ऐडमिनिस्ट्रेटर थे । अब चुनाव हो चुका है और संबंधित नगरपालिका के विचार में होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय जिलाधीश अल्मोड़ा ऐडमिनिस्ट्रेटर थ उस समय उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, जो उनकी आपत्ति थी उसको उन्होंने मानकर यह मुनासिब समझा कि दुबारा असेसमेंट हो जाय क्योंकि हाउस टक्स केवल मकान पर होता है और वाटर टैक्स दोनों पर होता है । इसलिये तब्दीली हुई और जो लिस्ट बनाई गई थी वह ठीक समझी गई ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हाउस टैक्स के बारे में जो निश्चय हुआ है वह रेंटल वैल्यू के आधार पर हुआ है या एकोमोडेशन के आधार पर हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव—संबंधित नगरपालिका के रेगुलेशन के मुताबिक जो रेट्स हैं उनके अनुसार लगाया था ।

*६-७—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—[हटा दिये गये ।]

झांसी वाटर वर्क्स सम्मिलित योजना कार्यान्वित न हो सकना

*८—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री २६ दिसम्बर, १९५७ के अल्पसूचित प्रश्न संख्या ७-८ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी वाटर वर्क्स की सम्मिलित योजना को कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा उसमें अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—केन्द्रीय सरकार के रक्षा तथा रेलवे मंत्रालयों को इस योजना में भाग लेने के लिये लिखा गया था । रक्षा मन्त्रालय ने इस सम्मिलित योजना में भाग लेने तथा अपना कन्ट्रीब्यूशन देने की इच्छा प्रकट की है । रेलवे मंत्रालय से असंतोष-जनक उत्तर प्राप्त होने के कारण उन्हें पुनः इस योजना में भाग लेने के लिए लिखा जा रहा है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रेलवे मंत्रालय के उत्तर में कौन-सी बात है जिसे वह असंतोषजनक समझते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—रेलवे मंत्रालय ने यह उत्तर भेजा है कि ९.६ लाख रुपया लगाकर पानी में वृद्धि करने की योजना है, उसे वह चलायेंगे इसके अतिरिक्त ३ लाख गैलन पानी की कमी पड़ेगी उसके लिये वह कहते हैं कि हम नई योजना बना रहे हैं उसमें सम्मिलित हो सकते हैं । सरकार की राय ऐसी है कि बजाय इसके कि ९ लाख रुपया अलग खर्च करें इसी योजना में लगायें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी योजना के महत्व को देखते हुये रेलवे मिनिस्टर से मिलने का कष्ट करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—रेलवे मिनिस्ट्री को दुबारा लिखा गया और यह लिखा गया है कि....

श्री अध्यक्ष—उनका प्रश्न है कि क्या स्वयं आप रेलवे मिनिस्टर से मिलकर बात करने के लिये तैयार हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, यह किया जा रहा है कि पहले एक्सपर्ट्स से मिलें फिर अगर जरूरत होगी तो रेलवे मिनिस्टर से मिला जायगा। लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं क्योंकि शायद फिर प्रश्न उठेंगे। अगर उन्होंने इसको स्वीकार भी कर लिया तो यह देखने की जरूरत होगी कि हमारे पास इतना पैसा है या नहीं। इसके अलावा झांसी के लोग जो कर उन पर लगेगा उसको अदा कर सकेंगे या नहीं। यह भी देखने की बात है और इसी बिना पर उनके स्वीकार कर लेने पर भी सारी स्कीम फेल हो सकती है।

*९—श्री लक्ष्मणराव कदम—[हटा दिया गया।]

*१०—श्री लक्ष्मणराव कदम—[२८ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया

*११-१२—श्री देवकीनन्दन विभव—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण २ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या २३-२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर, कानपुर के पास सीमेंट में मिट्टी मिलाने का मामला

*१३—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जुलाई, १९५८ के अन्तिम सप्ताह में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर, कानपुर ने कोई ऐसा मामला पकड़ा है, जिसका सम्बन्ध सीमेंट में मिट्टी मिलाने से है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। एक ऐसा मामला पकड़ा है जिसमें विश्वास किया जाता है कि सीमेंट में मिट्टी मिलाने का कार्य भी किया जाता था।

*१४—श्री भगवतीसिंह विशारद (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या न्याय मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मामले में सरकार की ओर से अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सैयद अली जहीर—पकड़े गये व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

*१५—श्री भगवतीसिंह विशारद (अनुपस्थित)—क्या न्याय मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सीमेंट में मिट्टी की मिलावट रोकने के लिये कोई विशेष व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—सीमेंट में मिट्टी की मिलावट को रोकने के संबंध में कानपुर के जिलाधीश ने सप्लाई विभाग तथा वहां की पुलिस को अधिक सतर्कता बरतने के लिये आदेश दे दिये हैं क्योंकि इस संबंध में ऐसा विचार किया जाता है कि कोई कानूनी कार्यवाही उत्तर प्रदेश सीमेंट नियंत्रण आज्ञा, १९५५ के अन्तर्गत नहीं की जा सकती।

जिला बोर्ड, अल्मोड़ा के सम्बन्ध में मांगी गयी रिपोर्ट न मिलना

*१६—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के गत सत्र में उन्होंने प्रश्नकर्त्ता की मौखिक तथा लिखित प्रार्थना पर जिला बोर्ड, अल्मोड़ा की बाबत जिलाधीश व प्रशासनाधिकारी

से कोई रिपोर्ट मांगी थी ? अगर हां, तो क्या वे कृपया उस रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रक्खेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, रिपोर्ट मंगाई गई थी। अभी मामले में और जांच-पड़ताल की आवश्यकता है। रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना लोकहित (public interest) में नहीं होगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मेरी शिकायत पर कि जीप का दुरुपयोग हुआ है सरकार को पता लगा है कि जीप की कोई लाग बुक नहीं रखी गयी थी और उसकी मरम्मत काठगोदाम के नजदीक के स्थानों पर न हो कर यहां लखनऊ में करायी जाती थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसमें मैंने निवेदन किया है पब्लिक इंटरेस्ट में न होगा कि उस रिपोर्ट के बारे में मैं निवेदन करूं। जैसी कि उन्होंने शिकायत की थी उसकी जांच हो रही है अभी और वह सरकार के विचाराधीन है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार यह बतायेगी कि उस रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है डाक बंगले में अगस्त, सितम्बर, और अक्तूबर, १९५७ में जितने लोग जा कर ठहरे उनके चार्जेज सारे राइट आफ किये गये जब कि बोर्ड को राइट आफ करने का अधिकार नहीं था ?

श्री रामस्वरूप यादव—शिकायत तो इस विषय में हुई थी। जहां तक रिपोर्ट का सम्बन्ध है उस पर तो विचार हो रहा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस रिपोर्ट में यह बात भी है कि ८५ रुपये मन का एक टेंडर मंजूर किया गया लेकिन बाद में उस टेंडर को १०० रुपये मन करा लिया गया और १०० रुपये मन का टेंडर मंजूर करके हजार रुपये से ज्यादा का नुकसान बोर्ड को पहुंचाया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुल विषय पर जानकारी की जा रही है। इस समय उसक ऊपर ज्यादा कहना उचित न होगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, एक .....

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि जब इन्क्वायरी में है और वह यह समझते हैं कि अभी उसका बताना सार्वजनिक हित में नहीं है तो फिर बार-बार पूछने से क्या लाभ ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर के तरीके पर तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्रीमन्, जो यह प्रश्न का उत्तर दिया गया इसके दो हिस्से हैं। एक तरफ कहा गया है कि जांच-पड़ताल हो रही है और दूसरी तरफ कहा गया है कि रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना लोकहित में नहीं है। तो इस प्रकार दो परस्पर विरोधी बातें कहना कि एक तरफ जांच हो रही है और दूसरी तरफ यह कहना कि रिपोर्ट रखना ही लोकहित में नहीं है, कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष—उत्तरों के बारे में मैं सरकार से यह नहीं कह सकता कि किस तरह का उत्तर दिया जाय। लेकिन जो उनका आशय है वह तो आपकी समझ में आ ही गया कि जब तक जांच हो रही है तब तक वह उचित नहीं समझते हैं कि बहुत सी संबंधित बातों पर बहस हो।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—प्वाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। आप अब कृपा करके बैठें।

बाराबंकी जिले में रामनगर व बदोसराय परगने के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में सस्ते अनाज की दूकानें खोलने की मांग

*१७—श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या न्याय मन्त्री जिला बाराबंकी के परगना रामनगर और बदोसराय के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रान्तर्गत सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—बाराबंकी जिले के बाढ़पीड़ित क्षेत्र में फिलहाल ४ सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने के आदेश दे दिये गये हैं। यदि आवश्यकता समझी जायगी तो और दूकानें खोलने की व्यवस्था की जायगी।

श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल—क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में किस-किस स्थान पर और कितनी-कितनी दूकानें खोलने के आदेश दिये गये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसकी तो इस समय सूचना नहीं है कि वह कहां हैं, लेकिन यहां से ५ दूकानें बाराबंकी कस्बे के लिए थीं और अब ४ बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में हैं।

श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी रामनगर, बदोसराय गणेशपुर और किन्तूर में सस्ते गल्ले की दूकानें महंगाई को देखते हुए खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—सूरत यह है कि ४ दूकानों की इजाजत जिलाधीश को दे दी गयी है। जहां-जहां वह जरूरी समझेंगे वह दूकानें खोली जायंगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़पीड़ित क्षेत्र में जो चार दूकानें खुली हुई हैं उनको प्रति दिन प्रति दूकान कितना गल्ला दिया जाता है ?

श्री सैदय अली जहीर—जहां तक मुझे खयाल है २५ मन फी दूकान दिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ४ दूकानें खोलने का आदेश कब गया है और क्या यह सही है कि इस वक्त १५ मन ही फी दूकान बेचने का आदेश है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, अब तो यह आदेश जा चुका है कि २५ मन गल्ला फी दूकान पर बेचा जाय।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बहरामघाट के बाढ़पीड़ित क्षेत्र में पारसाल जो दुकानें खोली गई थीं वह इस साल बन्द कर दी गई हैं।

श्री सैयद अली जहीर—मुझे किसी खास जगह की इत्तला तो नहीं है लेकिन, अगर कहीं जरूरत उसकी होगी तो वहां पर खोल दी जायगी।

*१८-२०—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—[९ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

शाहजहांपुर नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप

[*२१—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या शाहजहांपुर नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध गम्भीर आरोप पालिका के ३५ में से १९ सदस्यों ने लगाकर सरकार की सेवा में भेजे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां ।

*२२--श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक उन आवेदन-पत्रों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार ने अध्यक्ष, नगरपालिका, शाहजहांपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर जिला अधिकारियों द्वारा जांच करवाई थी । जांच पूरी हो गई है और जांच की रिपोर्ट भी शासन को प्राप्त हो चुकी है। मामला अब शासन के विचाराधीन है ।

* २३--श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अब तक पालिका का इस वित्तीय वर्ष का बजट स्वीकार नहीं हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां ।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नगर-पालिका, शाहजहांपुर के अध्यक्ष के विरुद्ध मुख्य गम्भीर आरोप क्या है ? क्या उन आरोपों में धन के दुरुपयोग का भी आरोप है ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, धन का अपव्यय, दुर्व्यवस्था और पक्षपात आदि के आरोप हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला-धिकारियों ने जो जांच की रिपोर्ट सरकार को दी है उसमें वह आरोप सत्य बतलाये गये हैं अथवा निराधार बतलाये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ आरोप उन्होंने विचार करके लिखे हैं कि नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध चार्जशीट लगाई जाय । वह चार्ज-शीट का विषय सरकार के विचाराधीन है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका का जो इस वर्ष का बजट स्वीकार अभी तक नहीं हो सका है और उसका सारा काम रुका हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते हुये जब तक रिपोर्ट पर विचार न हो सरकार कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार तो जो म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत अधिकार हैं उनके अनुसार ही काम करती है । सरकार का इरादा है कि चार्जशीट के बारे में जल्दी निर्णय करे जिससे काम हो सके । जहां तक जरूरी इन्तजाम की बात है उसके लिये जिलाधीश को अधिकार है । जो जरूरी व्यय नगरपालिका के लिये किये जा सकते हैं उनको जिलाधीश कर रहे हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बतलायेगी कि जिलाधीश ने जो रिपोर्ट सही ठहराई है वह क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस वक्त यह नहीं कहा जा सकता कि कौन से आरोप सही हैं । इस वक्त चार्जशीट लगाने के लिये जो प्रिलीमिनरी इन्क्वायरी होती है उसके आधार पर जिलाधीश ने यह मुनासिब समझा है कि यह चार्जशीट लगाई जाय । सही तब मानी जायगी जब जांच होने पर जिलाधीश यह लिख दे कि यह चार्ज सही है ।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस चार्जशीट के लगाने में और नगरपालिका, अध्यक्ष से उत्तर लेने में सरकार कितना समय लेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार सिर्फ जरूरी समय ही लेगी ।

*२४--श्री मोतीलाल अवस्थी -(जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--[स्थगित किया गया ।]

*२५--श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)--[हटा दिया गया ।]

*२६-२७--श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)--[२५ अगस्त, १९५८ को प्रश्न संख्या ९७-९८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*२८-३०--श्री नारायणदत्त तिवारी--[माननीय सदस्य के तीन प्रश्न से अधिक होने के कारण ९ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ६-८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

नगरपालिका, बस्ती का कार्यालय बनवाने के लिये ऋण की मांग

*३१--श्री रामलाल (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका, जिला बस्ती ने नगरपालिका का कार्यालय बनाने के लिये सरकार से सन् १९५८ ई० में कर्जे की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां । नगरपालिका, बस्ती ने यह प्रार्थना की थी कि उसे अपने कार्यालय के बनाने के लिए एक लाख रुपयों का अनुदान या ऋण दिया जाय । फिर ५०,००० रुपयों के अनुदान व ऋण के बारे में प्रार्थना आई । दोनों प्रार्थनायें अस्वीकार हुईं ।

श्री रामलाल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दोनों मांगें क्यों अस्वीकृत हुईं ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार के इस वर्ष के बजट में ऐसा कोई रुपया नहीं है, जो कि कार्यालय के भवन बनाने के लिये अनुदान या ऋण के रूप में दिया जा सके ।

श्री रामलाल--क्या माननीय मंत्री जी अगले बजट में ऋण देने के विषय पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस समय तो यह प्रश्न नहीं है, लेकिन एक आम उसूल की बात है कि कार्यालय के भवन के लिये सरकार को रुपया देना चाहिये या नहीं देना चाहिये, यह तय करना । अभी तक राय यह है कि भवन के निर्माण के लिये रुपया नहीं देना चाहिये ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष १९५७ में नगरपालिका को निर्माण के संबंध में कोई अनुदान दिया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, सदस्य महोदय किसी विशेष हेड के बारे में बतलायें तो मैं बतला सकता हूं । वैसे नगरपालिका को सड़कें आदि बनाने के लिये अनुदान दिये जाते हैं ।

श्री उग्रसेन--मेरा मतलब भवन से है ।

श्री रामस्वरूप यादव--कार्यालय के भवन के लिये कोई रुपया नहीं दिया गया ।

पंचायत विभाग, जिला बस्ती के हरिजन कर्मचारी

*३२—श्री रामलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के पंचायत विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं तथा किन-किन पदों पर और उनमें से कितने पदों पर कितने हरिजन हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिला बस्ती के पंचायत विभाग में कुल ४२२ कर्मचारी हैं जिसमें से २१ हरिजन हैं। इनका विवरण निम्नलिखित है :

पद	कर्मचारियों की कुल संख्या	हरिजन कर्मचारियों की संख्या
सहायक जिला पंचायत अधिकारी	१	१
पंचायत निरीक्षक	१६	..
पंचायत लिपिक	१६	२
पंचायत चपरासी ..	१७	६
पंचायत मंत्री ..	३७२	१७

श्री रामलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजन कर्मचारियों की संख्या उनके अनुपात से न होने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—पंचायत निरीक्षक और पंचायत मंत्रियों का चुनाव १९५० से पहले हुआ था। सन् १९५० में सरकार की ओर से ऐसे आदेश हुए थे जिसके अनुसार परिगणित जातियों के लिये सीटें सुरक्षित कर दी गयी थीं। यह चुनाव १९४९ में हुए और उस समय कोई निर्धारित संख्या का प्रश्न नहीं था इस वजह से उनकी नियुक्ति इसमें कम हो सकी।

गोरखपुर जिले में रोहिन नदी पर मानीराम के पुल की अनुमानित लागत

*३३—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में रोहिन नदी पर मानीराम के पुल पर कितना रुपया खर्च होने का अनुमान है ? यह पुल कब से बनना शुरू हुआ है और कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—कथित पुल पर ८,७४,००० रुपये व्यय होने का अनुमान है।

द्वितीय भाग—पुल का निर्माण-कार्य फरवरी, १९५७ में आरम्भ हुआ था तथा सितम्बर, १९५८ तक कार्य पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुल निर्माण होने से पूर्व जो एस्टीमेट बना, वह कितना था ?

श्री गिरधारीलाल—वह ६,००,००० रुपये का था।

श्री केशव पांडेय—यह १,७५,००० रुपये बढ़ने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—कारण तो कई हैं। जिस वक्त पहला एस्टीमेट बनता है वह रफ एस्टीमेट अंदाजे से बना दिया जाया करता है। दूसरे आजकल महंगाई बढ़ती जाती है। ३, ४ साल हुए यह एस्टीमेट बना था, उस वक्त से लेकर आज तक काफी महंगाई हुई है। जैसा मैंने बतलाया, जिस वक्त डिटेल्ड एस्टीमेट वर्क आउट किया गया उस वक्त इतनी लागत आकर पड़ती है।

श्री केशव पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पुल के नीचे जो सड़क बनी है उसमें कुल कितनी जमीन ली गयी है ?

श्री गिरधारीलाल—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो महंगाई बढ़ी है वह मजदूरी में बढ़ी है या सीमेंट वगैरह के दाम में बढ़ी है ?

श्री गिरधारीलाल—महंगाई तो करीब-करीब सभी चीजों में बढ़ी है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी के विभाग में कोई इस तरह का नियम है कि रफ एस्टीमेट के बाद डिटेल्ड एस्टीमेट जो बनाया जाय उसमें १० प्रतिशत से अधिक की वृद्धि न की जाय ?

श्री गिरधारीलाल—हां, साधारण तौर पर यह बात है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—इस पुल का क्या किसी को ठेका दिया गया है या सरकार स्वतः अपनी देख-रेख में इसे बनवा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—मेरे खयाल से ठेके से बनाया गया है ।

*३४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[२७ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३५—श्री दशरथ प्रसाद (जिला गोंडा)—[९ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३६-३७—श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—[९ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

गाजीपुर जिले में कासिमाबाद-मऊ सड़क तथा भैंसही नदी के पुल की निर्माण योजना

*३८—श्री रघुवीरराम—(जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में कासिमाबाद से बहादुरगंज होती हुई मऊ को जाने वाली सड़क के बनवाने के लिये सरकार ने कितना रुपया स्वीकार किया है और उक्त सड़क के कब तक पूरी बन जाने की आशा है ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क का निर्माण २,५२,००० रुपया की लागत पर स्वीकृत किया गया है तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में ही इसके बन जाने की आशा है ।

*३९—श्री रघुवीरराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सड़क पर भैंसही नदी पर पुल बनवाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां ।

*४०—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—[हटा दिया गया ।]

*४१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[हटा दिया गया ।]

बलिया जिले में सिकन्दरपुर-कुतुबगंज घाट सड़क को पक्की करने की आवश्यकता

*४२—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार बलिया जिले के अन्तर्गत सिकन्दरपुर से कुतुबगंज घाट तक जो सड़क बाढ़ विभाग द्वारा पिछले साल ऊंची की गई है उसे पक्की कराने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या मंत्री महोदय पक्की न कराने का कारण बताते हुये भविष्य में पक्की कराने पर विचार करेंगे?

श्री गिरधारीलाल—कारण साफ है कि धन की कमी है। जिस वक्त इतना धन उपलब्ध होगा उस वक्त विचार भी किया जा सकेगा।

*४३—श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—[हटा दिया गया।]

*४४—श्री मोतीलाल अवस्थी (अनुपस्थित)—[९ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*४५—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—[३ सितम्बर, १९५८ में प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गल्ला जखीराबाजों के खिलाफ कार्रवाई

*४६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि मई, १९५८ से ३१ जुलाई, १९५८ तक गल्ले के होर्डरों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्रवाइयां की गईं—

(१) चावल और दाल की होर्डिंग (अनुचित प्रयोग के हेतु इकट्ठा करना) रोकने के विचार से केन्द्रीय सरकार ने मई, १९५८ से एसन्शल कमोडिटीज़ ऐक्ट की उपधारा ३—ए को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया।

(२) ७ जून, १९५८ से केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त उपधारा को गेहूं के मामले में भी उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया इसके साथ ही साथ केन्द्रीय सरकार ने गेहूं के होर्डरों से उनका स्टाक जब्त करने का अधिकार भी रीजनल फूड कन्ट्रोलर्स तथा प्रान्तीय सरकार को दे दिया। इन अधिकारों का प्रयोग करके प्रान्तीय सरकार ने कई फ्लावर रोलर मिल्स का गल्ला जब्त कर लिया है।

(३) रीजनल फूड कन्ट्रोलर्स को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह गल्ला होर्डर लाइसेन्सीज के स्टाक का निरीक्षण करें और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने खाद्य सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन किया हो विशेष रूप से जिन्होंने अपने गल्ले का गलत ब्यौरा (return) दिया हो के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

(४) इस प्रकार के भी निर्देश जारी किये गये हैं कि बड़े व्यापारी जो कि बड़ी मात्रा में गल्ले को दबाये हुये हों या जिसके सम्बन्ध में ऐसी आशंका हो, के स्टाक की जांच की जावे और सरकार को ऐसे व्यापारियों की सूचना दी जावे ताकि उनके गल्ले को जब्त करने के उचित आदेश जारी किये जा सकें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—चावल और दाल की होर्डिंग के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने जो ऐक्ट उत्तर प्रदेश में लागू किया है उसके अनुसार क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसे होर्डर्स की कोई इत्तला नहीं मिली, इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गई?।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—कितनी फ्लावर रोलर मिल्स का गल्ला जब्त किया गया और कब-कब किया गया?

श्री सैयद अली जहीर—५ का किया गया, गैन्जेज फ्लावर मिल, कानपुर, वेंकटेश्वर फ्लावर मिल, लखनऊ, आगरा फ्लावर मिल, आगरा, छीतरमल रामदयाल फ्लावर मिल, आगरा, अन्नपूर्णा राइस ऐण्ड फ्लावर मिल, वाराणसी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या रीजनल फूड कन्ट्रोलर्स ने निरीक्षण के बाद कोई रिपोर्ट सरकार को दी और कोई कार्यवाही उस पर हुई ?

श्री सैयद अली जहीर—इस किस्म की रिपोर्ट तो उनके पास आया करती है कि लोगों के पास कितना-कितना स्टाक है। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि कहीं पर यह पता नहीं चला कि किसके पास कानून से ज्यादा माल है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि होर्डर्स का पता लगाने के लिये प्रान्त भर में उसने कोई कदम उठाया ?

श्री सैयद अली जहीर—सब से बड़ा कदम तो यह है कि बड़े-बड़े स्टाकिस्ट्स को यह आदेश है कि वह हर हफ्ते अपने स्टाक्स की रिपोर्ट सरकार के पास भेजें। उससे हमें मालूम होता रहता है कि कितना माल किसके पास है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सी० आई० डी० के द्वारा भी जांच कराने का सरकार ने कुछ प्रयास किया है कि किन लोगों ने गलत स्टाक डिक्लेयर किया और किन्होंने कितना होर्ड करके रखा है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, इस मामले में सी० आई० डी० की सहायता नहीं ली गई।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—बड़े व्यापारियों के स्टाक की जांच के लिये निर्देश किसको दिया गया है और जिनको दिया गया है क्या उन्होंने अब तक कोई रिपोर्ट भेजी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सैयद अली जहीर—वह तो मैंने बताया कि हमारे आर० एफ० सीज को आर्डर्स हैं कि स्टाक्स को देखें और उसकी जांच करें कि जितना स्टेटमेंट या रिटर्न ह वे सही हैं या गलत हैं और वही लोग रिपोर्ट देते हैं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—अपोजीशन की किसी पार्टी के सदस्य ने क्या सरकार को कभी ऐसी इत्तला दी कि किसी जगह गल्ले की होर्डिंग हो रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, किसी ने नहीं दी।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—जिन फ्लावर मिलों का गल्ला पकड़ा गया वह जब्त किया हुआ गल्ला कहां है और मिल वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही सरकार ने की ?

श्री सैयद अली जहीर—उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही जो की जा सकती थी वह यह है कि जो ३ महीने की ऐवरेज कीमत हो उस पर उनसे माल ले लिया जाय। चुनांचे उस कीमत पर फूड कमिश्नर ने जांच कर तय कर दिया कि इतनी कीमत पर इनका माल लिया जायगा। वह कीमत उनको दे दी जायगी।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री जी को ऐसी सूचना या शिकायत मिली है कि स्टाकिस्ट सरकार को कम सूचना देते हैं और उनके पास अधिक गल्ला जमा है और उसके कारण भी खाद्यान्न के दाम बढ़ते जा रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—इस किस्म की खबरें मशहूर जरूर होती हैं और ऐसे ऐलीगेशन्स भी किये जाते हैं। लेकिन मैंने बहुत से लोगों से कहा कि हमको स्पेसिफिक इत्तला दो, लेकिन कोई नहीं मिली।

श्री झारखंडेराय—क्या ट्रेजरी बेंचेज के किसी माननीय सदस्य ने सरकार को सूचना दी थी कि किसी होर्डर के पास जरूरत से ज्यादा गल्ला जमा है ?

श्री सैयद अली जहीर—हां, कुछ लोगों ने दी जिनकी तहकीकात करने पर वे सही नहीं मालूम हुईं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में कुछ स्टाकिस्ट्स के पास छापे भी मारे गये हैं यह जांच करने के लिये कि उनके पास परमिसिबिल लिमिट से ज्यादा तो गल्ला नहीं है ? यदि हां, तो ऐसे कितने छापे मारे गये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—छापे तो इसलिये नहीं मारे गये कि हमको कोई स्पेसिफिक इत्तला नहीं मिली।

श्री झारखंडेराय—जो भावनायें प्रकट की जा रही हैं क्या उन्हें देखते हुये सरकार स्पेशल सी० आई० डी० के द्वारा जांच कराने के लिये तैयार है ?

श्री सैयद अली जहीर—हां, इस पर विचार किया जायगा।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या जो खबरें ट्रेजरी बेंचेज ने दीं वे निराधार साबित हुईं ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जवाब दिया है कि वे साबित नहीं हुईं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह सूचित करने की कृपा करेंगे कि उनके पास कानपुर से दो तार इस प्रकार के आये थे जिनमें गल्ले की मात्रा अधिक इकट्ठा करने की शिकायत थी ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री सैयद अली जहीर—तार के मुताल्लिक तो याद नहीं। जो ऐसी शिकायतें आती हैं उनको जिलाधीश को भेज दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तहकीकात करके वे कार्यवाही करें।

*४७—श्री मोहनलाल वर्मा—[हटा दिया गया।]

अकबरपुर, जिला फैजाबाद के सरकारी गोदाम में गल्ला सड़ने की शिकायत

*४८—राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद के सरकारी गोदाम का सब गल्ला २७ जुलाई, १९५८ को गोदाम खोलने पर सड़ा हुआ मिला ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं। यह सही नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनके पास कोई इस आशय की शिकायत आयी है कि अकबरपुर में जिस समय गोदाम खोला गया, उसमें काफी सड़ा हुआ गल्ला मिला ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—२७ जुलाई को कोई ऐसी बात नहीं हुई। सब से पहले जब १८ जुलाई को गोदाम खोला गया तब थोड़ा सा गल्ला खराब मिला जिसकी अलहदा कर दिया गया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—उस गोदाम में कितना गल्ला था और उसमें से कितना सड़ा हुआ निकला ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जब १८ जुलाई को गोदाम खोला गया तो ६७ मन ४ सेर गल्ला खराब पाया गया जिसको अलहदा कर दिया गया और नीलाम कर दिया गया। उसके बाद में कुछ थोड़ा-सा गल्ला और खराब निकला, २९ मन के लगभग, उसको अलहदा करके बिक्री कर दी गयी।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या वह सड़ा हुआ गल्ला आदमियों के खाने योग्य नहीं था, लेकिन सरकार ने उसको नीलाम कर दिया और बाजार में फिर वह बेचा गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैंने यह अर्ज किया ६७ मन गल्ला जो खराब निकला था उसको अलहदा करके नीलाम कर दिया गया।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे—क्या सरकार ने इस पर भी विचार किया है कि जो सड़ा हुआ गल्ला था उसकी कंडीशन हाईजीनिकली अनफिट थी, उसको सरकार ने बेचा बजाय इसके कि उसको अलहदा करके फेंक दिया जाता ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जो अलहदा किया जाता है वह तो अलहदा कर दिया जाता है, वह ईश्यू नहीं किया जाता।

श्री अध्यक्ष—पहले आपने जो उत्तर दिया उससे यह भ्रम होता है कि खराब गल्ला अलहदा करके बेंच दिया गया और लोगों ने उसको खाया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, मैंने यह कहा कि वह गल्ला अलहदा कर दिया गया। उसको जानवर भी खा सकते हैं, फेंका भी जा सकता है और उसका खाद भी बनाया जा सकता है, यह जरूरी नहीं है कि उसको आदमी ही खायें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय न्याय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल गल्ला कितना था और जो नीलाम हुआ उसकी कितनी कीमत आयी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसका विवरण इस समय मेरे पास नहीं है।

सिविल कोर्ट, बस्ती की इमारत की मरम्मत न होने पर आपत्ति

*४९—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती के सिविल कोर्ट की इमारत गिर गई है तथा इजलास किसी किराये के मकान पर हो रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, दीवानी अदालत बस्ती की इमारत की खपरैल की छत का कुछ भाग गिर गया है तथा कुछ इजलास किराये के मकान पर हो रहे हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बतायेगी कि इजलास की खपरैल का जो हिस्सा गिर गया था, वह अभी तक गिरा हुआ है ? उसके लिये सरकार ने कितने किराये पर मकान लिया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह २५-३-५५ को गिरा था। उसके बाद एक मकान बार एसोसियेशन की मेन बिल्डिंग का १५० रुपया माहवार पर लिया गया और दूसरा 'कला भवन' के नाम से है जिसको २०० रुपया माहवार पर लिया गया है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—यह देखते हुए कि सरकार ३ वर्ष से ३५० रुपया माहवार किराया देती जा रही है, सरकार ने बिल्डिंग की मरम्मत क्यों नहीं करायी जिससे वह इजलास के लायक हो सके ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके लिये अलहदा रुपया रखा गया था। नयी बिल्डिंग बनना शुरू हो गया था और २ अक्तूबर, ५५ को काम भी प्रारम्भ हो गया था, लेकिन बाद में कुछ चीजों की कमी की वजह से पूरा न हुआ। उनकी नयी मांग हुई कि इतना रुपया और दिया जाय। उस मांग को देखा गया और उसमें कुछ कमी की गयी। अब वह बिल्डिंग बन रही है। यह जो १५० और २०० रुपया किराया दिया जा रहा है, उसमें से भी कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया है और कुछ किराया भी कम कर दिया गया है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो बिल्डिंग्स किराये पर ली गयी थीं वे क्या इस योग्य थीं कि जितना किराया सरकार दे रही है उतना किराया उनका दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—वे यह बात कैसे कह सकते हैं कि वे उतने किराये के योग्य नहीं थीं। यह तो आप मतलब निकाल सकते हैं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस बिल्डिंग को बनाने के लिये कितना धन स्वीकृत किया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—३८,६४५ रुपये और एक दूसरा प्राविजन है १,३४,००० रुपये का, इस प्रकार से दो हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अब बिल्डिंग कब तक तैयार हो जायगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मेरा खयाल है, शीघ्र तैयार हो जायगी।

*५०-५१—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा)—[९ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*५२-५३—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

*५४—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—[हटा दिया गया।]

सारनाथ, जिला वाराणसी के सरकारी आवास गृह के रख-रखाव पर व्यय

*५५—**श्रीमती सज्जनदेवी महनोत** (जिला वाराणसी)—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के सारनाथ में जो सरकारी आवास गृह है उसके रख-रखाव में कितना वार्षिक खर्च होता है ?

श्री गिरधारीलाल—इस आवास गृह के रख-रखाव का औसत वार्षिक व्यय ९,४५० रुपये है।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् ५७ में कितने यात्रियों ने वहां आवास किया ?

श्री गिरधारीलाल—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जितना खर्च सरकार इसमें लगाती है, वह आमदनी से बराबर हो जाता है ?

श्री गिरधारीलाल—आमदनी तो कोई नहीं है, यह एक होस्टल के माफिक है। बुद्ध जयन्ती के अवसर पर सरकार ने इस बिल्डिंग का निर्माण कराया था और उस वक्त से फिर यह आवासगृह की शकल में बदल दिया गया है और इसका रखरखाव सरकार की ओर से होत

है। साधारण तौर पर इधर-उधर के विद्वान् लोग जो वहां पहुंचते हैं, वे इसका इस्तेमाल करते हैं।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत--क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि कोई भी यात्री वहां नहीं ठहरता है ?

श्री गिरधारीलाल--इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

कुंवर श्रीपाल सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ९,४५० रुपये किन-किन चीजों पर खर्च होते हैं ?

श्री गिरधारीलाल--वहां पर चौकीदार है, माली है, बिजली है, उसका मेंटिनेंस है, मरम्मत है, सैनिटरी फिटिंग्स हैं, इन सब कामों में यह खर्च किया जाता है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी माननीया सदस्या के प्रश्न को ही सूचना समझ कर यह जांच करवायेंगे कि वहां कोई ठहरा था या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल--नोटिस मिलने पर जरूर इसकी जानकारी करायी जायगी।

कानपुर में सस्ते अनाज की दूकानें खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र

*५६--**श्री मोतीलाल अवस्थी** (अनुपस्थित)--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, १९५८ में कानपुर में Fair Price दुकानें खोलने के सम्बन्ध में कितने प्रार्थना-पत्र जिला पूर्ति अधिकारी को प्राप्त हुये ?

श्री सैयद अली जहीर--कानपुर जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने के सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में जून मास में निर्धारित तिथि तक कुल १३२० प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे।

*५७--**श्री मोतीलाल अवस्थी** (अनुपस्थित)--उपर्युक्त Fair Price दूकानों के चुनाव में किस नीति का अनुसरण किया गया तथा उस चुनाव का आधार क्या रखा गया है ?

श्री सैयद अली जहीर--जिला पूर्ति अधिकारी ने निर्धारित फार्म पर २१-६-५८ को १.३० बजे अपरान्ह तक आवेदन-पत्र मांगे थे। जो प्रार्थना-पत्र उस समय तक उनके कार्यालय में पहुंच गये उन पर एक समिति द्वारा विचार किया गया और उस समिति ने मुहल्लों की आवश्यकतानुसार तथा प्रकाशित शर्तों के अन्तर्गत प्रार्थियों की मैरिट्स पर विचार किया। संक्षेप में चुनाव का आधार केवल यही था कि प्रार्थी समुचित रूप से दूकान चलाने में समर्थ हो तथा दूकानों से संबंधित नियमों का पूर्णरूप से पालन कर सके।

बरेली जिले में सखा और देरौनिया नदियों पर पुलों की आवश्यकता

*५८--**श्री मुहम्मद हुसैन** (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह शहर बरेली के मु० हुसेन बाग से जो रास्ता कस्बा आंवला होता हुआ चन्दौसी नगर को जाता है और उस पर जो दो नदियां सखा और देरौनिया ग्राम दौली के समीप पड़ती हैं उन पर पक्के पुल बनाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

रानीखेत-द्वाराहाट मोटर मार्ग में ली गई जमीन का मुआवजा न मिलना

*५९—श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रानीखेत—द्वाराहाट मोटर मार्ग के निर्माण में जिन लोगों की जमीनें ली गई थीं उनको अभी तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल—लैण्ड ऐक्वीजीशन की कार्यवाही पूरी न होने के कारण अभी तक मुआवजा नही दिया जा सका ।

*६०—श्री हरिदत्त काण्डपाल—उक्त मुआवजे को सरकार कब तक अदा करने का विचार कर रही है और मुआविजे की दर क्या होगी ?

श्री गिरधारीलाल—आशा है कि लगभग ६ माह में मुआवजे का वितरण पूरा हो जायेगा । मुआविजे की दर अलग-अलग जमीन की किस्म के हिसाब से अलग-अलग होगी ।

श्री हरिदत्त काण्डपाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त मुआवजे के हकदारों की फेहरिस्त तैयार हो चुकी है ? यदि हां, तो फेहरिस्त बनाने का आधार क्या है ? जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी थीं केवल उन्हीं का नाम दर्ज है या सरकार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछ कर कि किसकी जमीन कटी है, उसके मुताबिक फेहरिस्त बनायी है ?

श्री गिरधारीलाल—वास्तव में जिस वक्त यह सड़क बन रही थी उस वक्त भूतपूर्व असेम्बली के जो सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि यहां जितनी जमीन होगी वे सबकी सब मुफ्त दिलायेंगे । इसकी वजह से इसका जो कम्पेन्सेशन है उसमें काफी टाइम लगा । अब भी बहुत से मालिक जमीन हैं जिन्होंने दरख्वास्तें नहीं दी और जो खुद कोई कम्पेन्सेशन लेने की ख्वाहिश नहीं रखते उनको देने की भी कोई जरूरत नहीं है ।

संवरई नाले पर पुल बनवाने की मांग

*६१—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या दिनांक २२ अप्रैल, १९५८, को निर्माण मंत्री ने हरिजन सम्मेलन सरेनी जाते समय जिला अधिकारियों के साथ संवरई नाम के नाले का निरीक्षण किया था और जनता द्वारा पुल की मांग करने पर उसे बनाने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, किन्तु कोई आश्वासन नहीं दिया गया था । केवल पुल निर्माण की मांग पर विचार करने को कहा गया था ।

रानीखेत-द्वाराहाट मोटर मार्ग की सोलिंग न होना

*६२—श्री हरिदत्त काण्डपाल—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि रानीखेत-द्वाराहाट मोटर मार्ग जिसको बने दो साल बीत चुके हैं उस पर अभी तक सोलिंग नहीं हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल—इस मार्ग के प्रथम १६ मीलों में पत्थर व रोड़ी की कुटाई हो चुकी है । बाकी के ६ मीलों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अगले वर्षों में पूरा करने का प्रस्ताव है ।

*६३—श्री हरिदत्त काण्डपाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि द्वाराहाट—गनाई मोटर मार्ग के कब तक बनने की आशा है ?

श्री गिरधारीलाल—इस समय इस सड़क के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

श्री हरिदत्त काण्डपाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस सड़क को बने हुये

२ साल से ज्यादा हो चुके हैं। १६ मीलों में तो रोड़ी की कुटाई हो चुकी है, लेकिन जिन ६ मीलों मीलों में रोड़ी कुटाई नहीं हुई उसमें रोड़ी कुटाई न होने के कारण . . . .

श्री अध्यक्ष—यह तो आप व्याख्यान दे रहे हैं, आप प्रश्न पूछिये।

श्री हरिदत्त काण्डपाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि १६ मील में जहां रोड़ी की कुटाई हो चुकी है वहां तो कंक्रीट वर्क हो गया है, लेकिन ६ मील पर पत्थर व रोड़ी की कुटाई क्यों नहीं हुई है ?

श्री गिरधारीलाल—जिस वक्त धन का प्रबन्ध कर दिया जायगा वह कर दी जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—रानीखेत-द्वाराहाट मोटर रोड पर सोलिंग कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी पूरी हो जायगी।

श्री प्रतापसिंह—इसमें कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री गिरधारीलाल—इसमें ९,५९,३८० रुपया खर्च होगा।

आगरे में सस्ते गल्ले की दूकानों की कमी

*६४—**श्री देवकीनन्दन विभव**—क्या आगरे में हाल में खोली गई सस्ते गल्ले की दूकानों के खोलने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—विभिन्न नगरों से जहां जहां सस्ते गल्ले की दूकानें खुली हैं दूकानदारों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भांति-भांति की शिकायतें आती रहती हैं। इसके पूर्व कि कोई उत्तर दिया जा सके माननीय सदस्य कृपया यह स्पष्ट कर दें कि उनका तात्पर्य किस प्रकार की तथा किन लोगों की शिकायतों से है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री को यह विदित है कि आगरे के विस्तार और जनसंख्या को देखते हुये वहां जो दूकानें खुली हैं उनकी संख्या कम है ?

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक हो सका है हर जगह दूकानें खुल चुकी हैं। बहरहाल यह कोशिश की जा रही है कि जहां कम हों वहां और दूकानें खोलने का प्रबन्ध किया जायगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री के पास विभिन्न शहरों में दूकानों के एलाटमेंट के सम्बन्ध में शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसा कोई नियम बनाया है जिससे सही लोगों को यह दूकानें दी जा सकें ?

श्री सैयद अली जहीर—सभी लोगों को ये दूकानें नहीं दी जा सकतीं। कुछ को दी जायंगी और ज्यादा लोगों को नहीं दी जायंगी तो शिकायतें तो होंगी ही।

श्री चन्द्रजीत यादव—मैंने सभी लोगों के लिये नहीं कहा। मैंने पूछा था कि जो दूकानें एलाट कर दी जाती हैं इसके लिये सरकार ने कोई ऐसा नियम बनाया है कि ये दूकानें ऐसे ही लोगों को एलाट की जा सकें जिनके विरुद्ध कोई शिकायतें न आ सकें यानी सही लोग हों?

श्री सैयद अली जहीर—यह मामला तो ज्यादातर जो मुकामी जिलाधीश हैं या हमारे डी० एस० ओज० हैं उन पर छोड़ दिया है। बहुत जगह उन्होंने मुकामी कमेटियां बनायी हैं, उनके मशविरे से दूकानें एलाट होती हैं। बहुत जगह म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बरान के सलाह से दूकानें एलाट की जाती हैं। कुछ जगह कोआपरेटिव्ज को दी गयी है। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म से दूकानें एलाट की गयी हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—आगरे से जो शिकायतें आई हैं उनमें दूकानों के एलाटमेन्ट में पक्षपात की भी शिकायतें आई हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, जहां तक मुझे इत्तला है इस किस्म की कोई शिकायत नहीं है ।

जिला बोर्ड, अलीगढ़ के विरुद्ध आडिट रिपोर्ट में आरोप

*६५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार को अलीगढ़ जिला बोर्ड के १९५५-५६ की आडिट आब्जेक्शन की रिपोर्ट मिल गई है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि उसमें मुख्य-मुख्य गम्भीर आरोप क्या हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, आडिट नोट की प्रति स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के यहां से सरकार को प्राप्त हो गई है जिसमें बोर्ड द्वारा अपने dues की वसूली में असावधानी दिखाने, वस्तुओं के क्रय करने में अनियमितता बर्तने, सार्वजनिक निर्माण के कोष को नियमित न रखने तथा कई अनियमितताओं में बोर्ड के एकाउन्टेण्ट का उत्तरदायित्व होने के आरोप हैं । आडिट रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये जिलाधीश को लिखा गया है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आडिट नोट में कुछ टिप्पणियां जिला बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ भी थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—कोई ऐसी खास टिप्पणी तो अध्यक्ष के विरुद्ध नहीं है । उन्होंने एकाध खरीदारी के बारे में यह अवश्य लिखा है कि बोर्ड ने अनियमितता की है । सरचार्ज वाले कालम में भी कोई खास बात नहीं लिखी है । दवाइयों की जो खरीदारी हुई है उसमें उन्होंने आपत्ति विशेषतः की है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश को कब लिखा गया और जिलाधीश ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—उसका तो यह नियम होता है कि आडिट रिपोर्ट होने के बाद सरकार से जिलाधीश को आदेश चला जाता है । जिलाधीश संबंधित अधिकारियों को या संबंधित स्थानीय संस्थाओं को लिखते हैं कि वह जो आपत्ति आडिट की है उसके बारे में अपनी टिप्पणियां दें और उसके आधार पर वह गवर्नमेंट को भेजा जाता है ।

टाउन एरिया कमेटी, टूंडला के कर आदि के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*६६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार के पास टूंडला, जिला आगरा से टाउन एरिया कमेटी के टैक्स आदि के बारे में हाल में कोई शिकायत आई है ? वह शिकायत क्या है ? सरकार ने उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—टाउन एरिया कमेटी, टूंडला के टैक्सादि के सम्बन्ध में दो प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुये थे । उन प्रार्थना पत्रों में यह शिकायत की गई थी कि टाउन एरिया कमेटी ने Circumstances of property टैक्स की कर सूची में (assessees) के पिता का नाम, निवास स्थान, मुहल्ला और पता नहीं लिखा गया है । इसके सम्बन्ध में आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं और आशा है कि इस अभाव की पूर्ति हो जायेगी । उक्त शिकायत के अतिरिक्त प्रार्थियों ने यह भी लिखा था कि उन पर पक्षपात युक्त अधिक टैक्स लगाया गया है जबकि कमेटी के समर्थकों पर टैक्स या तो कम लगाया गया है या बिलकुल ही नहीं लगाया गया है और टैक्स की बकाया भी समर्थकों से नहीं वसूल की जा रही है । इस सम्बन्ध में परगनाधीश

एतमादपुर (आगरा) ने स्वयं टूंडला जाकर संबंधित दलों की उपस्थिति में कमेटी द्वारा बनाई गई सूची की जांच की तथा सूची में आवश्यक संशोधन कर के अन्तिम रूप दे दिया। पिछले वर्ष का टैक्स, जिन लोगों पर बाकी है, उसे वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो आवश्यक आदेश दिये गये थे पिता का नाम, निवास-स्थान न दिये जाने के सम्बन्ध में उस अभाव की पूर्ति कर दी गई है या नहीं की गई है अभी तक ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह कोई इसी कमेटी ने तो यह गलती नहीं की थी। इसके पहले भी कोई असेसी के पिता का नाम नहीं लिखता था। इस वजह से आदेश दे दिया गया था और सूचना तो यह है कि वह कर दिया गया है लेकिन बिलकुल ठीक नहीं कहा जा सकता कि सब असेसीज के पिता का नाम लिख दिया गया है या नहीं।

उन्नाव जिले में सदस्यों की गणपूर्ति न रखने वाली पंचायतें

*६७--**श्री भगवतीसिंह विशारद** (अनुपस्थित)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत कितनी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिन में पंचायतराज कानून के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की बैठकों के निर्धारित कोरम से भी कम सदस्य संख्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--ऐसी २३ ग्राम पंचायतें हैं।

*६८--**श्री भगवतीसिंह विशारद** (अनुपस्थित)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री ऐसी ग्राम पंचायतों की सूची, उनकी सदस्य संख्या सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे और उस सूची में यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शेष सदस्यों के स्थान लगभग कितने-कितने समय से रिक्त चले आ रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--वांछित सूची प्रस्तुत है। ये स्थान सन् १९५६ से रिक्त चले आ रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २१३ पर)

*६९--**श्री भगवतीसिंह विशारद** (अनुपस्थित)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त स्थानों की पूर्ति अब तक न होने के क्या कारण हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--उक्त स्थानों की पूर्ति अब तक न होने का कारण यह है कि तीन बार चुनाव कार्यक्रम बनाने के बावजूद भी किसी व्यक्ति ने मनोनीत पत्र प्रस्तुत नहीं किया और इस कारण इन सीटों का चुनाव न हो सका। अब सदस्यों के नामांकन की कार्यवाही चल रही है।

श्रमदान द्वारा निर्मित मानिकपुर-बिसू मार्ग को पक्का करने की प्रार्थना

*७०--**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इटावा-औरैया की सड़क से मानिकपुर-बिसू तक सड़क को वहां के नागरिकों ने श्रमदान द्वारा सन् १९५७ में बनाया है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां।

*७१--**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**--क्या सरकार कृपा कर उसे अपने हाथ में लेकर पक्का कराने पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह मानिकपुर-बिसू की सड़क जो श्रमदान से बनाई गई है, यह सत्य है कि इसमें करीब ५,००० रुपये का काम वहां के नागरिकों ने किया है ? यदि हां, तो सरकार को क्या आपत्ति है इसको पक्का कराने में ?

श्री गिरधारीलाल--यह तो बात सच हो सकती है कि श्रमदान के जरिये से जो सड़क बनी उस पर पैसा थोड़ा बहुत लगा होगा । लेकिन उसको पी० डब्ल्यू० डी० लेकर के अपने बजट में से और रुपया उस पर खर्च करे, यह वह उसी वक्त करना चाहेगा जब उसके पास इतनी गुंजायश होगी । अभी इस विभाग के पास इतना धन नहीं है कि वह श्रमदान की हर सड़क को लेकर के बनाना शुरू करे ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार श्रमदान के महत्व को देखते हुए और वहां के नागरिकों ने जो प्रार्थना-पत्र भेजे हैं कि हमारा श्रमदान बेकार हो रहा है, उसको देखते हुए इसको पक्का बनवा देने के प्रश्न पर पुनः विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं, मैंने जैसा कि पहले बताया, मैं अपनी मजबूरी बता चुका । इसी तरीके से यह विभाग विवश है, इस काम को वह नहीं ले सकेगा ।

फैजाबाद जिले में सस्ते अनाज की दूकानें

*७२--श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय जिला फैजाबाद में सरकार की ओर से कहां-कहां और कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें खुली हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--फैजाबाद जिले की विभिन्न तहसीलों में सरकार की ओर से खुली हुई सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या तथा प्रत्येक दूकान की स्थिति की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २१४ पर)

*७३--श्री देवीप्रसाद मिश्र--क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि जो गल्ला जनता में वितरणार्थ सस्ते गल्ले की दूकानों में आया है वह खराब किस्म का है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं ।

नैनीताल जिले में सिविल जंगल कौटोजिया डमराड़ में पेड़ काटे जाने तथा किछा-खटीमा सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

*७४--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि सिविल जंगल कौटोजिया डमराड़, पट्टी चौगढ़, जिला नैनीताल में चीड़ व साल के पेड़ काटे जा रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं, इस समय इस प्रकार के कोई पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं ।

*७५--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इसकी स्वीकृति किसने दी ?

श्री सैयद अली जहीर--प्रश्न नहीं उठता ।

*७६--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल की किछा-खटीमा मोटर रोड के कब तक बनने की आशा है ?

श्री सैयद अली जहीर--आशा है कि यह मार्ग सन् १९६० तक बन जायगा ।

ट--तारांकित प्रश्न ७१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

पहाड़ी नगरों में इमारती लकड़ी की पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध शिकायतें

*७७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, लैंसडाउन, पौड़ी आदि शहरों में Timber व Fuel wood supply के हेतु जंगलात विभाग द्वारा निर्धारित पुरानी व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री सैयद अली जहीर—नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, पौड़ी शहरों में जलौनी (Fire wood) की पुरानी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हां, कुछ परिवर्तन इमारती लकड़ी (Timber) की व्यवस्था में किया गया है जो निम्न प्रकार है:

पहले वन विभाग वनों के कुछ टुकड़ों को नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और पौड़ी शहरों में इमारती लकड़ी, तख्तों और बल्लियों के रूप में बेचने के लिये नीलाम करता था, लेकिन इस वर्ष ये टुकड़े लकड़ी केवल निम्न नपत के रूप में बेचने के लिये नीलाम किये गये:—

१२′ × १०″ × ५″
१०′ × १०″ × ५″
९′ × १०″ × ५″
१२′ × ८″ × ५″

१२ फुट से अधिक की नपत के लिये खरीददार को ठेकेदार से स्वयं व्यवस्था करवानी होगी। यह भी प्रतिबन्ध है कि खरीददार को एक समय में २५ घन फुट तक लकड़ी मिल सकती है। यदि उसे इससे अधिक लकड़ी की आवश्यकता हो तो वह अपने ग्राम के सभापति या म्युनिसिपल बोर्ड के प्रेसीडेण्ट और कैन्टूनमेण्ट बोर्ड के एक्जीक्यूटिव आफीसर तथा सम्बन्धित रेन्ज अधिकारी की लिखित अनुमति लेनी होगी तथा १५ जून, १९५८ के पहले ही इतनी लकड़ी खरीददार को रख लेनी होगी जितनी उसे १५-१२-१९५८ तक चाहिये।

*७८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार उक्त व्यवस्था परिवर्तन के कारण बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—विगत वर्षों में यातायात की सुविधा न होने की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों के मुख्य नगर ही वन उपज जैसे लकड़ी इत्यादि के व्यापारिक केन्द्र थे। परन्तु यातायात की सुविधाएं होने पर यहां की वन उपज बाहर भेजी जाने लगी।

पिछले कुछ वर्षों से पहाड़ी नगरों की बिक्री के लिये बेचे हुए क्षेत्रों से विक्रेताओं ने किसी न किसी बहाने से तख्ते व बल्लियों के बदले स्लीपर बना कर बाहर बेचना शुरू किया क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में विक्रय का मूल्य कम होने के कारण ठेकेदार कम मूल्य पर लाट खरीद लेते हैं और इन लाटों से स्लीपर बनाकर बाहर निर्यात करके अच्छे मूल्य पर बेचते हैं। इससे सरकार को आर्थिक नुकसान होता है। इसी की रोक-थाम करने के लिये ऊपर लिखे प्रतिबन्ध लगाये गये हैं।

*७९—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास नैनीताल नगर निवासियों के कोई शिकायती-पत्र उक्त व्यवस्था-परिवर्तन के विरोध में आये हैं ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, ये शिकायतें मुख्यतया निम्न हैं :—

(१) इस वर्ष वन विभाग ने पुराने नियमों और नीतियों को कायम नहीं रखा है।

(अ) जो ३/४ सदी से लागू हैं।

(ब) जिनसे कुमायूं के शहरों के निवासियों को पर्याप्त मात्रा में जलाने की लकड़ी, कोयला और इमारती लकड़ी तख्ते और बल्लियों की शक्ल में उचित मूल्य पर मिलने का आश्वासन है।

(२) वर्तमान नीति यदि लागू रही तो उस से अन्न, मकान का किराया और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होगी जिससे रहन-सहन में बुरा असर पड़ेगा इसलिये इसको छोड़ दिया जाय और पुरानी कीमतें फिर से लाई जायं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के नैनीताल डिवीजन में दैनिक कर्मचारियों की मजदूरी

*८०—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नैनीताल डिवीजन में कितने 'डेली लेबर' तथा 'सुपरवाइजर', 'जमादार' हैं तथा उन्हें क्या दैनिक मजदूरी दी जाती है?

श्री गिरधारीलाल—इस डिवीजन में कार्य करने वाले इन कर्मचारियों की जो संख्या है तथा उन्हें जो वेतन दिया जाता है उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २१५ पर)

*८१—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नैनीताल डिवीजन के चौकीदारों को सन् १९३६ से ३ साल में एक कम्बल दी जाने वाली सुविधा को बन्द कर दिया गया है।

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[९ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

---

२९ जुलाई, १९५८ के तारांकित प्रश्न ३१ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष—अब श्री रामस्वरूप यादव अपने एक उत्तर का संशोधन करेंगे।

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, २९ जुलाई, १९५८ को श्री मुक्तिनाथ राय के प्रश्न संख्या ३१ के बारे में जो अनुपूरक प्रश्न का उत्तर सरकार द्वारा दिया गया था "कि जिनको सरकार की ओर से ऋण दिया गया है उनको यह अधिकार नहीं है कि उन्हीं से (कर) वसूल करें जिनको कनेक्शन्स दिये गये हैं। बाकी जो अपने ऊपर भरोसा करती हैं वे ऐसा कर सकती हैं" यह सही नहीं है। अतः स्थिति का स्पष्टीकरण करने की दृष्टि से सरकार, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदन को यह सूचित करना चाहती है कि नगरपालिकाओं को, चाहे उन्होंने सरकार से कर्ज लिया हो या नहीं, यह अधिकार नहीं है कि वे उन्हीं से जलकर वसूल करें जिनको पानी के कनेक्शन्स दिये जाते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, यह मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग का उत्तर था। माननीय रामस्वरूप यादव का नहीं।

श्री अध्यक्ष—वह तो है ही। मैंने उनका नाम ले लिया, क्योंकि वह सभा सचिव हैं इसलिये यह संशोधन मंत्री जी की तरफ से ही दिया समझा जायगा।

ललितपुर सब-डिवीजन में डाकुओं के फैले हुये आतंक के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास कुछ कामरोको प्रस्ताव आये हैं। पहला माननीय रमानाथ खैरा का है। झांसी की ललितपुर सब-डिवीजन में जो कथित अशान्ति और अराजकता फैली हुई है और वहां डकैतों का गिरोह बढ़ता जा रहा है, इत्यादि के संबंध में है। विशेष करके उस में अभी डाकुओं द्वारा सर्वश्री लछमन सिंह, परबत सिंह, गुरदास राय शर्मा वगैरह का जिक्र है। लछमनसिंह मारे गये और परबत सिंह वगैरह को खेती व अपनी संपत्ति छोड़ कर उनको शहरों में जा कर बसना पड़ा, यह इसमें कहा गया है।

तो यह विषय इतनी अर्जेन्सी का नहीं है और डेफिनिट भी नहीं है। कई विषय एक साथ मिला दिये गये हैं जिनके ऊपर बहस करना संभव नहीं है। लेकिन वहां की परिस्थिति के बारे में अगर मंत्री जी कोई सूचना सदन को देना चाहें तो दे सकते हैं, वैसे मैं प्रस्ताव के लिये इजाजत नहीं दे रहा हूं।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मान्यवर, यह बात सही है कि झांसी की ललितपुर सब डिवीजन में वहां डकैतों के एक, दो दल कुछ समय से उपद्रव मचाये हुए हैं। देवीसिंह का और सूरत सिंह का और उसी वजह से वहां कुछ आतंक है। इसके रोकने के लिये सरकार की ओर से कुछ कार्यवाही भी की गई। कुछ आउट पोस्ट्स वहां १९५७ में भी खोले गये थे और १९५८ में भी खोले गये। वहां पी० ए० सी० भी रखी गई है, आर्म गार्ड, जो पैट्रोलिंग कर रही है स्थान-स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है। कुछ वहां के जो विख्यात बदमाश हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की गई है और अभी जैसा कि मान्यवर, स्वयं भी जानते हैं वहां की यह रिपोर्ट थी कि इन तमाम चीजों के बावजूद भी स्थिति में कोई बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ है और आतंक फैला हुआ है डाकुओं का। तो इस पर मैंने आई० जी० पुलिस को विशेष रूप से वहां भेजा था। वह जुलाई के तीसरे सप्ताह में कदाचित गये थे और तीन, चार दिन वह वहां रहे और वहां की हालतें उन्होंने घूम करके देखी भी हैं और उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने गवर्नमेंट को की है और उसके ऊपर कुछ कार्यवाही भी सरकार की ओर से की जा रही है। इस विचार से कि स्थिति पर जल्दी से काबू पाया जाय। और वहां ऐसे लोगों का जो आतंक है वह दूर किया जाय। आशा है कि एक, डेढ़ या २ मास में हम वहां कि स्थिति में काफी सुधार कर सकेंगे। अभी इस समय यहां यह बताना मुनासिब न होगा कि हम वहां किस प्रकार का प्रबन्ध कर रहे हैं इसलिये आपकी आज्ञा से मैं अभी उसका खुलासा तो नहीं करूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि हम स्थिति से अवगत हैं और उस पर काबू पाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी के लिये जो हमारे महकमे के सब से बड़े अफसर हैं उनको हमने वहां भेजा भी था। हमें पूरी आशा है कि वहां की स्थिति में शीघ्र ही सुधार हो जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें ज्ञात है कि आई० जी० साहब की विजिट के बाद जो कार्यवाही वहां आरम्भ की गई है उसके बाद भी वहां के स्थानीय कांग्रेसजन तक पीड़ित हैं और उन कांग्रेसजन ने यह निश्चय किया है कि वे सरकार की इस असमर्थता के विरुद्ध सत्याग्रह आरम्भ करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, वहां के कांग्रेसजन वहां की जो स्थिति है उससे क्षुब्ध हैं और मैं समझता हूं कि यदि कहीं की स्थिति बिगड़ी हो तो इस प्रकार का क्षोभ कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। हमें आशा है कि जो असमर्थता समझी जा रही है वह नहीं रहेगी और जल्द ही वहां ऐसा प्रबन्ध कर दिया जायगा, इस से वहां की स्थिति पर काबू भी पा लिया जायगा और क्षोभ का भी निवारण हो जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आई० जी० साहब ने जो रिपोर्ट दी है और जो कार्यवाही सरकार करने जा रही है, यदि वह गोपनीय न हो तो क्या मंत्री जी उसका कुछ अंश सदन को बता सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष---वह तो वह कह चुके कि उसको जाहिर करना उचित नहीं है।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---क्या यह सही है कि आई० जी० साहब ललितपुर गये और वापस चले आये, लेकिन उन्होंने वहां के जंगलों और ग्रामों की स्थिति का अध्ययन नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह ब्यौरे का सवाल आप प्रश्नों द्वारा प्रश्नों के समय में पूछें तो अच्छा होगा।

ईश्वरदास टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बहजोई, मुरादाबाद की हड़ताल के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक और कामरोको प्रस्ताव श्री बुद्धि सिंह का है कि "यह सदन एक आवश्यक, निश्चित एवं तात्कालीन विषय, अर्थात् ईश्वरदास टेक्निकल इन्सटीट्यूट, बहजोई, जिला मुरादाबाद की तीन लाख सतासी हजार रुपये के सरकारी अनुदान से बनाई गई इमारत एवं होस्टल के पूर्ण निर्माण के पहले ही क्षत-विक्षत हो जाने तथा इन्सटीट्यूट के डिप्लोमा के मान्यता प्राप्त न होने के परिणाम स्वरूप उक्त इन्सटीट्यूट के समस्त विद्यार्थियों द्वारा तारीख १२ अगस्त से की जाने वाली हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये अपना आज का कार्य स्थगित करता है"।

संबंधित माननीय मंत्री जी इस पर यदि कोई प्रकाश डाल सकें तो डालें कि क्या मामला है।

भारी उद्योग उप मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव अभी मुझे साढ़े दस बज मिला दूसरे, चूंकि यह प्राइवेट संस्था है इसलिये उसकी पूरी इत्तला सरकार के पास नहीं हो सकती। यदि आप की आज्ञा हो तो कल इसके विषय में मालूम कर के बता दिया जायगा। यह केवल एक एडेड स्कूल है, सरकारी संस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष---क्योंकि यह गैर सरकारी संस्था से संबंधित प्रस्ताव है इसलिये इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का रुपया उसमें लगा है और मान्यता आदि का प्रश्न है, वहां हड़ताल भी हो रही है, इसलिये कल मंत्री जी सदन को जानकारी प्राप्त कर सूचना दे दें।

देवरिया जनपद के कतिपय ग्रामों में हैजे के प्रकोप के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---तीसरा कामरोको प्रस्ताव श्री उग्रसेन का है कि "देवरिया जनपद के ग्राम मझोली, सलेमपुर, भाटपार, भटनी, डोम बलिया, रिसनपुर, रामपुर आदि ५० से अधिक गांवों में गत एक सप्ताह से हैजे का भीषण प्रकोप जारी है। २०० से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार द्वारा तात्कालिक सहायता के अभाव में उस क्षेत्र का जन-जीवन अरक्षित हो गया है और एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है।

अतः उक्त विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है"।

मैं इसको अर्जेंसी नहीं समझता क्योंकि कितने ही दिन पहले का यह हैजा फैलने का सवाल है। सिर्फ मैं मंत्री जी से कहूंगा कि क्या परिस्थिति है, इसके बारे में वह प्रकाश डालना चाहें तो डाल दें।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)---अध्यक्ष महोदय, जो सूचना इस वक्त मैं एकत्रित कर सका उसके जरिये से मैं यह कह सकता हूं कि पहली, जनवरी, १९५८ से २३

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

अगस्त, १९५८ तक कालरा और गेस्ट्रो एंट्राइटिस में १६९ सीजर हुए और ६६ मृत्युएं हुईं और ११,५८९ इनाकुलेशंस २३ अगस्त तक लगाये गये और स्थिति कंट्रोल में है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, सिर्फ मझौली गांव में ६० आदमी मर चुके हैं और वह पूरे देवरिया के आंकड़े बता रहे हैं। इसको कैसे सिद्ध किया जाय ?

श्री अध्यक्ष---जब आप अलग-अलग प्रश्न पूछेंगे तो मैं इतना समय नहीं दूंगा।

श्री उग्रसेन---मैं मझौली गांव के बारे में पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, इस वक्त नहीं। यह कई महीनों से बीमारी चली आ रही है।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, इस समय बड़ी भीषण स्थिति है।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, लेकिन यह काम रोको प्रस्ताव का विषय नहीं होगा।

देवरिया में गंधी मक्खियों से फसल को क्षति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक और कार्य-स्थगन प्रस्ताव उग्रसेन जी का है कि 'देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील के मध्य एवं पूर्वी अंचल के भाटपार क्षेत्र में गंधी मक्खियों का भीषण आक्रमण हो गया है। धान, सांवा, टोगुन, मड़ुवा, आदि फसलों के दाने इनके द्वारा चर लिये गये हैं। इस प्रकार ५०,००० से अधिक एकड़ की फसलों की क्षति हुई है। सरकार की ओर से युद्ध स्तर पैमाने पर इसका मुकाबला करने के लिये अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। अतः इस व्यापक क्षति से किसानों में घोर निराशा एवं आतंक व्याप्त है और एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है।

अतः इस विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य-स्थगित करता है।"

इस विषय में एक दफा यानी गन्धी मक्खी के बारे में प्रश्न पहले सदन में आया था और सरकार ने उत्तर भी दिया था। कामरोको प्रस्ताव का तो यह विषय नहीं हो सकता। इस विषय में उत्तर दिया जा चुका है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह बताएं कि इसमें उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---माननीय अध्यक्ष महोदय, गंधी बग ने अरलो पैडी पर कई जगह हमला किया और जहां-जहां से खबर आयी, उसका इन्तजाम करने की पूरी कोशिश की गयी। देवरिया से एक तार आया था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का १३ अगस्त को ७,००० एकड़ का रकबा वहां पर गंधी बग्स के असर में है और उसका जल्दी इन्तजाम किया जाय और तमाम डिटेल्स थे। ७,००० एकड़ के लिये जितनी कीड़े मारने वाली दवा की जरूरत है वह साढ़े ११ टन दवा उस जिले में भेज दी गयी है और ४ यूनिट ने १६ तारीख से काम करना शुरू किया और उन्होंने २० तारीख तक १,००० एकड़ जमीन के कीड़ों को साफ कर दिया।

श्री अध्यक्ष---कितने हजार का बताया ?

श्री मोहनलाल गौतम---१,००० एकड़।

श्री अध्यक्ष---कुल कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ था ?

श्री मोहनलाल गौतम---७,००० का तार आया था।

उसके बाद जब ४ यूनिट कम देखे गये तो ४ यूनिट और भेज दिये गये। १ यूनिट में ६ आदमी होते हैं---१ सी० डी० ओ० २ फील्ड अटेंडेंट्स और ३ वी० एल० डबलू और इस

वक्त जहां तक इस प्रश्न का ताल्लुक है, हमारे पास सलेमपुर से कोई रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नहीं आयी है कि सलेमपुर में इसका असर है। असर की खबर जहां से आयी थी और जहां आपरेशंस हुये हैं वह जगहें हैं—कसया, पडरौना, तमकुही और सेवरिया और जितने की जहां जरूरत है वहां काम हो रहा है।

एक बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, और निवेदन कर दूं कि गंधी बग जहां लगता है तो उस पर ३ रुपया एकड़ उसके चार्जेज लग जाते हैं। लेकिन उसमें एक दिक्कत यह हो रही थी कि बहुत से लोगों के पास रुपया न होने से इसमें कठिनाई होती थी और जो रबी की ड्राइव का कैम्पेन हुआ उसमें डेवलपमेंट कमिश्नर भी गये थे और जहां-जहां वह पहुंचे उन्होंने तय कर दिया और बिना यहां के पूछे ही उन्होंने आज्ञा दे दी थी कि यह डेफर्ड पेमेंट हो सकता है। उसी पर फैजाबाद में ५ अगस्त को सेमिनार हुआ और गोरखपुर में ७-८ अगस्त को हुआ था और उस समय इस डेफर्ड पेमेंट की हिदायत भी दे दी गई थी और इस पर अमल होना भी शुरू हो गया है। इसमें जितनी रिपोर्ट आई और जरूरत हुई, वहां सब कार्यवाही पूरी हो गई है। अगर कहीं और कोई बात हो और माननीय सदस्य को मालूम हो तो वह बतला दें कि कहां है। हमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने खबर न भेजी हो तो मैं उचित कार्यवाही करूंगा।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन यह है कि वह सलेमपुर और भाटपार की रिपोर्ट मंगा लें और जो यूनिट काम कर रही हैं वह बहुत देर में होता है.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि.....

श्री उग्रसेन—हवाई जहाज से दवा छिड़कने का प्रबंध कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी जब कह रहे हैं तो आप उनके दफ्तर में जाकर उन्हें सुझाव दें।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैंने कह दिया कि वह हवाई जहाज से दवा छिड़कवा दें।

श्री अध्यक्ष—आप हवाई सुझाव न दें बल्कि आप कोई ठोस सुझाव उनके दफ्तर में जाकर दें।

इटावा जिले में भीषण चेचक तथा हैजे के प्रकोप के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—यह कामरोको प्रस्ताव श्री भजनलाल जी का है कि "जिला इटावा की समस्त विधूना तहसील विशेषकर दौलतपुर पोस्ट मल्होसी तथा आसपास के ग्रामों में चेचक का भीषण प्रकोप है, व मौजा जानिस नगर, पोस्ट अटसू, तहसील औरैया में हैजे का भीषण प्रकोप है। एक हफ्ते के अन्दर दोनों बीमारियों में १० व्यक्तियों की मृत्यु हुई—हजारों बीमार हैं। मैंने व क्षेत्रीय विधायक श्री गजेन्द्र सिंह ने स्थानीय जांच की। प्रार्थना-पत्र देने पर भी सरकार की ओर से कोई व्यवस्थी दवाओं, टीका आदि की नहीं की गई है। सरकारी अधिकारियों की असावधानी व उपेक्षा की नीति से व जनता में भयंकर बीमारी के आंतक के कारण रोष एवं क्षोभ व्याप्त है और परिस्थिति विषम है।

इस तात्कालिक महत्व के जन जीवन से संबंधित विषय पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह कई महीनों का सवाल है। यह कोई रीसेंट अकरेंस की घटना नहीं है। मैं प्रस्ताव के लिये इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री भजनलाल—अध्यक्ष महोदय, मैं अभी-अभी २३ तारीख को वहां गया था।

श्री अध्यक्ष—आपने वहां जाने में देर की, तो गलती की। मैं समझता हूं कि यह बहुत दिनों की चर्चा है, महीनों की है। आपको यह सवाल पहले उठाना चाहिये था।

तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल के चोणालिया नन्दकौर नदी में बाढ़ के कारण क्षति होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--माननीय प्रतापसिंह जी का एक कामरोको प्रस्ताव है कि "तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल के चोणालिया नन्दकौर नदी में अधिक बाढ़ आने एवं कैनाल विभाग द्वारा बांध के न बांधे जाने के कारण आठ गांवों की फसल सहित ६०० एकड़ भूमि के बह जाने के व रहने के मकान एवं जानवरों का बहुत बड़ा नुकसान होने से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति है।"

इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी सूचना देने की कृपा करें।

वित्त मन्त्री (श्री चरणसिंह)--कोई सूचना गवर्नमेंट के पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं इसको नामंजूर करता हूं। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर काम रोक कर कोई बहस हो। हर जगह रोज सैलाब आ रहे हैं थोड़े बहुत। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर बाढ़ कहीं आये तो मंत्री जी हफ्ते में एक दिन सूचना दे दिया करें कि परिस्थिति जिलों की क्या है?

श्री चरणसिंह--अभी ५ ही दिन तो हुये हैं।

श्री अध्यक्ष--मैंने कहा है कि हफ्ते में एक यानी अब से दो तीन दिन में सूचना दे दी जाय।

कुछ विधेयकों के सम्बन्ध में कार्य परामर्श समिति द्वारा समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य परामर्श समिति के नियम ५ के अन्तर्गत मुझे यह सूचना देनी है कि कार्य परामर्श समिति ने अपनी २६ अगस्त, १९५८ की बैठक में निम्नांकित विधेयकों के सामान्य विवाद, खंडशः विवाद तथा पारण के लिये निम्नांकित समय निर्धारित किया है :--

१--इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ	८	घंटे
२--उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ..	१	घंटा
३--उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) ऐकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ	१	घंटा
४--उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ	८	घंटे
५--उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ	२	घंटे

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन निम्नांकित विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य परामर्श समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है--

१--इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ	८	घंटे
२--उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ	१	घंटा

३--उत्तर प्रदेश (टेम्पोररी) एंकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ .. .. १ घंटा

४--उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ .. .. ८ घंटे

५--उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ .. .. .. २ घंटे

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन निम्नांकित विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य परामर्श समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है--

१--इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ .. .. .. ८ घंटे

२--उत्तर प्रदेश (टैम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ .. .. १ घंटा

३--उत्तर प्रदेश (टैम्पोरेरी) ऐकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ .. .. १ घंटा

४--उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ .. .. ८ घंटे

५--उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ। .. .. २ घंटे

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन यह करना है कि इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में आज का दिन निश्चित हुआ है। पहले से सदस्यों को जानकारी न रहने से किसी ने संशोधन नहीं दिये हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप व्यवस्था करें कि संशोधन दिये जा सकें और उन पर विवाद हो सके।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति इसलिये नहीं होगी क्योंकि समय निर्धारण हो चुका है, ८ घंटे में अब भी जो संशोधन आयेंगे वे संशोधन भी उसी समय में विचार होकर समाप्त होंगे। इसमें मैं समझता हूं कि किसी को आपत्ति नहीं होगी।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

किसी को आपत्ति नहीं है। तो संशोधन आप दे सकते हैं।

हाथरस में गल्ले की लूट-पाट सम्बन्धी कार्य-स्थगन प्रस्ताव के विषय में गृह मन्त्री का निवेदन

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मान्यवर, एक बात की ओर श्रीमान् का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। कल जब एक प्रस्ताव हाथरस की गल्ले की लूटपाट के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन का पास हुआ था तो मैंने निवेदन किया था कि मेरे पास सूचना आज नहीं है। कल आ जायेगी। तो सूचना तो आ गयी है। उसे तो पेश नहीं करना है लेकिन एक बात की ओर.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि ४ बजे उसका वक्त है। इस वक्त ध्यान आकर्षित करने का समय नहीं है। जब ४ बजे वह प्रश्न उठे उस वक्त आप जो कुछ कहना चाहें उसको कह दें।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८

श्री अध्यक्ष—अब सचिव विधान सभा कुछ घोषणा करेंगे ।

सचिव विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १ अगस्त, १९५८ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १२ अगस्त, १९५८ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २२ अगस्त, १९५८ को प्राप्त हो गयी और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का २२ वां अधिनियम बन गया ।

*जौंनसार-बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८ (क्रमागत)†

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि माननीय मंत्री जी ने जो बिल इस माननीय सदन के सामने रखा है, सिद्धांततः मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब अल्मोड़ा गढ़वाल और नैनीताल में यह १८८४ से प्रथा जारी थी तो क्यों इतनी देर से यह चीज आई ? इसका जवाब माननीय मंत्री जी हमें दें ।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है जब कल यह बिल यहां आया तो बहुत से सदस्यों ने यह पूछा कि यह इलाका कहां पर है । इसलिये मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि जिन लोगों के ऊपर यह रेवेन्यू अफसर पुलिस अफसर का काम करेगा उनके विषय में भी दो शब्द कहूं । देहरादून के जिले में चकराता एक इलाका है जहां पर ५० हजार जनता रहती है उसको जौनसार का इलाका कहते हैं । वहां की जनता भोली-भाली है । वहां पर शिक्षा की बहुत कमी है । उन लोगों की संस्कृति और रीति रिवाज ऐसे हैं जो मुल्क से बहुत भिन्न हैं । मैं चाहता था कि यहां एक पूरा बिल आता और उसमें उन तमाम चीजों का जिक्र होता ।

मान्यवर, जब उनके विकास और इन्तजाम की बात आती है तो उनकी उपेक्षा की जाती है, लेकिन जब मनोरंजन की बात आती है तो वहां से हर जगह लोगों को बुलाया जाता है और उनके तमाम नाच गाने कराये जाते हैं । जब यह बिल माननीय सदस्यों के सामने आया तो उनके हृदय में दो विचार उत्पन्न होते मालूम होते हैं । पहला तो यह है कि क्या जरूरत है कि पटवारी को पुलिस की पावर्स दी जायं । दूसरे क्यों न प्रदेश के दूसरे हिस्सों की तरह से वहां पर रेगुलर पुलिस को रखा जाय । तो मैं उनको बतलाना चाहूंगा कि जैसा इसमें कहा गया है कि जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर क्राइम्स बहुत कम होते हैं । अभी माननीय सदन के सामने ५ साल के आंकड़े रखना चाहूंगा जिनको देखकर यह पता लगेगा कि वहां पर क्राइम्स बहुत कम होते हैं । जबकि इधर क्राइम्स बहुत बढ़े हैं । उसका कारण यह नहीं है कि वहां पर लोग क्रिमिनल एटीट्यूट के नहीं हैं बल्कि कारण यह है कि उन लोगों की गरीबी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से लोग ऐसे काम करने को मजबूर हो जाते हैं । जिनको वे करना नहीं चाहते हैं । अब प्रश्न यह होता है कि वहां पर क्राइम्स का हिसाब क्या है । इसके लिये मैं आपकी सेवा में वहां का गजेटियर पेश करना चाहता हूं जिसमें वहां के क्राइम्स के विषय में दिया गया है । सन् १९२१ में कोई क्राइम्स नहीं है । सन् १९२२ में केवल १२ हैं और सन् १९३२ में १०५ हुये हैं । १० साल में जाकर इतना अन्तर पड़ा है । इन आंकड़ों के देखने से पता चलता है कि वहां पर क्राइम्स नहीं हैं ।

बहुत से लोग कहते हैं कि वहां पर रेगुलर पुलिस होनी चाहिये, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां की जनता उसको नहीं चाहती है क्योंकि अगर उनकी आदत क्राइम्स की होती और डाका डालने की या चोरी करने की होती तो उनकी मनोवृत्ति क्रिमिनल होती । वहां पर एक पटवारी

---

*७ अगस्त, १९५८ की कार्यवाही में छापा गया ।

†२५ अगस्त, १९५८ की कार्यवाही से ।

१०० आदमियों को पकड़कर ले जाता है। इसके लिये मैं कुमायूं लाज कमेटी रिपोर्ट की दो लाइनें पढ़ना चाहता हूं:—

"Crime is light in the hills, and it is not uncommon to find a patwari with sixty villages in his charge who has received no report of a cognizable crime during a whole year. This being so, it would be ridiculous to place this area in charge of a Sub-Inspector of Police. Introduction of the regular police would be extremely expensive and it is doubtful whether any increase in efficiency would result."

तो, मान्यवर, इस रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि वहां पर रेगुलर पुलिस की आवश्यकता नहीं है। इसके सपोर्ट में मैं यह कहना चाहता हूं और मंत्री जी को बतलाना चाहूंगा कि उनको जो यह अधिकार दिया जा रहा है इसमें अलग से कोई पुलिस का फुल फ्लेज्ड अफसर न बनाया जाय। इसलिये नहीं कि वहां इस बात की जरूरत नहीं है, बल्कि इसलिये कि वहां पर पटवारी को फुल फ्लेज्ड पुलिस अफसर बनाया जाय। इसलिये कि पुलिस आफिशियल की जरूरत जब हम वहां नहीं समझते तो हमको यह सोचना पड़ेगा कि पटवारी को ही पुलिस के अधिकार दिये जायं। वे इतने सीमित हों कि वह उनसे शांति व्यवस्था वहां रख सके।

मान्यवर, जहां तक रेगुलर पुलिस का सवाल है वह वहां उठता नहीं। पटवारी जहां-जहां रहा है, मैंने कभी नहीं सुना कि गोली चली हो। मैं अल्मोड़ा का एक उदाहरण देना चाहता हूं। वहां गोलीकांड हुआ। मकान की छत पर चढ़ कर गोली चलायी गयी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मौजूद है, एक आदमी को आठ गोलियां लगती हैं। माननीय मंत्री जी से कहा गया कि इसकी एक जांच कमेटी बैठायी जाय, लेकिन वह माना नहीं गया। अगर वह एरिया पटवारी के चार्ज में होता तो मैं कह सकता हूं कि जो हालत वहां हुई वह न होती और फायरिंग की नौबत न आती। इसलिये अगर किसी के दिमाग में यह हो कि कुमायूं में रेगुलर पुलिस लायी जाय, तो मैं समझता हूं कि वह उचित बात न होगी। वहां के लोगों ने इसके खिलाफ काफी रिसेन्टमेन्ट किया है और सन् १९४२ की आजादी की लड़ाई के बाद, अंग्रेजों के बाद, अगर वहां किसी ने गोली चलवायी है तो वह हमारी कांग्रेस सरकार के पुलिस अधिकारियों न चलवायी है, लेकिन उसकी इन्क्वायरी हमारी सरकार ने अभी तक नहीं की। तो इस उदाहरण के द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि पटवारियों के इतिहास में ऐसा मौका आज तक नहीं आया कि जब उन्हें गोली चलवाने की जरूरत पड़ी हो। पटवारी उस इलाके में रहते हैं, उसके जन-जीवन से उनका संबंध रहता है और वे इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। वहां पुलिस के आफिशियल बनाने से पुलिस की चौकियां बनानी पड़ेंगी। सिपाही रखने पड़ेंगे और उसका नतीजा यह होगा कि पुलिस से मिल कर क्राइम होंगे। गोलीकांड पुलिस से मिल कर हुआ और उसकी साजिश से हुआ और उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। इसका हमें क्षोभ है।

मान्यवर, पटवारी प्रथा बहुत पुरानी है। मंत्री जी ने अपने भाषण में यह नहीं बताया कि जिन पटवारियों को हम पुलिस अधिकार देने जा रहे हैं उनकी क्या ट्रेनिंग होगी, क्या तनख्वाह होगी, आदि? मैं आपके द्वारा मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे जो सुझाव हैं उनको वे ध्यान से सुनने की कृपा करें। आज जरूरत इस बात की है कि पटवारियों को पहले से ज्यादा अच्छी एजूकेशन दी जाय। पहले के पटवारी स्कूल में दर्जा ७ पास करने के बाद पटवारी हो सकते थे। आज उनको अधिक से अधिक ट्रेनिंग की जरूरत है। पुलिस के अधिकारियों की अधिक से अधिक शिक्षा उनको दी जाय ताकि वे सही तरीके से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें।

दूसरे, उनका वेतन बहुत कम है। आये दिन सदन में इसकी शिकायत होती है और उसके लिये हमारे माल मंत्री महोदय को गुस्सा भी आता है। यह कहा जाता है कि पटवारी घूस लेते हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है उसके लिये? जब उसको ५० रुपये वेतन मिलता

[श्री प्रतापसिंह]

है, जिसके परिवार हैं, बच्चे हैं और वह बड़े-बड़े अफसरों के बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ते हुए देखता है, जब कि उसके बच्चों को खाने को भी नहीं मिलता, तो वह मजबूर हो जाता है जनता को हैरेस करने के लिये, उससे रुपया लेने के लिये। तो इसकी जिम्मेदारी जितनी पटवारी पर है उससे अधिक इस सरकार पर है और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज तक पटवारियों का एक मालिक था, लेकिन अब से पटवारियों के दो मालिक हो गये--एक माल मंत्री जी और दूसरे हमारे गृह मंत्री। आज उन पर दोनों की छत्रछाया है। तो इस हालत में उनका वेतन जरूर बढ़ना चाहिये। अगर हम वेतन बढ़ने के बाद भी भ्रष्टाचार की शिकायत करें तो दूसरी बात है। लेकिन हमको सोचना चाहिये कि भूखा क्या नहीं करता। हजारों की लूट हो रही हो और पेट से कोई भूखा हो तो वह भी लूटने की कोशिश करेगा ही। तो जहां उनकी ड्यूटी बढ़ायी जा रही है, उनके कर्तव्य और अधिकार बढ़ाये जा रहे हैं, वहां उनका वेतन भी अवश्य बढ़ना चाहिये।

मान्यवर, हमको इस बात को देखना पड़ता है कि पटवारियों को देहात में रहना पड़ता है और उसको रहने के लिये मकान नहीं मिलते। मजबूरन उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। इसलिये मेरा सुझाव है कि हर पट्टी में एक पटवारी होता है, जब तक कि पट्टी बड़ी न हो। लेकिन उसका हेड क्वार्टर कोई नहीं है। विकास के कामों में जो छोटे-छोटे कर्मचारी रखे जाते हैं उनके रहने का प्रबन्ध किया जाता है। लेकिन पटवारी जिसको कि रेवेन्यू और पुलिस दोनों के अधिकार हैं और जो अधिकार माननीय मंत्री जी जौनसार-बावर में भी देने जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उनको वह अधिकार तो दिये जायं लेकिन यह ध्यान रखें कि वहां पर पटवारियों के रहने की व्यवस्था हो। इसकी सरकार की ओर से प्रत्येक इलाके में व्यवस्था होनी चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो पटवारियों को काम करने में बड़ी सुविधा होगी। मुझे दुःख है कि पटवारियों को कहीं भी स्थान या क्वार्टर नहीं मिलता है। गांव के लोग जब जाते हैं चाहे तो रिकार्ड देखने के लिये, किसी शिकायत के लिये अथवा एफ० आई० आर० लिखाने के लिये तो उनको मालूम पड़ता है कि पटवारी वहां नहीं है। जब कोई उसके रहने की व्यवस्था ही नहीं है तो वह भी मजबूर है। पटवारी कहता है कि उसके पास क्वार्टर नहीं है। वहां मकान कोई मिलता नहीं है इसलिये मजबूरी है। मैं मंत्री जी के इस बिल का सिद्धान्त रूप से समर्थन करता हूं लेकिन उसके साथ ही साथ जो सुझाव हम दे रहे हैं उनका कार्यरूप में परिणत किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

कुमायूं लॉज कमेटी में बहुत से जिम्मेदार माननीय सदस्य हैं। इस सदन के जो माननीय सदस्य उसमें हैं वे जानते ही हैं लेकिन और माननीय सदस्य जो यहां बैठे हुए हैं, उनकी जानकारी के लिये उस कमेटी की रिपोर्ट में से पढ़ देना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिये:--

"That proper arrangements should be made for their adequate training. Their duties are manifold, and they should be properly qualified in various subjects which they have to deal with."

यानी इस रिपोर्ट की मंशा यह है कि उनको प्रौपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिये। जो पटवारी पटवारियान स्कूल में पढ़ कर आते हैं उनको पुलिस की तमाम दफाओं का ज्ञान नहीं होता। स्वतंत्र राज्य में एक पुलिस के अधिकारी को जनता के साथ किस प्रकार का बरताव करना चाहिये, इसकी भी उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिये। मैं यह मानता हूं कि उनको पावर दी जानी चाहिये लेकिन अगर उसके साथ इसका कोई जिक्र न करना कि किस प्रकार से उस पावर का प्रयोग किया जायगा, ऐसी हालत में जब यह मानव स्वभाव है, तो वह उस पावर का मिसयूज कर सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वे इसके लिये नये प्रकार के स्कूल डिवाइस करें जहां पर यह सिखाया जाय कि एक वेलफेयर स्टेट में जनता के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है।

बाहर के इलाकों में पटवारियों को जमीन के कागजात को देखना पड़ता है, इन्दराज करना पड़ता है। इसलिये जरूरी है कि रेवेन्यू मैन्युअल और पुलिस मैन्युअल की पूरी-पूरी जानकारी पटवारी को दे दी जाय। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पटवारी को जो अधिकार दिये जा रहे हैं, उनका वह दुरुपयोग कर सकता है जिसका जनता पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिये पटवारियों को ठीक प्रकार की ट्रेनिंग दी जानी चाहिये। अगर पटवारी को अपने अधिकारों की ठीक प्रकार से जानकारी होती तो वैसी घटना न होती जैसी कि अल्मोड़ा में हुई। वैसी हालत में वह पुलिस को न आने देता और खुद ही उसको टैकिल कर लेता। अगर उसको प्रापर ट्रेनिंग होती तो वह कह देता कि वह उसका इलाका है, इस पट्टी में तुम नहीं आ सकते हो लेकिन दुःख की बात है कि उसको इस विषय में प्रौपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है।

मान्यवर, पुलिस पावर्स का किस प्रकार से मिसयूज हो सकता है इस बारे में कुमायूं लाज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पेज २४ पर कहा है। जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने कहा कि उनको जो शक है वह सही हो सकता है। अगर उनको सही ट्रेनिंग न दी गयी तो गलत तरीके से वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और जैसा कि हमारे विद्वान् साथियों ने, जिनमें श्री जगमोहन सिंह नेगी भी हैं, कहा है, उनकी वह आशंका सही हो सकती है। वह कहते हैं:—

"It is here that the combined authority is one and the same officer (Revenue) has resulted in good many illegalities and injustice to the ordinary citizens or inhabitants. They have not seen the light of the day and if even at this age of popular Government, the people are unfairly treated, then there will be no end of trouble and calamity to the people."

श्रीमन्, यह रिपोर्ट अपने माने में बहुत इम्पार्टेन्स रखती है, इसकी बड़ी महत्ता है। इस रिपोर्ट का जिक्र भी माननीय मंत्री जी को अपने भाषण में करना चाहिये था।

बिल में कुछ लाइनें लिख दी गई हैं कि नैनीताल में जैसा है वैसा ही हम जौनसार में भी करना चाहते हैं। इससे माननीय सदस्यों को क्या मालूम हो सकता है कि नैनीताल में क्या है, गढ़वाल में क्या है, और आप वहां क्या करना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी का जो काम है वह हमको करना पड़ता है तो क्या किया जाय, मजबूरी है। तो मैं यह बतला रहा था कि एक ही पदाधिकारी के हाथ में काफी अधिकार देना ठीक नहीं है। जो रेवेन्यू आफिसर हैं उनके लिये आवश्यक है कि उनको ट्रेनिंग दी जाय, उनको समझाया जाय। जिस समय यह रिपोर्ट बनी उस समय यहां पापुलर गवर्नमेंट आपके ही शब्दों में नहीं थी। जब कि आज आपके ही शब्दों में पापुलर गवर्नमेंट है तो पटवारियों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वे सही तरीके से काम करें।

श्री अध्यक्ष—जब आप सपोर्ट कर रहे हैं तो उसी को दोहराने की जरूरत नहीं है।

श्री प्रताप सिंह—सपोर्ट तो करता हूं लेकिन, श्रीमन्, वहां कई रेवेन्यू आफिसर हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया कि वहां पट- ारी रेवेन्यू आफिसर है लेकिन और भी कई रेवेन्यू आफिसर हैं। एक सिद्धान्त को मैंने स्वीकार किया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें कोई कमी है ही नहीं। तमाम चीजें इसमें होनी चाहिये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। वहां पर थोकदारी की प्रथा है। यह थोकदारी प्रथा अंग्रेजों ने अपने शासन काल में इसलिये कायम की थी कि वे कुमायूं में अंग्रेजी शासन की मदद करें। थोकदारों को इसके लिये रेंट फ्री लैण्ड भी मिली हुई है। उसका रेंट उनको आज भी नहीं देना पड़ता है। गुलामी को हमेशा कायम रखने के लिये थोकदारी प्रथा कायम की गयी थी। लेकिन जो पापुलर गवर्नमेंट है वह इसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो थोकदार वहां पर हैं वे क्या काम करते हैं?

श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मेरे लायक दोस्त जो कह रहे हैं कि वहां पर थोकदारी प्रथा है, यह सही नहीं है। जौनसार-बावर में कोई थोकदार नहीं है। माननीय सदस्य अल्मोड़ा, गढ़वाल के बारे में कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य स्वयं इसका खयाल रखें, मुझे तो नहीं मालूम कि वहां क्या प्रथा है?

श्री प्रताप सिंह---माननीय सदस्य ने जो एतराज किया है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन वे जरा बिल को पढ़ लें। जौनसार-बावर में यह नहीं है लेकिन कुमायूं के गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा जिले में यह प्रथा है। उन्हीं के बारे में मैं कह रहा था कि वहां के लिये भी कुछ प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये। वहां पर जो पधान हैं, वे भी रेवेन्यू आफिसर के तौर पर ही हैं। ये लोग वहां के गरीब आदमियों से जबरदस्ती बेगार लेते हैं और उन पर तरह-तरह के जोर व जुल्म करते हैं। पधानों के लिये यह भी है कि वे रेवेन्यू वसूल करेंगे तो उसमें से उनको ५ प्रतिशत दिया जायगा। यही नहीं बल्कि उनको फ्री लैण्ड मिला हुआ है जिसका रेंट नहीं देना पड़ता। तो क्या आज की जो पापुलर गवर्नमेंट है अपने जमाने में भी उनके साथ वही व्यवहार करना चाहती है और उनको वही अधिकार देना चाहती है कि वे गरीबों पर जुल्म करते रहें? पुराने जमाने में यह ठीक हो सकता था लेकिन अब जब कि ग्राम सभायें ही सारे गांव समाज के लैण्ड का इन्तजाम करने जा रही हैं तो आज जरूरत इस बात की है कि "पधानाचारी" खतम होना चाहिये और इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। क्योंकि पधानों के सम्बन्ध में जैसा कि मैं बतला चुका हूं कुमायूं लैण्ड कमेटी के पेज २९ पर कहा गया है:

"A separate Land Revenue Act is a real necessity for the hills. But the peculiarities of these districts should also be borne in mind. The system of thokadari should be abolished and the thokadars should be given no compensation for it."

पधानाचारी को कैसे एप्वाइंट किया जाता है वह लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा २५ में दिया हुआ है। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को हुक्म देता है कि तुम चुनो। रूल आफ परपिचुइटी के आधार पर उन्हें चुना जाता है। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा इस तरह वर्षों उसका चुनाव होता चला जायगा। एक तरफ तो आप पापुलर सरकार की बातें कहते हैं, दूसरी तरफ रूल आफ परपिचुइटी इस मुल्क में लागू किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिये। जब वहां ग्राम सभा है और पटवारी को आप रेवेन्यू आफिसर बनाने जा रहे हैं तो फिर पधानाचारी की क्या आवश्यकता है? जौनसार-बावर में उसी तरह से पधान हैं जैसे नैनीताल व गढ़वाल में हैं और उनको रेवेन्यू वसूल करने के भी वही अधिकार हैं। तो हमें इस बात पर सोचना पड़ेगा कि हमको पधानाचारी को वहां खत्म करना है और अगर खत्म नहीं करना है तो फिर चुनाव करके उनकी नियुक्ति होनी चाहिये और पुरानी प्रथा को खत्म करना चाहिये।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---जौनसार-बावर में पधानाचारी है ही नहीं। वहां गांव सभा है और सयाना खत्म हो गया है। मेरे भाई प्रताप सिंह जी जो कुछ कह रहे हैं उससे इसका कोई तात्पर्य ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष---कुमायूं की सब पद्धतियों को माननीय प्रताप सिंह जी न दुहराएं। जो विधेयक में दिया हुआ है उसी पर सीमित रहें।

श्री प्रताप सिंह---जो बिल हमारे सामने आया है उसमें दो लाइन्स के अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है और न माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण ही में कुछ बतलाया। जौनसार-बावर में खुद जा नहीं सका... गुलाब सिंह जी जो वहां के माननीय सदस्य हैं उनसे बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ नहीं। इसी से हर एक आदमी यह अन्दाज़ा लगा सकता है कि पधानाचारी प्रथा वहां भी होगी।

श्री अध्यक्ष--उद्देश्य और कारण में ऐसी कोई चीज नहीं है।

श्री प्रताप सिंह--स्पेशल पावर्स रेवेन्यू आफिसर्स को दी जा रही हैं। हमारे यहां पधानाचारी ही रेवेन्यू आफिसर्स हैं।

श्री अध्यक्ष--विधेयक में यह सब नहीं दिया गया है।

श्री प्रताप सिंह--आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। हमारी सरकार की यह भी एक प्रथा हो गयी है यूनीफार्मिटी लाने की। पुलिस आधिकार रेवेन्यू आफिसर्स को दिये जा रहे हैं तो यह भी हो सकता है कि यूनीफार्मिटी लाने के लिये रेगुलर पुलिस उनको बना दिया जाय। जब कुमायूं जमींदारी एबालीशन बिल आया तो कहा गया कि वहां भूमिधर नहीं होता, वहां हिस्सेदार होता है। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि यूनीफार्मिटी लाने के लिये उसे भी वहां भूमिधर कह दो। यही सवाल यहां भी हो सकता है कि पटवारी को पुलिस पावर्स दी जा रही हैं और उसको फुल फ्लेज पुलिस आफिसर बनाया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि पटवारी को फुल फ्लेज पुलिस आफिसर आप न बनायें, इसके सम्बन्ध में कुमायूं लॉज कमेटी की रिपोर्ट के पृष्ठ ३६ से एक लाइन में पढ़ देना चाहता हूं :

"There does not appear to be any valid agrument for replacing the revenue police by regular police. Crime in the district does not justify the establishment of regular police. What is required is improvement in the qualification, training, pay and rules of the revenue police."

मान्यवर, इन चारों चीजों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनकी ट्रेनिंग, क्वालीफिकेशन, पे, रूल्स इन तमाम चीजों में इम्प्रूवमेंट की बात कमेटी ने कही है। इसके आगे उन्होंने कहा है :

"The patwaris should continue to discharge the duties of the police. Experience shows that the rural public dislikes regular police."

यानी अनुभव यह बतलाता है कि रेगुलर पुलिस की वहां कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह रिपोर्ट उसका सबूत है। आज का तजुर्बा भी यही बतलाता है।

दूसरी चीज में आपके द्वारा यह कहने जा रहा था कि पटवारियों का बेटर रिक्रूटमेंट होना चाहिये। रिक्रूटमेंट में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय क्वालीफिकेशन के अलावा कि वे बेटर टाइप के लोग हों। वहां के लोग इन्नोसेंट होते हैं। आम तौर से वहां क्रिमिनल नहीं होते हैं। जेलों में आप देखेंगे कि पहाड़ के इलाके के बहुत कम लोग मिलेंगे। या वही लोग मिलेंगे जिन्होंने मजबूरी हालत में भूख के मारे चोरी कर ली हो।

आखिरी चीज जो मुझे कहनी है वह यह कि जहां हम सिद्धान्त के तौर पर इस बिल का समर्थन करते हैं वहां हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि जौनसार-बावर का इलाका अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल और टेहरी-गढ़वाल से भी ज्यादा सीधा इलाका है। इसलिये वहां के पटवारियों को और भी ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि वहां की जनता पर उनके अधिकारों का दुरुपयोग न हो। अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि पटवारियों की तनख्वाह, उनके क्वार्टरों का सही इंतजाम और उनकी ट्रेनिंग का पूरा-पूरा इन्तजाम हो जिससे कि उन अधिकारों का सदुपयोग हो सके। इसके साथ-साथ पुलिस की पूरी ताकत उनको न दी जाय बल्कि सेमी पुलिस फोर्स उनको दी जाय।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि पटवारियों के मामले में कुछ गलतफहमी थोड़ी सी हो गई है। यहां जो पटवारी होते हैं और पहाड़ में जो पटवारी हुआ करते हैं उनमें काफी अन्तर हुआ करता है। जौनसार-बावर में प्रारम्भ में यह सिस्टम था कि वहां तहसीलदार दरोगा हुआ करता था और एक सदर कानूनगो होते थे जो तमाम इलाके में पुलिस का काम किया करते थे। जब अपनी सरकार हो गई तो यह विचार किया गया

[श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा]

कि इस सिस्टम को बदलना चाहिये। पटवारी भी पहले वहां ऐसे ही होते थे। सन् १९५२ के बाद यह प्रबन्ध किया गया कि रेगुलर पुलिस थोड़ी बहुत वहां काम करने लगे। एकाध जगह कुछ चौकियां भी कायम की गईं। लेकिन उसका काम वहां के लोगों को पसन्द नहीं आया और चारों तरफ एक एजीटेशन सा हो गया कि रेगुलर पुलिस नहीं होनी चाहिए। इसलिए यह सोचा गया कि वहां भी वही सिस्टम लागू किया जाय जो कि और पहाड़ी जिलों में है कि जो पटवारी है वही यह काम भी देखे।

पहाड़ों में जो पटवारी हुआ करते हैं उनका दूसरा ग्रेड है। प्लेन्स के पटवारी को ३५ रुपये के हिसाब से तनख्वाह मिलती है लेकिन पहाड़ के पटवारियों की तनख्वाह ६० रुपये से स्टार्ट हुआ करती है और जौनसार-बावर में भी इसी तरीके के पटवारी हैं जिनकी तनख्वाह ज्यादा है। उनको खास तौर से ट्रेनिंग दी गई और फिर पुलिस की ट्रेनिंग भी उनको दी गई। यह ट्रेनिंग देकर के वह काम कुछ दिनों से वहां प्रारम्भ कर दिया है लेकिन अभी तक उनको कोई अधिकार नहीं थे। काम तो अभी भी पटवारियों के मार्फत ही हुआ करता था। जो तहसीलदार थे वे उन्हीं के मार्फत् काम कराते थे, वे उन्हें नियुक्त करके अपनी तरफ से ताकत दे देते थे और उसके जरिये काम कराते थे। ऐसा मालूम पड़ता है, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा, उन्होंने कभी जौनसार-बावर की हालत को समझने की कोशिश नहीं की। पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह बड़ी दूर-दूर पर है। अगर वहां थानें बनायें तो एक ही थाना जौनसार-बावर में होगा और वहां से करीब चालीस, पचास मील की दूरी पड़ जायगी। अगर ज्यादा थाने बनायें तो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जायगा। इसलिए यह निश्चय किया गया कि इन पटवारियों को ही ताकत दे दी जाय।

वहां जो रेवेन्यू आफिशल्स हुआ करते हैं वे जौनसार-बावर में ऐसे नहीं हैं। वहां तो पहले सयाने हुआ करते थे। वह चीज हमने खत्म कर दी। अब तो वहां गांव समाज है और गांव सभा है जैसे कि और जगहों पर है। एक चीज जैसी कि अभी हमारे भाई ने कही कि सिर्फ पटवारी हैं, लेकिन हमारे पटवारी दूसरी किस्म के हैं। उनको हमने पुलिस की ट्रेनिंग दी। उनकी तनख्वाह भी करीब १२० रु० कर दी जो एक सब-इन्सपेक्टर की होती है। तो मैं समझता हूं कि यह कन्ट्रोवर्शियल बिल नहीं है, सब लोग इसको सपोर्ट करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, जो यह बिल आया है इसके लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मेरा तो कोई बोलने का मंशा नहीं था लेकिन जो बातें गवर्नमेंट की तरफ से कांस्ट्रक्टिव आती हैं उनका हमें खुले दिल से स्वागत करना चाहिये। महज इतनी बात कहने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इस बिल को जिन अधिकारियों ने ड्राफ्ट किया है इससे स्पष्ट लगता है कि उन लोगों ने किया है जिनको वहां की जनता की जरूरतें मालूम हैं। मैंने देखा, मैं अल्मोड़े की बात कह सकता हूं। चारों जिलों में एक सी बात है। वहां पर जहां कहीं थाने खुले ऐसा प्रकोप हुआ कि पहले जुर्मों की जो संख्या होती थी वह कई गुनी बढ़ गई। तो रेगुलर पुलिस का, अब तक मुझे दुख है, ऐसा कुछ अभिशाप हो गया है, ऐसा करप्शन हो गया है कि वहां की सीधी सादी जनता के बीच में अगर रेगुलर पुलिस बढ़ जायगी तो हम लोग अपने तजुर्बे से कह सकते हैं, १०–१२ साल क्रिमिनल साइड में मैंने प्रैक्टिस भी की है, मेरा तजुर्बा है रेगुलर पुलिस से पहले जो वहां की क्राइम की हालत थी अब वह बदतर हो गई। इसलिये आपने अच्छा किया कि जौनसार-बावर के सीधे आदमियों को रेगुलर पुलिस नहीं दी।

पटवारियों से रेवेन्यू वर्क लिया जाता है और हमारे यहां की पट्टियां करीब ५० से १०० वर्ग मील तक की होती है तो इतने के लिये वहां एक पटवारी होता है। अब आप सोच सकते हैं कि एक आदमी जिसके पास कोई दूसरा सहायक नहीं है, गोया हाल में एक चपरासी दिया गया है, वह इतने बड़े इलाके को अकेले कन्ट्रोल करता है। तो इससे आप वहां के लोगों

के सीधेपन का अंदाज लगा सकते हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ की भावनाओं को समझा है उसी प्रकार अपने को लीग्स को समझायें जो जबरदस्ती हमारे ऊपर कुमायूं जमींदारी अबालीशन बिल लादे जा रहे हैं। यह हमारे लिये अभिशाप सिद्ध हो रहा है। हम उनसे हाथ जोड़ते थक गये कि कुमायूं जमींदारी अबालीशन न लागू करो लेकिन वह कहते हैं चूंकि यहां मैदान में ऐसा है इसलिये वहां भी कर रहे हैं। तो आप कैबिनेट में प्रिवेल अपान करें। वहां पर वह पैटर्न फिट किया जा रहा है जो यहां पर लागू है, जिसकी कोई वहां आवश्यकता नहीं है।

एक बात और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ पटवारियों को और बढ़ाने की जरुरत पड़ेगी और जब मौका हो तो इस पर भी सोचा जाय। मुझे ऐसा पता लगा था कि अलमोड़ा और नैनीताल से कुछ फीगर्स मांगी थीं क्योंकि बन्दोबस्त हो जाने के बाद नई जांच जो हो रही है तो हर साल पड़ताल हुआ करेगी। तो यह काम एक पटवारी के बस का नहीं है। यहां का पड़ताल का स्टैन्डर्ड पहाड़ पर भी रखा गया है और वहां खेतों का फासला, दूर व उतार चढ़ाव होने के कारण पटवारी इतना नहीं कर सकता जितना कि मैदान में हो जाता है। लिहाजा नक्शे गलत हो रहे हैं। इसलिये पड़ताल के लिये जिस जगह एक पट्टी पर एक पटवारी बैठता है तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वहां की परिस्थितियों को देखते हुए ५, ६ पटवारी कम से कम हो जायं।

तीसरी बात जैसा माननीय प्रताप सिंह जी कह रहे थे तनख्वाह वगैरह के बारे में, वह जरुर कम है। और माननीय प्रताप सिंह जी को मालूम होगा कि आजकल कोई पटवारी वहां मुकर्रर नहीं होता जो हाई स्कूल से कम हो। अब तो वहां इंटर और ग्रेजुएट भी हैं इस भुखमरी के जमाने में और वे लोग बड़े काबिल हैं। तो उनकी तनख्वाह कुछ जरुर बढ़नी चाहिये ताकि उनको भी अपने बच्चों का भरण-पोषण करने में कोई दिक्कत न हो, आसानी से कर सकें। न शब्दों के साथ मैं सोचता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन दिये हैं वे वापस ले लेंगे और इसका तो हमें स्वागत करना चाहिये।

श्री सूरत चन्द रमोला—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि अभी प्रश्न उपस्थित न किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)**—मान्यवर, मुझे खेद है कि यह एक बहुत छोटा-सा, साधारण सा विधेयक था परन्तु उसमें बहुत सा समय आदरणीय सदन का ले लिया गया। इसका कोई विरोध नहीं था और न किसी ओर से इसका विरोध हुआ परन्तु ऐसे प्रश्न जिनका कोई संबंध इस छोटे से विधेयक से नहीं था, उन पर बहुत देर तक सदन में बातें कही गईं। यह एक बहुत छोटा सा सवाल है, जौनसार-बावर का जो परगना है उसमें पुलिस की व्यवस्था की जाय या न की जाय। अभी वहां वह नहीं है। अगर की जाय तो वहां भी वही व्यवस्था की जाय जो कुमायूं, टेहरी-गढ़वाल आदि में है या उसके अलावा कुछ कर दिया जाय। हमने यह सोचा कि जो व्यवस्था तमाम पहाड़ी इलाके में है वही देहरादून की इस जौनसार-बावर परगने में भी कर दी जाय। कारण यह कि वही व्यवस्था आज तमाम पहाड़ी इलाके में चल रही है। अगर आवश्यकता होगी तो कोई नई व्यवस्था केवल देहरादून के ही इस परगने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

में नहीं लाई जायगी वरन कुमायूं, गढ़वाल और टेहरी के पूरे इलाके में लाई जायगी, सभी जगह वह आयेगी। इस समय जो व्यवस्था पहाड़ी इलाके में है और जो एक प्रकार से संतोषजनक ढंग से चल रही ह वह यहां भी कर द जहां अभी तक कोई बाकायदा व्यवस्था नहीं है। यह देहरादून का एक परगना है, दूसरी तरफ सिरमूढ़ है, वहां एक केन्टूनमेंट था जो एक लैंड-स्केप पर था जो मिलिटरी के अन्डर में था, पहले यह एक पारशियली एक्सक्लूडेड एरिया मशहूर था और एक एस० डी० ओ० वहां का काम धन्धा देखता था। स्वराज्य के बाद वह एस० डी० ओ० का शासन हटाया गया और उसे जिला देहरादून का एक रेगुलर अंश बनाया गया। अब स्थिति यह है कि वहां का जो तहसीलदार है उसको दरोगा की पावर्स हैं और उनको यह भी अधिकार है कि वह चपरासी आदि किसी से भी पुलिस का काम करा सकते हैं और वह नई नियुक्ति भी कर सकते हैं। जो सीरियस केसेज होते हैं उनको तहसीलदार स्वयं देखते हैं और जो साधारण केसेज होते हैं उनको वह कानूनगो को भी अपनी पावर डेलीगेट कर के दिखलवा सकते हैं और कुछ काम वह चपरासी वगैरा से भी इस तरह के करा सकते है। वहां कलसी और सहिया में आउटपोस्ट हैं और एक थाना चकराता में है। तो वहां पर तहसीलदार ही दरोगा है, उनको पावर है वे जैसे चाहें काम स्वयं अपने नीचे के लोगों के द्वारा कर लेते हैं।

प्रश्न यह था कि जैसा प्रबन्ध वहां के सारे इलाके में है वैसा ही यहां भी हो जाय। वहां पर क्राइम्स कम है और जौनसार-बावर में और भी कम है। माननीय गोविन्द सिंह जी कह रहे थे कि जब से वहां उनके यहां पुलिस के थाने खुले, अपराध बढ़ गये। पहाड़ के लोगों की शिकायत है कि जब से उनका ताल्लुक मैदान के लोगों से हुआ है वहां अपराध बढ़ने लगे। मालूम नहीं, हमारे शरीर में कोई छूत है। मैदान के जब अल्मोड़ा, नैनीताल और इधर-उधर मसूरी इत्यादि में घूमने लगे तो पहाड़ के लोग कहने लगे कि मैदान के लोग आने लगे, इस वजह से अपराध बढ़ा। नारायण दत्त जी तो मैदानी इलाके के हैं, तराई से ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन पहाड़ के लोग कहते हैं कि जब से आप लोग आने लगे तो क्राइम बढ़ने लगा। ठीक है, बढ़ने लगा होगा, यहां की बीमारी वहां लग गयी होगी। पहले पहाड़ी इलाके में ऐसे अपराध होते नहीं थे। वहां की भूमि का स्वरूप ही ऐसा है कि इस तरह के अपराध वहां हो नहीं सकते हैं। अब अगर रेगुलर फोर्स अल्मोड़ा, टेहरी-गढ़वाल, जौनसार-बावर और कुमायूं सब जगह ले जायं और लाखों रुपये का खर्चा बढ़ावे जब कि न तो जरूरत है और भगवान की कृपा से वहां अपराधों की वृद्धि भी नहीं हुई है और न वहां के लोगों को यह चीज पसन्द ही है, तो यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। परिणामतः इस जगह कुछ व्यवस्था होनी चाहिये। टेहरी-गढ़वाल में भी मैं समझता हूं कि गत वर्ष या डेढ़ या दो वर्ष हुए एक कानून आपने बनाकर कुमायूं रेवेन्यू पुलिस वहां लागू की। यह छोटा सा पार्सेल बाकी रह गया। इसको यहां लागू कर दें, इस वास्ते यह बिल है।

इसमें ट्रेनिंग क्या हो और तमाम चीजें कही गयीं। वहां ६० रुपया तनख्वाह पटवारी की मिलती है और २५ रुपया अलाउंस है और यहां ३५ रुपया तनख्वाह है और १७ रुपया अलाउंस है। इस तरह से वहां कुछ पटवारियों को ज्यादा मिलता है। उनकी संख्या, मुमकिन है कि कुछ कम हो, मगर जैसा कि गोविन्द सिंह जी कह रहे थे जब नया कानून लागू होगा कुमायूं जमींदारी अबालीशन का, तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। हो सकता है कि उनकी संख्या बढ़ायी जाय। एल० आर० सी० का कहना था कि हमारे पटवारियों के ऊपर यह काम आप लाद देंगे तो हमारे पास जितने हैं उनसे काम नहीं चलेगा। उनके पास तो काम वैसे ही काफी है इस झंझट से बचाइये। तो रेवेन्यू के आफिसर्स इस बात के उत्सुक नहीं है कि उनको पुलिस का अधिकार दे दिया जाय। न उसमें कोई तिकड़म की बात है, सिवाय इसके कि कोई दूसरी व्यवस्था वहां संभव नहीं है। उनसे कहा गया और उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार किया और यह बिल आपके सामने है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आदरणीय सदन इस पर विचार करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जौनसार-बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८ को जनमत संग्रह के लिये ६० दिन तक घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि जौनसार-बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८, पर, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं नियम ९६ के अनुसार यह मांग करूंगा कि अल्मोड़ा, गढ़वाल, और नैनीताल जिलों के पहाड़ी हिस्सों में जो रेवेन्यू आफिसर्स पुलिस आफिसर्स की पावर एक्सरसाइज करते हैं, इस संबंध में जो नियम हैं वह मेज पर रखे जायं, क्योंकि उन्हीं पर यह आधारित है।

श्री अध्यक्ष—माननीय गृह मंत्री जी, नियम तो, मैं समझता हूं, छपे हुए होंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी इस वक्त मेरे पास सूचना नहीं है। अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं बता दूंगा जरूर ही होंगे।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि बाद में माननीय सदस्य के पास उन्हें आप भेज दें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)--मान्यवर, यदि नियम न हों तो क्या भेजेंगे ?

श्री अध्यक्ष--बिल का जो आधार था वह आपने स्वीकार कर लिया है और इसके सिद्धान्त को भी मान लिया है। अब आप आधार पूछते हैं।

श्री सुरथ बहादुर शाह--श्रीमन्, प्रश्न उपस्थित करने का समय नहीं मिला।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--श्रीमन्, मैं यह दिवेदन कर रहा था कि मंत्री जी ने कहा है कि जैसा कुमायूं में अन्य जगह है वैसा ही हम करना चाहते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि जब तक नियम न दे दिये जायं तब तक इस पर विचार नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--इसका परिणाम यह नहीं होता है कि कोई विधेयक पर विचार रुक जाता है। विधेयक चलता रहेगा, अगर आप नियम चाहते हैं तो वह बाद में दे दिये जायंगे।

खण्ड १, २, ३ तथा ४

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम जौनसार-बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार देहरादून जिले के जौनसार-बावर परगना में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

कतिपय क्षेत्रों के राजस्व पदधारियों में पुलिस पदाधिकारी अथवा थाने के अवधायक पदाधिकारी के अधिकार निहित करना।

२—(१) राज्य सरकार के आज्ञा द्वारा तदर्थ घोषणा करने पर लेखपाल, पटवारी अथवा ऐसे अन्य राजस्व पदधारी (revenue officials) जो निर्दिष्ट किये जायं, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो निर्दिष्ट की जायं, तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन पुलिस पदाधिकारी (police officer) अथवा थाने के अवधायक पदाधिकारी (officeri ncharge of a police station) के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों और कर्त्तव्यों का सम्पादन करेंगे, जो निर्दिष्ट किये जायं, भले ही उस विधि में कोई बात इससे असंगत हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी आज्ञा में ऐसे प्रासंगिक एवं आनुषंगिक उपबन्ध हो सकते हैं, जिन्हें राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन की गयी घोषणा के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे।

(३) उपधारा (१) के अधीन की गयी घोषणा में निर्दिष्ट लेखपाल, पटवारी अथवा राजस्व पदधारी को केवल उपधारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा के अनुसरण में पुलिस पदाधिकारी अथवा थाने के अवधायक-पदाधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने के कारण पुलिस ऐक्ट, १८६१ के अधीन नामांकित (enrolled) पुलिस-पदाधिकारी नहीं समझा जायगा।

धारा २ के अधीन दी गयी आज्ञा राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायगी।

३—(१) प्रत्येक आज्ञा, जिसे धारा २ के अधीन जारी करने का विचार हो, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष, जब कि उनका सत्र हो रहा हो, १४ दिन से अन्यून अवधि के लिये रखी जायगी, और यदि उस अवधि के भीतर कोई भी सदन इसका अनुमोदन करे अथवा केवल परिष्कारों सहित अनुमोदन करे, तो उक्त आज्ञा जारी नहीं की जायगी, अथवा, जैसा कि स्थिति के अनुसार अपेक्षित हो, केवल ऐसे परिष्कारों सहित जारी की जायेगी, जिनका दोनों सदन अनुमोदन करें।

(२) ऐसी प्रत्येक आज्ञा सरकारी गजट में प्रकाशित की जायगी और उस प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

४—देहरादून जिले में जौनसार-बावर परगना के अन्तर्गत चकराता के तहसीलदार को विज्ञप्ति संख्या ८७४/८—२१, दिनांक ३ जुलाई, १९१३ द्वारा बंगाल रेगुलेशन्स संख्या ११, सन् १८३१ के अधीन दिये गये पुलिस अधिकार धारा २ के अधीन दी गई आज्ञा के प्रचलित होने के दिनांक से वापस ले लिये गये समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—इसमें कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड १, २, ३, और ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक व प्रस्तावना

जौनसार-बावर परगना, जिला देहरादून, राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८

जौनसार-बावर परगना जिला देहरादून के राजस्व पदधारियों को पुलिस पदाधिकारी (police officer) अथवा थाने के अवधायक पदाधिकारी (officer incharge of a police station) के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार देने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि देहरादून जिले के जौनसार–बावर परगना के राजस्व-पदधारियों को पुलिस पदाधिकारी अथवा थाने के अवधायक पदाधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाय ;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जौनसार–बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८ [Jaunsar—Bawar Pargana (district Dehra Dun) Revenue Officials (Special Powers Bill, 1958] जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन, दो एक सुझाव देने हैं ।

श्री अध्यक्ष--इसमें कोई सुझाव नहीं हो सकता है, कोई संशोधन नहीं हैं ।

प्रश्न यह है कि जौनसार बावर–परगना (जिला देहरादून)राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८ [Jaunsar—Bawar Pargana (district Dehra Dun) Revenue Officials (Special Powers) Bill, 1958] जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृति हुआ ।)

*इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ [Intermediate Education (Amendment) Bill, 1957] जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है , पर विचार किया जाय ।

मान्यवर,. . . .

श्री अध्यक्ष--भाषण आप बाद में देंगे । अब हम उठते हैं और सवा दो बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय १ बज कर १४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष , श्री राम नारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन का कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, उठने से पूर्व मैंने प्रस्ताव किया था कि इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ [Intermediate Education (Amendment) Bill, 1957] जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

*२१ जुलाई , १९५८ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल को प्रस्तुत करते हुये कोई बहुत लम्बा चौड़ा भाषण करना नहीं चाहता और न आदरणीय सदन का ज्यादा समय लेना चाहता हूं क्योंकि जिस समय इस पर साधारण वादविवाद हो रहा था और संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत था उस समय बहुत तफसील से कई दिनों तक इस पर विचार विमर्श हुआ था । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी संयुक्त प्रवर समिति के अन्दर जिसके अध्यक्ष, श्रीमन्, आप स्वयं थे बहुत गम्भीरता के साथ इस बिल पर विचार हुआ और उसमें जो संशोधन किये गये उनसे बहुत काफी सुधार हुआ है और बिल सम्मुनत बना है । संयुक्त प्रवर समिति में सभी दृष्टिकोण के लोग मौजूद थे । जिन लोगों को स्कूल चलाने का भार आ पड़ा है, ऐसे व्यवस्थापकों की भी काफी संख्या थी । अध्यापकों और उनकी मांगों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं और जो अध्यापन के क्षेत्र की कठिनाइयों से परिचित हैं उनकी भी संख्या थी । शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाले और उसमें रुचि रखने वाले लोग भी मौजूद थे । हर पहलू से इस बिल पर गम्भीरतापूर्वक विचार हुआ और जो संशोधन किये गये उनके फलस्वरूप यह बिल संतोषजनक रूप से संशोधित हो कर आदरणीय सदन के सम्मुख पुनः उपस्थित है ।

प्रायः सभी लोग मुख्य-मुख्य बातों में एक मत रहे हैं यद्यपि थोड़ा बहुत मतभेद प्रकट किया गया है, फिर भी मुख्यतः जिस रूप में यह बिल अब सामने उपस्थित हुआ है उसमें लोगों की सहमति रही है ।

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद इस प्रकार का यह बिल उपस्थित किया जा सका है । जैसा कि आदरणीय सदन के सदस्यगण जानते हैं इस विषय में पहले भी एक दो बार प्रयास किया गया, इस तरह का विधेयक ले आने का, पर वह बहुत से कारणों से और विभिन्न प्रकार के विचारों के लोगों के मत संघर्ष क कारण सदन के सम्मुख विचारार्थ आने के बाद भी कुछ उसमें गति न आ सकी । कई वर्षों से इस विषय पर बराबर विचार होता रहा । मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस आदरणीय सदन ने जब यह बिल प्रस्तुत किया तो उसे उसने अंगीकार किया सिद्धांततः और यह व्यवस्था की कि संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो विचार करके और जो इस में आवश्यक संशोधन हों इसको और उपयुक्त बनाने में अपनी चेष्टा करे और सफलता प्राप्त करे ।

जैसा कि हम सब जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा हमारे प्रदेश में पिछले १०, १२ वर्षों में बड़ी तीव्र गति से बढ़ी है । आज उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में माध्यमिक शिक्षा का एक अच्छा खासा विस्तार हुआ है । आज से १०, १२ वर्ष पूर्व शहरों के सिवाय और कहीं इन्टरमिडियेट कालेज नहीं दिखाई देते थे । देहात में तो क्या जहां शहरों में भी इनकी संख्या बहुत कम थी वहां आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के प्रत्येक परगने में, शायद ही कोई ऐसा बचा हो, जहां पर माध्यमिक विद्यालय न हो । माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या आज १,६०० के ऊपर पहुंची है । हजारों विद्यार्थी इन्टरमिडियेट एजूकेशन पाकर माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाओं में उत्तरित होते हैं । इतनी बड़ी संस्था जो माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों में माध्यमिक शिक्षा का संचालन करती हो और इतने विद्यार्थियों की परीक्षा लेती हो, संसार में और कहीं नहीं है ।

हमारे यहां जब से माध्यमिक शिक्षा का प्रसार हुआ है तभी से अध्यापकों के सम्बन्ध म बराबर विचार होता रहा है । इस प्रदेश की यह विशेषता है कि यहां पर माध्यमिक शिक्षा का बहुत बड़ा भाग सिर्फ जन समाज ने उठाया है । अवश्य ही सरकार की जिम्मेदारी होती है, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के सम्बन्ध में सुविधा जनता को प्रदान करने

की, उसकी यह प्रारम्भिक जिम्मेदारी है । जिस प्रकार वह शान्ति और सुव्यवस्था के प्रति दृष्टिपात करे उसी प्रकार से शिक्षा के सम्बन्ध में भी दृष्टिपात करना आवश्यक है जिसको आज सभ्य समाज में एक प्रारम्भिक आवश्यक अंग माना जाता है, उसको महसूस करने की भी उसकी जिम्मेदारी है कि वह उसके विकास में सहायक हो । किसी भी सरकार के राज्य में प्रमुख जिम्मेदारी प्रारम्भिक शिक्षा की सरकार की होती है फिर भी हर स्तर पर अपनी सरकार की सहायता से जन साधारण अपनी जिम्मेदारी को उठाती हैं । शिक्षा के विस्तार और विकास में कठिनाई मानते हुये भी हमारे प्रदेश का यह सौभाग्य रहा है कि यहां की सरकार जो कुछ करती रही है वह तो करती रही है लेकिन जो प्रमुख काम माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है वह प्रदेश की जनता ने किया है । सरकार की ओर से भी उस पर करोड़ों रुपया खर्च होता है । इन संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है और अनुपालन अनुदान भी दिया जाता है और भी कई प्रकार से हम सहायता प्रदान करते हैं । किसी को भवन के लिये, किसी को सज्जा के लिये, किसी को सामग्री के लिये जो कुछ भी सम्भव होता है सरकार की ओर से सहायता होती है, परन्तु बावजूद इन तमाम बातों के जितने भी आज विद्यालय हैं और जितने विद्यार्थी आज शिक्षा प्राप्त करते हैं और जितना आज उनके ऊपर जनता का अपना धन खर्च हो रहा है उसे देखने से हमारा मस्तिष्क आदर के साथ और श्रद्धा के साथ अपने प्रदेश की जनता के प्रति और इस प्रकार की संस्थाओं का संचालन करने वाले हमारे जो भाई हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है और अपना बहुत सा समय और शक्ति और जीवन का बहुत बड़ा अंश लगाया है, उनके प्रति झुक जाता है, क्योंकि यदि उन्होंने इस भार को न उठाया होता तो बावजूद हमारी तमाम कोशिशों के माध्यमिक शिक्षा का इतना प्रसार होना सरकारी धन और कोष से कदाचित् संभव ही न हुआ होता । आज इस अवसर पर जब इस विधेयक को आपकी आज्ञा से प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं उन सब के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक काम किया है, अपना समय लगाया है, जनता का सहयोग प्राप्त किया है और माध्यमिक शिक्षा का प्रसार और विस्तार में, विकास में इतना बड़ा कदम उठाया है, विशेषकर उस युग में जब भारत स्वतंत्र हुआ और जब उसे इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि माध्यमिक शिक्षा का विस्तार और विकास हो । आज हमारे प्रदेश में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को छोड़ कर, जिनकी संख्या बहुत कम है, १०० से भी कम ,और जितना जो कुछ है वह साधारण जनता के द्वारा, जनसेवियों के द्वारा, शिक्षा के प्रति रुचि रखने वालों के द्वारा, देश सेवा की भावना से प्रेरित होकर, शिक्षा प्रसार का भार उठाने वालों के द्वारा, संचालित हो रहा है और चलाया जा रहा है । अवश्य ही हमारे संचालकों के इस प्रयास में कहीं-कहीं कुछ त्रुटि हो सकती है, कहीं-कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकती है, पर उस के कारण उन सब के प्रति जिन्होंने कि इस भार को उठाया है और शिक्षा का विस्तार किया है किसी प्रकार का एक दुर्भाव व्यक्त करना अथवा उन्हें दोषी बनाना, यह कदाचित् उचित न होगा । इसी कारणमें उन सबके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं एक साधारण नागरिक होने के नाते, उत्तर प्रदेश का एक अभिभावक होने के नाते और एक अपने देश के विकास की कामना रखने वाली इच्छा से सार्वजनिक सेवी होने के नाते ।

अब इस शिक्षा का विस्तार काफी हुआ है । काफी संस्थायें भी हमारे प्रदेश में जन्म ग्रहण कर चुकी हैं । जनता का और सरकार का मिला कर करोड़ों रुपया इस पर खर्च किया जा रहा है । हमारे यहां इंटरमीडियेट बोर्ड, जिसकी स्थापना सैडलर कमीशन के सुझाव के मुताबिक आज से करीब-करीब, मैं समझता हूं, ३८, ४० वर्ष पूर्व हो चुकी है, उसके द्वारा यह सारी माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था संचालित होती रही है और बहुत सी त्रुटियां होते हुए भी संतोषजनक ढंग से संचालित होती रही है । अब

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

समय ऐसा आ गया है कि इस विस्तार को देखते हुए, इसकी आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया जाय। जैसा कि मैं पहले भी कुछ कह चुका हूं कि हमारे इंटरमीडियेट बोर्ड की स्थापना आज से ३८, ४० वर्ष पूर्व हुई थी। आज हमारी शिक्षा का जिस प्रकार से विस्तार और विकास हुआ है, उसकी जितनी आवश्यकतायें हैं और जितनी उसकी मांग है, वह सब की सब, जैसी हमारी परिवर्तित स्थिति है, उसे देखते हुए यह हमारी माध्यमिक शिक्षा परिषद् कहां तक उन सबकी पूर्ति करने में समर्थ हो रही है, यह एक ऐसा विषय है कि जिस के ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और सरकार ने यह निश्चय किया है कि इस विषय में वह विचार करे। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के संबंध में गत कई वर्षों से बराबर विचार होता रहा है। आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी, जिसकी सिफारिशों के अनुसार बहुत कुछ हम अपनी माध्यमिक शिक्षा के क्रम का और पद्धति का संचालन कर रहे हैं, इस प्रदेश में बनी और उसके सुझाव आए। कतिपय सुझावों पर काम हुआ और कतिपय अभी कार्यान्वित होने को हैं। पर इतना अवश्य है कि जिस प्रकार हमारा विकास हुआ है, उसे देखते हुए आज यह प्रश्न उठता है कि हमारी माध्यमिक शिक्षा परिषद् जो आज स्थापित है और जिस के द्वारा हमारी माध्यमिक शिक्षा का संचालन हो रहा है, क्या उसके स्वरूप में, उसके आकार में, उसके गठन में कुछ मौलिक परिवर्तन करना आवश्यक हैं अथवा नहीं। आवश्यकता है कि प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुये किस प्रकार के परिवर्तन किये जावें। आज शिक्षा का लक्ष्य दूसरा निश्चित हो चुका है, शिक्षा को दूसरी गति देने की आवश्यकता उत्पन्न हो चुकी है। आज इस परिषद् के द्वारा जो शिक्षा का संचालन हो रहा है, उसके दृष्टि-कोण और संचालन में किस प्रकार का परिवर्तन किया जावे, यह गम्भीर प्रश्न है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है और सरकार की दृष्टि इस पर गई हुई है। सम्भवतः हमें सारे माध्यमिक शिक्षा परिषद् के तमाम स्वरूप और आकार के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार मौलिक रूप से परिवर्तनों को लाते हुये किसी और विधेयक के प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ेगी। पहले भी मैं कह चुका हूं कि उस दिशा में सरकार विचार कर रही है और सम्भवतः एक ऐसा विधेयक हम प्रस्तुत करेंगे।

सम्प्रति विधेयक जो संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित होकर आया है उसका एक ही विशेष लक्ष्य है। अब हमारे उन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है जहां कभी एक मिडिल स्कूल खुलने पर समझा जाता था कि बड़ा भारी काम हुआ है। उन सुदूर देहाती क्षेत्रों में, जंगलों में और पहाड़ों में जहां आने जाने की व्यवस्था भी नहीं होती, वहां भी हमारे विद्यालय स्थापित हुये हैं और उन क्षेत्रों के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। इससे कुछ समस्यायें उत्पन्न हुई हैं। उनमें एक समस्या अध्यापकों की है। माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा में बहुत बड़ी संख्या में अध्यापक काम कर रहे हैं। प्राइमरी में भी हमारे ८०,००० या १,००,००० के करीब अध्यापक होंगे और महाविद्यालयों में भी हमारे अध्यापक बहुत बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार हुआ है। इन अध्यापकों को अध्यापन करना होता है हमारे विद्यालयों में जो साधारण रूप से, चाहे सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हों, फिर भी साधारण रूप से, सार्वजनिक सार्कमियों सहयोगियों द्वारा और शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वालों के द्वारा संचालित होते हैं। उन विद्यालयों के अध्यापकों का अपना स्वयं एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, समाज के जीवन में, जैसा हम सब स्वीकार करेंगे, आज वह युग आ गया है जब हमारे देश और प्रदेश के उत्थान के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की हो गई है कि हम जीवन का निर्माण करें। चाहे हमारी कोई भी योजनायें चलें और सुन्दर से सुन्दर व्यवस्था चले, सुन्दर से सुन्दर हम विधेयक और अधिनियम बनावें, उन सबका कोई भी उपयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक कि स्वयं मनुष्य उनसे लाभ न उठा सके। देश में जिस जीवन का उदय होना है जो हमारे लक्ष्य के अनुकूल हो, उसका उदीयमान करने का उत्तर-

दायित्व वैसे तो सभी पर है, पर सबसे बड़ा उत्तरदायित्व हमारे अध्यापकों पर होता है । हमारी सन्तान १०, १५ वर्षों तक उन्हीं के हाथ में होती है और उसके जीवन को गढ़ने का काम मुख्यतया उन्हीं पर छोड़ा जाता है । सारी शिक्षा का लक्ष्य यही है कि अध्यापक उनके जीवन का निर्माण करे । आज उन अध्यापकों का महत्व है वर्तमान के लिये और भविष्य के लिये भी, महत्व है आज के और आगे के निर्माण और रचना की दृष्टि से । हमारी सार्वजनिक योजनाओं और देश की रचना की आधारशिला एक ही हो सकती है और वह यह कि हमारे संतुलित जीवन की रचना उन लक्ष्यों के अनुकूल हो सके जो समाज हम निर्मित करना चाहते हैं । यह उत्तर-दायित्व अध्यापकों पर होता है । आज उनको उनका सम्मानित स्थान देना है ।

यह कहा जाता है कि हमारी शिक्षा की पद्धति में सुधार की आवश्यकता है । यह सही है कि यह शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण रही है लेकिन किस विचार से ? कोई विषय दोषपूर्ण नहीं होते । विद्यार्थी को हम पहले भी इतिहास, गणित, हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत आदि की शिक्षा देते थे और अब भी देंगे । विषयों में कोई दोष नहीं है । शिक्षा पद्धति सदोष रही है, इसका एक ही अर्थ होता है । वह यह है कि जिस दृष्टिकोण से शिक्षा का क्रम चलाया जाता था, वह दूषित है । अगर एक लक्ष्य दोषपूर्ण है तो उसकी पद्धति में दोष आ जावेंगे क्योंकि संचालन का सारा दृष्टिकोण ही दूसरा होगा । आज हमारे लिये वह इसलिये दूषित है कि एक पराधीन देश की शिक्षा का संचालन जिस तरह किया जाता था, जिस दृष्टिकोण से किया जाता था, वह यही था कि विदेशी सत्ता प्रमुख रूप में यहां मजबूत बनें जो भी शिक्षा पाकर निकलें उनके मस्तिष्क में मानसिक क्रान्ति न होने पावे । आज उस लक्ष्य को ही हमने परिवर्तित कर दिया । आज शिक्षा का लक्ष्य तो यही हुआ कि हम अपने देश को, जो स्वतंत्र है और जिसने अपना एक लक्ष्य स्थापित किया है, रचना करें और समाज की रचना करें और वैसा ही हमारी शिक्षा के क्रम में परिवर्तन हो । हमारे इस लक्ष्य के अनुकूल शिक्षा के क्षेत्र में, क्रम में, परिवर्तन की आवश्यकता हमने महसूस की । यह उत्तरदायित्व हमारे अध्यापकों पर ही है ।

कहते हैं कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है । ठीक है । पर कोई स्तर तब तक उन्नत नहीं हो सकता जब तक शिक्षा का संचालन करने वाले अध्यापक, जो शिक्षा की संस्थाओं का मुख्य सूत्रधार है, उसे न चाहेंगे । यदि अध्यापक चाहेगा, उसके हृदय में शक्ति होगी, उसके मन में प्रेरणा होगी, उसे उत्साह और कामना होगी उस सन्तान को गढ़ने की जो उसके हाथ में पड़ी है, तभी स्तर ऊंचा होगा । केवल रुपये और पैसे से शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता, कायदे और कानून से शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सकता है केवल शिक्षक के स्वयं के ऊंचे स्तर पर पहुंचने से । जब शिक्षक शिक्षा का दान करते हुए भी ऊंचे हृदय से, ऊंची अभिलाषाओं को लेकर, ऊंचे आदर्शों को संमुख रख कर शिक्षा के संचालन का भार उठायेगा तभी शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सकता है । क्योंकि यदि कोई उसका सूत्रधार है, संचालक है और किसी में उसको आगे ले चलने की सामर्थ्य है तो वह अध्यापक ही है । इसलिये आज हमें उसको उसके स्थान पर प्रतिष्ठित करना है यदि हमें समाज का संगठन करना है, यदि अपने आदर्शों के अनुकूल अपने राष्ट्र का निर्माण करना है, यदि अपने जीवन का निर्माण उनके अनुकूल बनाना है और अपनी अभिलाषाओं के अनुकूल उसको बनाना है, यदि अपनी शिक्षा को हमें ऊंचा उठाना है, जिससे सुसंस्कृत होकर और अच्छे संस्कारों को धारण करके हम अपने देश को उस प्रकार का बनाने में समर्थ हो सकें तो यह आवश्यक है कि हम अपने अध्यापकों की प्रतिष्ठा उनके गौरव के अनुकूल ही करें । यह बिल छोटा सा प्रयासमात्र उस दिशा की ओर है यद्यपि इससे सारी आशायें तो हमारी पूरी नहीं होंगी । यदि मैं यह दावा करूं कि यह हमारी सारी आशाओं को पूरी करेगा तो यह एक मिथ्या दंभ होगा । इस प्रकार का दावा हम नहीं करते लेकिन आज जिस परिस्थिति और दशा में ऐसा प्रयास किया जा रहा है, वह एक सीमा तक अध्यापकों की सम्मान रक्षा करने में समर्थ हो सकेगा ।

आज किसी पर दोष लगाने की कोई बात नहीं है लेकिन सार्वजनिक रूप से जो संस्थायें हमारी चलती हैं, उनमें शिक्षकों की सेवा का प्रश्न है, उनकी सेवा की अवधि का प्रश्न है, उनके

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

वेतन का प्रश्न है, उनकी सेवा की सुरक्षा का प्रश्न है, उनकी नियुक्ति का प्रश्न है, वे संस्थायें जिनमें इन्हें काम करना पड़ता है, उनमें उनके अधिकारों का प्रश्न है, ये सारी बातें हैं जिनके संबंध में हमने अभी तक विधि के रूप में और विधान के रूप में कुछ नहीं किया था। आज बहुत सी हमारी शिक्षा संस्थायें ऐसी हैं जो बहुत सुन्दर ढंग से संचालित हो रही हैं और ऐसे सुन्दर ढंग से संचालित हो रही हैं कि सरकारी संस्थायें भी उतनी सुंदरता से नहीं होतीं, यह हम सब जानते हैं। लेकिन वास्तविकता से आंख मूंदने से भी काम नहीं चलेगा। हमारे यहां ऐसी शिक्षा संस्थायें भी हैं जहां सुन्दर ढंग से काम नहीं हो रहा है। वहां पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ाने वाले अध्यापक भी वहां हैं, लेकिन उन संस्थाओं का संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है तथा उसको ठीक प्रकार से चलाने के लिये कोई नियम और व्यवस्था भी वहां नहीं है। इसलिये हम इस बिल को यहां ला रहे हैं कि जिससे वहां की शिक्षा ठीक प्रकार से चले, अध्यापकों के सम्मान की प्रतिष्ठा हो। सम्मान की प्रतिष्ठा तो दूर रही, एक साधारण काम करने वाले को जो सुरक्षा रहती है वह भी उनको वहां प्राप्त नहीं है। यदि अध्यापक असंतुष्ट रहेगा, क्षुब्ध रहेगा, मन में शंकित बना रहेगा---अस्तित्व के प्रति, पेट के प्रति, कार्य के प्रति--तो फिर शिक्षा का स्तर किस प्रकार से ऊंचा उठ सकता है, किस प्रकार से उसके जीवन में प्राण का संचार हो सकता है और किस प्रकार वह उस जीवन में प्राण का संचार कर सकता है, जिसे हम चाहते हैं? इस बिल का यही उद्देश्य है और इसी बात को लाने का एक छोटा सा प्रयास इसमें किया गया है।

अपने प्रदेश के सारे व्यवस्थापकों से आपके द्वारा हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल से किसी के मन में इस प्रकार की कोई शंका न हो कि इस बिल के द्वारा सरकार उनकी संस्थाओं के ऊपर किसी प्रकार का कोई अधिकार करने जा रही है। उनको इस में राई बराबर भी शंका न होनी चाहिये। मैं तो स्वयं उनका आभार प्रदर्शित कर चुका हूं और उनके सम्मान में अब भी मस्तक झुकाता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने महान कार्य किया है जो बिना उनके सहयोग के संभव नहीं था, उनके प्रति श्रद्धा से अवनत होता हूं, फिर भी वे यह न समझें कि हमने इस बिल को पेश करके उनके किन्हीं अधिकारों को छीनने की चेष्टा की है अथवा नीयत या उनकी कार्यप्रणाली पर संदेह करने की चेष्टा की है। वास्तव में विधि बनते हैं, विधेयक पेश किये जाते हैं, अधिनियम बनते हैं, तो इस विचार से नहीं कि जो अधिनियम हम बना रहे हैं, इसके माने हैं कि सारे समाज में उसके लिये कोई शंका है। यदि हम भारतीय दंड विधान में चोरी के विरुद्ध कोई धारा रखते हैं तो इसके माने यह नहीं है कि उस अधिनियम के बनाने वाले यह समझ लें कि सारा समाज चोर है। इस बिल में भी इस प्रकार की व्यवस्था है कि ऐसी शिक्षा संस्थायें जिनका संचालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, उनको दुरुस्त किया जाय और उनका सुसंचालन किया जाय। तो इसके माने यह नहीं है कि जितनी भी हमारी शिक्षा संस्थायें हैं, या उनके व्यवस्थापक हैं या संचालक हैं, उनकी नीयत के प्रति या उनके कार्य के प्रति या उनके आचरण के प्रति हमारे हृदय में कोई शंका हो, सन्देह हो या उनकी प्रतिष्ठा को हम ठेस पहुंचाना चाहते हों। इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि इस विधेयक के द्वारा हम सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं अध्यापकों को, सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं संस्थाओं को कि वे ठीक तरह से चल सकें। सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं विद्यार्थियों को कि उनका पठन पाठन ठीक ढंग से चल सके और सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं व्यवस्थापकों को भी कि वे अपनी संस्थाओं को नियम के अनुसार बिना किसी झंझट के चला सकें और बराबर जो व्यवस्थापक-अध्यापक, अध्यापक-विद्यार्थी या विद्यार्थी-विद्यार्थी के झगड़े पारस्परिक उठते रहते हैं, उन झगड़ों के उठने की नौबत न आवे और सब अपने को सुरक्षित समझें। सबका मन इतना आश्वस्त हो कि वे शांति पूर्वक शिक्षा क्षेत्र में काम कर सकें। इस विचार से ही हमारा यह विधेयक माध्यमिक शिक्षा परिषद् का कानून संशोधित करने के लिये पेश किया गया है। अब जितनी नयी बातें लायी गयी हैं प्रवर समिति की उनकी विशेष चर्चा में नहीं करना चाहता हूं। मान्यवर, आप स्वयं उसके अध्यक्ष थे और हमारे कतिपय आदरणीय सदन के सदस्य उसके सदस्य

थे और इसके बाद उसकी रिपोर्ट आ चुकी है बहुत पहले, जिसे मेरे कई मित्रों ने देखा होगा और समझ लिया होगा कि किन-किन जगहों पर इसको परिवर्तित करना आवश्यक है। इतना ही कह सकता हूं।

एक तो इसमें ब्रिटिश इंडिया एसोशियेशन और आगरा जमींदार एसोशियेशन का जो प्रतिनिधित्व था, इस विधेयक के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया है। एक तो यह विशेष चीज इसमें हुई है। दूसरी बात यह कि हमारी जो संस्थायें हैं, उन संस्थाओं के संचालन के लिये एक योजना बनाने की व्यवस्था है कि एक स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिये जिसे स्वीकृति के लिये डाइरेक्टर के पास भेजना होगा। आज जो शिक्षा संस्थायें चलती हैं उनमें कहीं कोई व्यवस्था है, कहीं कोई नियम है, कहीं कोई तौर तरीका है तो कहीं कोई दूसरा ही है, कहीं टीचर्स से ऐग्रीमेंट किया जाता है तो कहीं नहीं किया जाता है, इस प्रकार की स्थिति हमारे प्रदेश की कुछ संस्थाओं में है। हमारे भाई गौरीशंकर राय जी ने पिछली बार इस विषय पर बोलते हुये दो एक उदाहरण देते हुये कहा था कि कई संस्थायें ऐसी चल रही हैं जहां मनमाने तरीके से काम होता है। इसके लिये आवश्यक यह है कि हर शिक्षा संस्था के लिये एक स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन बने। अगर कोई संचालक कोई संस्था चलाना चाहे तो उसके लिये आवश्यक होगा कि वह अपने विद्यालय के लिये नियम बनावे और उसकी स्वीकृति के लिये डाइरेक्टर को लिखे। अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो फिर डाइरेक्टर उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सके, इसकी व्यवस्था भी इसमें है। पहले ३ महीने का टाइम दिया जायगा, यदि उस वक्त तक वह न दे सके और फिर रेप्रेजेंटेशन दे दे तो फिर ३ महीने का टाइम डाइरेक्टर उसको दे सकता है और यदि ६ महीने के बाद भी वह न दे सके और फिर रेप्रेजेंटेशन उसे या गवर्नमेन्ट को करे तो ३ महीने का समय और दे सकता है। अन्यथा यदि वह बराबर उसकी अवहेलना करता जाय तो डाइरेक्टर को अधिकार है कि वह स्टेट गवर्नमेन्ट से कहे कि इसके लिये एक संचालक नियुक्त कर दिया जाय। अथवा वह यह भी कह सकता है कि उसकी मान्यता वापस ले ली जाय। तो शिक्षा संस्थाओं के सही संचालन के लिये इस विधेयक में व्यवस्था की गयी है।

नियुक्तियों के सम्बन्ध में जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, मनमाने तरीके से नियुक्तियां होती हैं, और मनमाने तरीके से उन नियुक्तियों को समाप्त किया जाता रहा है, अब ऐसी व्यवस्था कर दी गयी है कि इस तरह की धांधली नहीं होगी। नियुक्तियों के लिये भी स्कूलों में मैनेजमेंट कमेटी और सेलेक्ट कमेटी की व्यवस्था है। और किस प्रकार से पेनल बनेंगे और किस प्रकार पेनल बनेंगे मेम्बरी के लिये, किस प्रकार अध्यापकों की नियुक्ति के लिये इंस्पेक्टर की और हेड मास्टर्स की नियुक्ति के लिये डिप्टी डायरेक्टर की स्वीकृति लेनी होगी, इसके लिये व्यवस्था इसमें की गयी है। अध्यापकों को निकालने के बारे में भी प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। किसी अध्यापक को इंस्पेक्टर की स्वीकृति के बगैर निकाला नहीं जा सकता और इंस्पेक्टर अध्यापक से पूछेगा कि तुम पर मैनेजिंग कमेटी ने ये ये जुर्म लगाये हैं, तुम को क्यों न बरखास्त कर दिया जाय। फिर इसके बाद भी अपील की व्यवस्था है। इंस्पेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर के फैसले के खिलाफ चाहे व्यवस्थापक पक्ष हो या अध्यापकों का पक्ष हो एक कमेटी के सामने अपील कर सकता है। एक कमेटी बनी हुई है अपील के लिये जिसमें उस रेंज का डिप्टी डायरेक्टर, एक प्रतिनिधि प्रादेशिक मैनेजर्स एसोशियेशन का और एक प्रतिनिधि प्रादेशिक अध्यापक मंडल का होगा और उसके सामने अपील हो सकती है जो उसका फैसला होगा वह फाइनल होगा।

इस प्रकार के यदाकदा इसमें सुधार किये गये हैं। पहला जो बिल था उसमें जिस तरह सुधार किया गया है उसकी रिपोर्ट सामने प्रस्तुत की गयी है। इस बिल को हमें अब शीघ्र निकालना चाहिये क्योंकि हमारे अध्यापकों की ओर से इसकी बड़ी प्रतीक्षा रही है। काफी दिनों से यह बिल प्रदेश की जनता के सामने है। इस पर समाचार-पत्रों के स्तम्भों में काफी चर्चा हुई है। इस पर अध्यापकों के सम्मेलनों में काफी चर्चा हुई है। विधान सभा और

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

विधान परिषद् में भी काफी बातचीत इस पर हो चुकी है। संयुक्त प्रवर समिति में बातचीत हुई। साधारणतया काफी विचार इस पर किया जा चुका है। प्रायः ८–९ महीने से यह बिल प्रदेश की जनता के सामने है और उन सबके सम्मुख यह रहा है जिनको इसके प्रति रुचि रही है। ऐसा कोई पक्ष नहीं रहा जिसके सम्मुख यह बिल विचारार्थ आ न गया हो और उसका मत व्यक्त न हो गया हो। अब विशेष बात इसमें कोई है नहीं।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसमें अध्यापकों का, व्यवस्थापकों का और सभी का सहयोग प्राप्त हुआ है इस विचार से कि हम कोई सामंजस्य स्थापित कर सकें और इस प्रकार इस बिल की रचना हो सकी है। वास्तव में अध्यापक वर्ग और व्यवस्थापकों के बीच लड़ाई करा कर हम इसे उस पूर्णता तक नहीं ले जा सकते, उस लक्ष्य तक नहीं ले जा सकते जिस तक कि उनकी सद्भावना से, सहयोग से एक सामंजस्य स्थापित करके, एक समन्वय स्थापित करके ले जा सकते हैं और जिस ओर व्यवस्थापक भी, अध्यापक भी इस लक्ष्य से अग्रसर हों कि हमारे सामने एक काम है और उस काम में हम दोनों ही एक यात्री हैं, और एक ही हमारा पथ है जिस पर चलने से हम दोनों का हित है और उस पथ पर चलने से हमारे दोनों के स्वार्थ टकराते नहीं हैं, हमें एक लक्ष्य पर जाना है, जब यह दृष्टिकोण दोनों का होगा तभी हमारी शिक्षा का काम अग्रसर हो सकेगा और हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इस बिल में यही प्रयास करने की चेष्टा की गयी है। सब की राय ली गयी है और उनके मत के हिसाब से परिवर्तन किया गया है। कहीं कोई बात एक पक्ष को पसन्द न आती हो और कहीं दूसरी बात दूसरे पक्ष को पसन्द न आती हो, किन्तु इस बिल में प्रयास किया गया है सबकी सद्भावना और सहयोग को प्राप्त करने का। इन शब्दों के साथ में प्रार्थना करूंगा कि शीघ्रसे शीघ्र विचार करके इसे अग्रसर किया जाय और जो लोग इतने दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वे कम से कम इसको अधिनियम के रूप में पा सकें ताकि थोड़ा सा संतोष उनको प्राप्त हो और आश्वस्त हो कर शिक्षा के कार्य को अग्रसर करने में सफल हो सकें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अभी इस बिल को प्रस्तुत करते हुये, उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने आपके सामने एक भाषण दिया और पिछली बार भी जब यह बिल पहली बार इस सदन के समक्ष पेश हुआ था उन्होंने कुछ भाषण दिया था। सबसे पहले मैं यह निवेदन कर दूं कि इस सदन में कई बार शिक्षा के उद्देश्यों पर चर्चा हो चुकी है। आज भी मंत्री जी के भाषण में एक लम्बा अंश उसी का रहा है और उन्होंने कहा कि आज शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन की आवश्यकता है। कुछ तो उसकी गति बदली है और कुछ उसका पथ बदलने वाला है और कुछ आवश्यकताओं के सम्बन्ध में उसकी उपयोगितावादी पक्ष का समर्थन उन्होंने किया।

इस बात पर कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है कि शिक्षा उपयोगी होनी चाहिये। इस बात पर बहुत बड़ा विवाद है कि किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिये? दुनियां के शिक्षा शास्त्रियों में इस पर बहुत बड़ा विवाद है और न मालूम कब से चला आ रहा है और मेरी समझ में अनन्त काल तक चलता रहेगा कि किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिये। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अपने देश में एक बहुत विचित्र विवाद है। आपको, हमको और सबको आश्चर्य होता है जिनके हाथ से इस शिक्षा विधि का संचालन हो रहा है, आज जो इसके कर्णधार हैं उनको सबको इससे संतोष नहीं है। कुछ दिन पहले लेट मौलाना आजाद साहब जो शिक्षा मंत्री थे, एक सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि आज की शिक्षा पद्धति बहुत दोषपूर्ण है। दूसरे दिन देश के उप–राष्ट्रपति ने अखबार में स्टेटमेंट दिया कि शिक्षा पद्धति ठीक नहीं है, इससे देश का कल्याण होने का नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक इस प्रकार की आवाज आती है कि शिक्षा पद्धति का स्तर ठीक नहीं है। शिक्षा मंत्री जी ने भी इस बात को कई बार स्वीकार किया है कि

हमारी शिक्षा पद्धति में दोष हैं। इस बिल के सलसिले में भी उन्होंने कहा कि एक और काम्प्रिहेंसिव बिल आयेगा और वह बिल ऐसा होगा जिसके द्वारा पुरानी शिक्षा पद्धति का और नई शिक्षा प्रणाली का एक समन्वय होगा जिसके बारे में मंत्री जी और दूसरे शिक्षा विशारद सोचने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि मेरे जैसे छोटे लोग शिक्षा विधि के सम्बन्ध में कोई सुझाव ऐसा पेश नहीं कर सकते जो पूरे देश की शिक्षा के सम्बन्ध में हो। हम तो एक साधारण व्यक्ति की तरह से यह कह सकते हैं कि शिक्षा का सुधार अवश्य हो। आवश्यकता इस बात की है कि देश के शिक्षा विशारद इस बात पर सोचें कि किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। प्रत्येक स्तर पर माध्यमिक से लेकर विश्वविद्यालय की शिक्षा तक उनको यह सोचना है कि किस प्रकार शिक्षा का संचालन हो। इस सारे दृष्टिकोण पर विचार करने के लिये काफी समय की आवश्यकता होगी। समय समय पर इसके लिये कुछ समितियां बनीं। आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट का कुछ हिस्सा इसमें ले लिया गया और समय समय पर जो दूसरे सुझाव आये उनका भी इसमें समन्वय किया गया। यह चीज उसी प्रकार चरितार्थ हो जाती है जैसे किसी व्यक्ति के पास फटा हुआ कपड़ा हो और कई जगह से फट गया हो। जिस जिस स्थान पर फट गया हो वहां पर उसके सुधार के लिये यह सोचा जाय कि इस स्थान पर दूसरा कपड़ा लगा दिया जाय और हर समय फटे हुये स्थान पर थोड़ा सा भाग बदल दिया जाय और जब दूसरा भाग फटा हुआ दिखाई दे तो उसे भी बदल दिया जाय तो इस प्रकार का सर्किल अनन्त काल तक चलता रहेगा, लेकिन पूर्ण रूप से उसका सुधार नहीं हो पायेगा और सुधार करने की आवश्यकता हमेशा रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विधि के सम्बन्ध में यह संशोधक विधेयक आया। मंत्री जी पुनः काम्प्रिहेंसिव बिल की बात करते हैं और यह कहते हैं कि उसे वे शीघ्र ही उपस्थित करने वाले हैं। जब वह उपस्थित होगा तो मुझे विश्वास है कि उस समय भी उन्हें कहना पड़ेगा "मैं नहीं कह सकता कि यह बिल पूर्ण है, इसमें त्रुटियां नहीं हैं।" उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक विषय को शिक्षा मंत्री जी इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं। "मैं नहीं कह सकता कि यह पूर्ण है—मैं नहीं कहता कि इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है, आदि आदि यह तो प्रयास है।" मुझे भय है कि इस तरह से समस्या का हल होने वाला नहीं है। जब तक सारा दृष्टिकोण न बदला जायगा तब तक समस्या का हल होने वाला नहीं है। इस बात पर गौर करना पड़ेगा और अगर त्रुटियों को हटा के इसको रखने की बात है तो जिस स्तर पर जिस स्टेज पर या जिस क्रम पर यह आज चल रहा है मेरा अपना विश्वास है कि उसमें बहुत समय लगने वाला है क्योंकि आज हमारे माननीय मंत्री जी जिस प्रकार कहा करते हैं कि परिवर्तन की आवश्यकता है, उस प्रकार परिवर्तन की आवश्यकता कहने की जो विधि थी सारे देश में, मैं देखता हूं कि पिछले डेढ़ साल से वह कुछ मन्द पड़ गई है। इससे पहले तो जिसको कहते हैं सीजन हो या सीजन न हो, हर हालत में लोग कहा करते थे कि शिक्षा विधि बड़ी दोषपूर्ण है और यह उपाध्यक्ष महोदय, शायद इसी देश का प्रजातंत्र है जहां केन्द्र के शिक्षा मंत्री भी और प्रान्त के शिक्षा मंत्री भी कहते रहते हैं कि हमारे यहां की शिक्षा विधि में दोष है, घोड़ा खराब है लेकिन फिर भी उस पर चढ़े हुए हैं। खैर, यह एक विवाद की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब आपकी अनुमति से इस सदन के समक्ष जो बिल उपस्थित किया गया है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पहली बार जब विवाद हुआ इस बिल की परिधि बढ़ाने का प्रस्ताव था। उसको माननीय मंत्री जी ने नहीं माना इसलिये कि उनको एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाना था। लेकिन आज मैं आपकी आज्ञा से यह जो बिल है उसके उद्देश्य की ओर माननीय सदन के सदस्यों का ध्यान चाहता हूं। अभी हमारे माननीय मंत्री जी का भाषण अगर किसी ने सुना हो और उसने इस बिल को ठीक से देखा न हो तो उसको ऐसा मालूम होगा कि एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन होने जा रहा है, पूरे शिक्षा के क्षेत्र में एक इन्कलाब होने जा रहा है। उन्होंने कहा इस सिलसिले में कि अध्यापकों का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मैं मानता हूं कि उनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यापक

[श्री गौरीशंकर राय]

के साथ-साथ और भी उसके तत्व हैं जिनका महत्वपूर्ण स्थान है, बालक का भी स्थान है, अध्यापक का भी स्थान है, वातावरण का भी स्थान है और शिक्षा विधि का भी स्थान है, उसमें शिक्षा की विधि का मार्गदर्शन करने वाले उद्देश्यों का भी स्थान है। यह सारी बातें मिलकर के शिक्षा का निर्माण करती हैं। अध्यापक का भी एक स्थान है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा भी नहीं है कि अध्यापक के बारे में भी इसमें एक सर्वांगीण विचार होता कि अध्यापक किस तरह का हो। उसका केवल एक पक्ष सिक्योरिटी आफ सर्विस, केवल जो उसको एक शंका और चिन्ता लगी रहती थी कि आज हैं, कल निकाल दिया जायगा, उसी शंका को दूर करने की तरफ माननीय मंत्री जी ने जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से वह उसके लिये बधाई के पात्र हैं, मुझको यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं है। लेकिन उसके और पक्ष जो हैं, वह मैं आपको सुनाऊं इसके उद्देश्य और कारण को पढ़कर तो आपको भी आश्चर्य होगा गोकि आप इसकी प्रवर समिति में भी अध्यक्ष थे --

"इस राज्य की माध्यमिक शिक्षा, इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ द्वारा अधिशासित है, जो ३५ वर्ष पूर्व बना था। तब से शिक्षा संस्थाओं की संख्या में प्रचुर वृद्धि हो गई है और सामाजिक राजनैतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप जीवन के मूल्यांकन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये हैं। राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की अभ्याप्ति के स्तर तथा उनके भाव एवं अनुशासन में बहुत पतन हुआ है। शिक्षा की गिरती हुई दशा को रोकने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि अध्यापकों के लिये सेवा की उचित दशाओं की व्यवस्था की जाय, अध्यापकों तथा प्रबंधक वर्ग के मध्य में सम्बन्ध --साम्य स्थापित किया जाय....."

यह खैर, लम्बा सा है। जहां तक उनकी सेवा की उचित व्यवस्था का सम्बन्ध है यह बात तो समझ में आती है, लेकिन उनके सारे मूल्यों का समन्वय कर दिया जाय, जितना सर्वांगीण विकास शिक्षा का करने की बात है, प्रत्येक पक्ष में उसका विकास किया जाय, जो शिक्षा का पतन हुआ है उसके सम्बन्ध में या अनुशासन के सम्बन्ध में जो माननीय मंत्री जी का मत है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह बात आयी नहीं कि इस बिल का वह कौन सा अंश है जो विद्यार्थियों और विद्यालयों के अनुशासन के सम्बन्ध में कोई भी बात कहता है या शिक्षा के विकास की कोई बात कहता है या और किसी पक्ष के बारे में शिक्षा के स्तर के बारे में क्या कहता है, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रत्येक पक्ष के परिवर्तित मूल्यों के साथ उनका समन्वय स्थापित करने का कार्य इस बिल का कौन सा अंश करता है, यह बतलाना साधारण मस्तिष्क के बाहर की बात है, बहुत बड़े विद्वान् ही शिक्षा मंत्री जैसे इसको समझ सकते हैं, कि इसके कौन से अंश में वह मंत्र छिपा हुआ है।

जहां तक अध्यापकों के निष्कासन का संबंध है, उनके अप्वाइंटमेंट का संबंध है वह बिलकुल दो बातें हैं। जहां तक मैं अपनी साधारण बुद्धि से समझ पाया हूं अध्यापक को भर्ती करो, उसको निकालो, निकालने में जरा एहतियात से काम लो, यह बात तो जरा समझ में आयी। केवल इतनी ही बात समझ में आ सकी। जैसा मंत्री जी ने कहा कि हमारे प्रदेश को गर्व है कि यहां प्राइवेट लोगों ने शिक्षा की उन्नति की, यह सच है और सचमुच वह लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने हमारे यहां शिक्षा का संचालन किया। और आज भी प्रदेश में मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार की सीमा, शक्ति और साधन के बाहर की बात है कि जितने विद्यालय आज चल रहे हैं उनको चलाना। प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसकी रोशनी में यह विद्यालय न चल पाते अगर दूसरे लोगों का सहयोग न होता तो। मंत्री जी ने उन लोगों को बधाई दी और हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि ऐसा न समझें कि उनके अधिकार को छीनना चाहती है सरकार। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इतने ऊंचे उद्देश्य को लेकर शिक्षण संस्थायें बनायी थीं उनके हाथ से दंड देने का अधिकार को लेने से वह बुरा न मानेंगे। उन्होंने बालकों के चरित्र निर्माण के लिये विद्यालय बनाये थे न कि अध्यापकों को दंड देने के लिये। तो निश्चित रूप से जिनका

प्रबन्धक समितियों से संबंध है उनको दंड देने में कोई आनन्द न होगा। वह तो निर्माण की दृष्टि रखते हैं और अगर किसी भाई को एतराज होगा तो फिर मंत्री जी कह लेंगे। उस पक्ष के सिलसिले में मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे यह कहना है कि अगर कामप्रोहेंसिव बिल लाना है तो कम से कम उद्देश्य और कारण में इतनी बातों के देने की कोई आवश्यकता नहीं थी सिर्फ टीचर्स की सेक्योरिटी के बारे में लिख दिया जाता। तो उद्देश्य और कारण इतने विशाल हैं। मेरा पहला एतराज तो इस उद्देश्य और कारण पर है। इसमें अगर परिवर्तन हो सके तो अच्छा है। इसमें मुझे एतराज नहीं कि बहुत दिनों से चाही हुई यह बात थी। प्रदेश भर का अध्यापक चाहता था कि हमारी सर्विस सेक्योर रहें। वरना आये दिन अध्यापक रखे जाते थे और रोज निकाले जाते थे। और विशेष कर अगर अध्यापक वोट में सहायक न हुआ तो उसको निकाल दिया जाता था या उसके मत में अगर अन्तर हो गया तो "योर सर्विसेज आर टर्मिनेटेड" क्योंकि आप सेटिस्फैक्टरी वर्क नहीं करते हैं, यही नोटिस मिल जाती थी। तो यह तो अच्छा किया। उद्देश्य और कारण में अगर परिवर्तन कर दें तो बड़ी अच्छी बात है।

जहां तक इसकी परिधि है उसके अन्दर मैं समझता हूं परिवर्तन हो सकते थे, मैंने पिछली बार भी कहा था कि इंटरमीडिएट बोर्ड एक बड़ा भारी संगठन है, जिसे मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है इतने ज्यादा विद्यार्थी इम्तहान देते हैं....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं आम बातों के बारे में थोड़ा बहुत इशारा किया, ठीक है। अब परिधि बढायी जाय, यह अवसर नहीं है। जो संशोधन किया गया है उस पर क्या एतराज है इस पर आप अपने को सीमित रखें।

श्री गौरीशंकर राय—मैं उस पर ही आ रहा हूं कि बोर्ड में बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। आज प्रजातन्त्र के युग में इतनी बड़ी संस्था का डायरेक्टर आफ एजूकेशन का अध्यक्ष होना उधर के बैठने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर बोर्ड की क्या आवश्यकता है अगर सरकारी अधिकारी ही उसका अध्यक्ष रहें। यों तो पूरा इंटरमीडियेट बोर्ड का गठन दोषपूर्ण है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि ब्रिटिश इंडिया एसोशियेसन और आगरा जमीदार एसोसियेशन के मम्बरों को हटाया गया, हालांकि इनको पहले ही हटा दिया जाना चाहिये था। अध्यापकों का तो महत्वपूर्ण स्थान है मेरी राय में आगरा जमीदार ऐसोशियेशन और जो दूसरे प्रतिनिधि थे उनके स्थान पर सहायक अध्यापकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। मैंने अगर समिति में बताया था कि अध्यापकों में भी, मैं नहीं कहता दो वर्ग हैं, मैं यह नहीं कहता कि ऐक्सप्लायटेशन होता है लेकिन वह २ प्रकार के प्रतिनिधित्व होते हैं एक प्रधानाध्यापकों का और दूसरा सहायक अध्यापकों का। तो इसमें इन सहायक अध्यापकों का जो प्रतिनिधित्व है वह नहीं के बराबर है और बोर्ड में कोई उनको रिप्रिजेन्ट नहीं करता। मैंने इस संबंध में एक संशोधन भी भेजा है। अगर माननीय मंत्री जी अध्यापकों के परम सनेही हैं वह अवश्य चाहेंगे कि उनका प्रतिनिधित्व अधिक हो।

एक बात इस संबंध में और कहूंगा कि जहां तक अध्यापकों के ऐप्वाइंटमेंट और निकालने की बात है वह बहुत महत्वपूर्ण है, रखने की बात तो इतनी विवाद-ग्रस्त नहीं है लेकिन निकालने का जो विषय है वह काफी विवाद-ग्रस्त है। मेरी राय है कि कोई एजूकेशन कौंसिल हो, या कोई एकेडेमिक कौंसिल हो जिस में शिक्षा संस्थाओं में काम करने वाले रिटायर्ड लोग, अनुभवी लोग रखे जायं, चाहे वह सरकारी संस्थाओं के हों या गैर सरकारी संस्थाओं के हों उनकी स्टेट कौंसिल्स या रीजनल कौंसिल्स बनाई जायं उनको यह निष्कासन करने का, फैसला करने का हक दिया जाय। इससे प्रदेश की जनता में एक यह भ्रम हो रहा है कि सरकार सेन्ट्रलाइजेशन आफ एजूकेशन कर रही है, मुझ से भी लोगों ने बहस की कि हम डिसेन्ट्रेलाइजेशन चाहते हैं और इसमें पावर का सेन्ट्रेलाइजेशन हो रहा है। मेरा विश्वास है कि अध्यापकों की सर्विसेज को सीक्योर करने में इतना सेन्ट्रलाइजेशन या डिसेन्ट्रलाइजेशन नहीं है जितना कि डायरेक्टर

[श्री गौरीशंकर राय]

को और इन्सपेक्टर को तमाम पावर दे देने में है। आज डायरेक्टर की पावर्स इतनी ज्यादा हैं कि वह सब कुछ कर सकते हैं, वह विद्यालयों के एक्जीक्यूटिव आफिसर भी हैं और वहां के तमाम विधि विधान की रचना करने वाले भी हैं, वही बोर्ड के चेयरमैन हैं और शिक्षा विभाग के डायरेक्टर है, वही एक तरह से विभाग के भगवान हैं, वही पैदा करने वाले हैं और वही मारने वाले हैं। इसलिये हमारी प्रार्थना है कि वह डायरेक्टर की पावर्स को कम कर दें वर्ना सारे शिक्षा विभाग वालों को भय होता है और प्रबन्ध कमेटी के प्रतिनिधियों को भी भय होता है कि यह डायरेक्टर के हाथ में सेन्ट्रलाइजेशन आफ पावर हो रहा है क्योंकि उनको ही किसी को ऐप्वाइंट करने का और निकालने का पूर्ण अधिकार मिला हुआ है, उन्हीं का फाइनल वार्डिक्ट माना जायगा। इसलिये जो लोग शिक्षा विशारद हो, सरकारी नौकरी में रहे हों या गैर सरकारी विश्वविद्यालयों की सेवा में हों उनकी एक एजूकेशन कौंसिल या शिक्षा परिषद बनाई जाय उनके हाथ में विभाग के लोगों का भविष्य और अन्तिम निर्णय का काम दिया जाय। यदि ऐसा न हुआ तो डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की भृकुटी देख कर सब काम होगा और अगर डायरेक्टर किसी से नाराज हो जायंगे तो उसको कल ही निकाल दिया जायगा और हर तरह के प्रिजुडिसेज और बायसेज काम करेंगे।

इसके अतिरिक्त टीचर्स के १ प्रतिनिधि की जगह अब २ प्रतिनिधि होंगे यह तो बहुत अच्छा है, इसकी आवश्यकता भी थी लेकिन यह सारा प्रतिनिधित्व कम कीमत का हो जाता है जब अपने प्रतिनिधि को चुनने का आपस में उनको अधिकार नहीं दिया जाता। उसमें सीनियर टीचर रोटेशन से लिये जायंगे। मैं टीचर्स की कोई आलोचना तो नहीं करता लेकिन मेरा तजुर्बा है कि बहुत से सीनियर टीचर्स होते हैं जैसे वाइस प्रिन्सिपल होते हैं वह प्रिन्सिपल बनने के उम्मीदवार होते हैं और आचार्य होना चाहते हैं। इसलिये वह दूसरों की भृकुटी देखकर अपने भविष्य को बनाने का ध्यान अधिक रखते हैं, शब्द जरा सख्त से हो रहे हैं उनका एक कैरियरिस्ट ऐ आफ लाइफ सा हो जाता है। इसलिये उनको मैनेजमेंट में प्रतिनिधित्व देना उचित न होगा। इसलिये मेरा विचार है कि यह प्रतिनिधित्व चुने हुये लोगों को ही मिलना चाहिये। यह कहना भी ठीक नहीं है कि इससे पार्टीबाजी बढ़ेगी और गोल बन जायेंगे, अध्यापकों में खूब चुनाव हुआ करते हैं यहाँ कौंसिल के लिये ही चुनाव होता है। लोग जो बोल्ड होते हैं और बोल सकते हैं, वह चुने जाते हैं। इसलिये उनका प्रतिनिधित्व चुनाव से होना चाहिये, यह सीनियारिटी से और रोटेशन से नहीं होना चाहिये, यह नामिनेशन का तरीका ठीक नहीं है।

एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और बासी बात है जिस पर बराबर विचार होता रहता है क्योंकि बराबर उस पर चर्चा होती रही है और जब कभी शिक्षा मंत्री किसी शिक्षा के विषय पर बोलते हैं तो पहले से ही बोल देते हैं, क्योंकि वह जान जाते हैं कि यह चर्चा विवाद में अवश्य आयेगी। तो उन्होंने कहा कि उनकी बड़ी इच्छा है, परम इच्छा है, उत्कट इच्छा है और अभिलाषा है, तो उसी अभिलाषा वाली बात को मैं दोहरा देता हूं कि न तो अभिलाषा से और न उत्कट इच्छा से अध्यापकों को प्रसन्नता होगी और अगर उनके लिये सम्मान का स्थान है तो वह मंत्री जी के दिमाग में स्थान है, लेकिन इस पूंजीवादी युग में किसी व्यक्ति का स्थान उसके द्वारा पाने वाले पैसे पर भी मुनहसिर रहा है। मैं नहीं कहता कि पैसा ही उसके स्तर को निश्चय करने वाली चीज होगी, लेकिन वह भी एक फैक्टर है।

आज स्कूलों के अध्यापकों के सिलसिले में पैरिटी और समानता की बात होती है कि सरकारी विद्यालयऔर गैर सरकारी विद्यालय में अध्यापकों के सब प्रकार के एमाल्यूमेंट्स में एक समानता की आवश्यकता है। जहां तक इस सिद्धान्त का प्रश्न है, आपको स्मरण होगा कि हमने यह कहा था कि इस समय कम से कम सिद्धान्त मान लीजिये कि सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के एमाल्यूमेंट्स में समानता होनी चाहिये और जब

उसके लिये प्रावीजन करना संभव हो तो कर दिया जाय। मंत्री जी मानते हैं और महसूस करते हैं कि सरकार को यह मानना चाहिए। तो मैं तो कहूंगा कि अगर सचमुच वह अध्यापकों के स्तर में ऊंचाई लाना चाहते हैं और उनका सम्मान बढ़ाना चाहते हैं तो इसी बिल में कहिये कि वह गैर सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों और सरकारी अध्यापकों की तनख्वाह एक कर देंगे और वह उनमें कोई फर्क नहीं समझते। बड़ा पुराना सिद्धान्त है कि "सेम वर्क, सेम पे", इसलिये अगर इस सिद्धान्त के अनुसार माननीय मंत्री जी इस डिस्पेरिटी को खत्म करते हैं तब भी वह कोई बधाई के पात्र नहीं होंगे। यह चीज तो उनको पहले ही मान लेनी चाहिये थी। अगर वह एक ही काम के लिये एक तनख्वाह देंगे तो कोई बहुत बड़ी ऊंची बात नहीं आ जायगी। तो जैसा स्वाभाविक रूप से आना चाहिए वैसे ही यह चीज है, इसको मानने में मंत्री जी को बहुत ज्यादा हेजीटेशन और उलझन नहीं होनी चाहिये। थोड़े से ही संशोधन उनके सामने हैं और यह संशोधन महत्वपूर्ण है।

एक और बात इस बिल में है। पहली बार हमने कहा था कि उपाध्यक्ष महोदय, उसका जिक्र कर दूं। पिछले साल गवर्नर्सऐड्रेस के मौके पर गवर्नर साहब ने एक बात कही कि जो गैर सरकारी विद्यालय हैं उनके अध्यापकों के लिये भी उसी तरह से दवा-दारू का इन्तजाम किया जायगा जैसा कि सरकारी अध्यापकों के लिये किया जायगा। इसका अर्थ था कि तुरन्त इसका ऐप्लीकेशन होने वाला है। प्रतीक्षा करता रहा अध्यापक इसकी और न मालूम कितने बीबी बच्चे उससे अलग हुए। इस संबंध में मैंने एक प्रश्न भी पूछा तो उत्तर में कहा गया कि यह विचाराधीन है। उपाध्यक्ष महोदय, यह उलाहना या शिकायत समझिये या भूल कहिये, उनकी भूल के लिये या सरकार की भूल के लिये उनकी शिकायत की जाती है, लेकिन गवर्नर महोदय के कहने के बाद साधारण सी बात थी कि उसका प्रबन्ध किया जाता, लेकिन दवा-दारु का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ। कहा जाता है कि दवा-दारू वाला विभाग इस पर विचार करता है, शिक्षा मंत्री जी नहीं करते हैं। मालूम होता है कि उसमें पहले प्रेस्क्रिप्शन लिखा जायगा। आप पहले पैसा तो दीजिये, अपनी व्यवस्था तो कीजिये? तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं कि जिस अध्यापक के प्रति जिस सहृदयता, सदभावना, और उदारता का परिचय हमारे मंत्री जी ने दिया है, मैं अत्यन्त नम्र शब्दों में कहूंगा कि आपकी सहृदयता कुछ स्थल रुप में आनी चाहिये और अध्यापकों के जीवन स्तर को बढ़ाने और ऊंचा उठाने की दिशा में आपका प्रयत्न होना चाहिये।

अब एक मिनट में दोहरा दूं कि उनकी जो असमानता है, तनख्वाह में, उसको दूर करने की घोषणा करें इस बिल के साथ और उनकी दवा-दारु की व्यवस्था करें। बड़ी प्रसन्नता की बात होगी कि अगर चेयरमैन, डायरेक्टर जो हैं इंटरमीडिएट एजूकेशन का, एक प्रजातांत्रिक कदम उठाकर यह कह दें कि चेयरमैन चुना हुआ होगा और उसके सारे रूप में एक प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करें।

इन शब्दों के साथ, जब आगे क्लाजवाइज मामले आयेंगे, हम अपने संशोधन रखेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि मंत्री जी हम लोगों के जो भाव हैं उनको समझ कर इस बिल में संशोधन लाने का प्रयास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—शायद प्रवर समिति से यह बिल काफी दिनों के बाद आया है, इसलिये मैं सदन का ध्यान नियम १०६ की तरफ दिलाना चाहता हूं—

"प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर विवाद की सीमा—इस प्रक्रम पर किसी भी प्रस्ताव या संशोधन पर वाद विवाद न होगा अतिरिक्त इसके कि प्रस्तावक या संशोधन प्रस्तुत करने वाले और उसका विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और तदनन्तर प्रश्न यथास्थिति उपस्थित किया जायगा या किये जायंगे।" इसलिये माननीय सदस्य जो खड़े होने का कष्ट कर रहे हैं उसके लिये कोई अवसर नहीं है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, हमने संशोधन दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो सामने आयेगा ।

प्रश्न यह है कि इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७
[Intermediate Education (Amendment) Bill, 1957]
जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—श्री ब्रज नारायण तिवारी जी का संशोधन इसके उद्देश्य और कारणों में हैं और किसी बिल के कारण और उद्देश्य में संशोधन नहीं होता है इसलिये इस संशोधन को उपस्थित नहीं किया जा सकता ।

खण्ड २

Amendment of section 2 of U. P. Act II of 1921.

2. In section 2 of the Intermediate Education Act, 1921 (hereinafter called "the Principal Act").

(1) After clause (*a*), the following shall be inserted as a new clause (*aa*) :

"(*aa*) 'Director' means the Director of Education, Uttar Pradesh"

(2) After clause (*b*), the following shall be added as a new clause (*bb*) :

"(*bb*) 'Inspector' means the Districtt Inspector of Schools and includes an officer authorized by the State Government to perform all or any of the duties of the Inspector."

(3) After clause (*d*), the following shall be added as a new clause (*dd*) :

"(*dd*) 'Regional Deputy Director, Education' means the Deputy Director of Education in charge of a region and includes an officer authorized by the State Government to perform all or any of the duties of a Regional Deputy Director."

(4) After clause (*e*), the following shall be added as a new clause (*f*) :

"(*f*) 'State Government' means the Government of Uttar Pradesh."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग बन जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३

Amendment of section 3 of U.P. Act II of 1921

3. In sub-section (1) of section 3 of the Principal. Act—

(*a*) For clause (*a*) the following shall be substituted "(*a*) the Director (*exofficio* Chairman)" ;

(*b*) Clause (*a*) shall be deleted.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग बन जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४

4. After section 3 of the Principal Act, the following shall be inserted as a new section 3-A : **Insertion of section 3 A- of U. P. Act II of 1921.**

"3-A. The State Government may remove from the Board a member who in its opinion has so flagrantly abused his position as such member as to render his continuance on the Board detrimental to the public interest : **Removal of member.**

Provided that the State Government shall before removing a member as aforesaid give him an opportunity of explanation and shall place on record reasons for his removal."

श्री गौरीशंकर राय---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ४ के उपखंड क (ए) में "The Director Exofficio" के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय :--

"Any member duly elected from amongst the members of the Board."

उपाध्यक्ष महोदय, इसके संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं कि यह बड़ा सीधा सादा सा संशोधन है। इसमें लिखा है कि डायरेक्टर एक्स आफीशियो चेयरमैन होगा। मैंने रखा है कि कोई सदस्य जो बाकायदा चुना गया हो वह डायरेक्टर रखा जाय। इसमें कोई तर्क उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों की स्थापना और शिक्षा के विकेन्द्रीकरण का बड़ा प्रचार हो रहा है। इसकी आत्मा कहती है कि इस निर्दोष संशोधन को मान लिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी राय है कि हमारे मित्र जो उधर के बैठने वाले हैं वह भी इससे सहमत हैं और मेरा अंदाजा है कि मन्त्री जी को अपनी मजबूरी है वरना वह भी इसको मानते हैं कि इसका चेयरमैन नान-आफीशियल हो। मैं आशा करता हूं कि यह आदरणीय सदन मेरे इस सीधे सादे और निर्दोष संशोधन को स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया देखें कि आपका संशोधन कहां है क्योंकि खंड ४ के उपखंड क (ए) में, ऐसा कुछ नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, एजेंडे में कोई संशोधन नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष---यह प्रश्न माननीय अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित हुआ था तो उन्होंने यह कहा था कि इसमें कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी---ठीक है, वह दे दें, लेकिन हमें बतला तो दें कि कहां है जिससे मैं उलट पलट कर देख लूं।

श्री गौरीशंकर राय---उपाध्यक्ष महोदय, पेज २ पर है...

श्री उपाध्यक्ष---आप खंड भूल गये हैं यह खंड तीन में होना चाहिये था और अब खंड ३ पास हो चुका है इसलिये इसको नहीं लिया जा सकता है।

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५ तथा ६

5. In clause (9) of section 7 of the Principal Act, for the words "the Department of Public Instruction", the words "the Director" shall be substituted. **Amendment of section 7 of U. P. Act II of 1921**

6. In section 9 of the Principal Act,

Amendment of section 9 of U. P. Act II of 1921.

For the words "he" and "his" wherever occurring the words "it" and "its" respectively shall be substituted'

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ और ६ इस विधेयक के अंग बन जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गौरीशंकर राय---उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन यह करना था कि इसके लिये ८ घंटे का समय रखा गया था । जैसा कि बताया संशोधन जल्दी-जल्दी में दिये गये हैं और किसी ने दिये भी नहीं थे आप इस बात की कृपा करते कि इस पर कुछ जनरल डिस्कशन हो जाता वरन् ८ घंटे इसी पर बहस करनी है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---बिजिनेस कमेटी की बैठक में मैं भी मौजूद था। जसा कि माननीय गौरीशंकर राय जी कह रहे थे कि वहां पर हम लोग यही समझे और हम लोग ऐसा समझते थे कि आज चूंकि संशोधन नहीं आये है तो आज सामान्य विवाद हो और हम लोग आज शाम तक संशोधन दे दें और कल खंड प्रतिखंड विवाद हो ।

श्री उपाध्यक्ष---अगर कार्य परामर्श समिति को सदन के नियमों का ज्ञान न हो तो मैं क्या मदद कर सकता हूं ? परामर्श समिति को सदन के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। विरोधी दलों को तो और भी सतर्क रहना चाहिए था क्योंकि यह विधेयक आज ही सदन के सामने नहीं आया है । इसके बारे में मैं जितनी कम टिप्पणी करूं उतना ही अच्छा है ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---माननीय उपाध्यक्ष जी, जो आपने व्यवस्था दे दी उसके ऊपर तो कोई बात कहने की है नहीं, लेकिन सही बात यही है कि नियमों के बावजूद भी यह विचार था कि जो सेलेक्ट कमेटी ने कुछ अमेंडमेंट्स किये हैं उनके ऊपर आप हमें कुछ कहने का मौका देंगे । मगर वह बात खत्म हो गयी । यही आशा थी कि आज का दिन उसी में खर्च हो जायेगा, क्योंकि श्रीमन्, यह सच बात है कि बहुत से भाइयों को अपने संशोधनों की बातें कहनी हैं और रखनी है । अगर सख्ती के साथ आपने नियम का इस्तेमाल किया तो मैं समझता हूं कि बिल तो आध घंटे में पास हो ही जायगा, लेकिन बहुत सी बातें छूट जायंगी ।

श्री उपाध्यक्ष---अब केवल दो उपाय हैं । या तो दोनों पक्ष आपस में यह तय कर लें कि इस विधेयक पर आज विचार न हो । दूसरा यह कि जो संशोधन न दे सके हों, जब खंडों का नाम लिया जाय तो माननीय सदस्य विरोध करें क्योंकि ऐसा करने का अधिकार है । जब कोई खंड का नाम लिया जाता है तो उस समय अगर आपका संशोधन न हो तो आप चाहें तो आप कह सकते है कि उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं । तो इस तरह बोलने का अवसर मिल जावेगा । लेकिन दो रास्तों के अलावा तीसरा रास्ता मेरे सामने नहीं है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन तो सर्व शक्तिमान है । नियम इस सदन के बनाये हुए हैं । सदन की यह आम राय है कि इस सम्बन्ध में कुछ लीनिएंसी बरती जाय । तो आप से विनम्र निवेदन है कि जो आपने दूसरा सुझाव दिया कि खंडों का विरोध कर सकते हैं, बहुत से ऐसे खंड हैं जिनका विरोध नहीं करना है

बल्कि संशोधन उपस्थित करने हैं। यह कठिनाई हमारे सामने आयेगी। इसलिए फिर निवेदन करूंगा कि ऐसे संशोधनों की इजाजत दे दी जाय तो ज्यादा अच्छा हो क्योंकि खंडों का विरोध करने का प्रश्न नहीं उनमें संशोधन देने हैं।

श्री उपाध्यक्ष—हर संशोधन की इजाजत है। लेकिन उचित और संबंधित खंडों पर होना चाहिए और उपयुक्त अवसर पर होना चाहिए। हर संशोधन की इजाजत है, समय की पाबन्दी उस पर नहीं है।

श्री उग्रसेन—माननीय मंत्री जी, मैं समझता हूं, एतराज नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—यह माननीय शिक्षा मंत्री और आपके एतराज करने की बात नहीं है। अगर आप में समझौता हो जाय कि आज इस पर वाद-विवाद न हो कल इस पर वाद-विवाद करेंगे तो इसके मुल्तवी करने की व्यवस्था हो सकती है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आगे जो कार्यक्रम है उस पर अगर थोड़ी सी बात हो जाय या इसको पोस्टपोन कर दें या फिर आप चाहें तो आध घंटे की छुट्टी कर दूं, ४ बजे से कार्यवाही हो।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। इस सदन में अभी यह निर्णय हो चुका है और खंड पास किये जा चुके हैं तो क्या कोई ऐसी बात या ऐसा समझौता लिया जा सकता है कि खंडों पर फिर विचार हो सके?

श्री उपाध्यक्ष—मेरे सामने ऐसा प्रश्न नहीं है कि २ से ६ तक खंडों के ऊपर फिर विचार किया जाय। यह तो कठिनाई आ गयी है। खंड ७ से ही हो सकता है। अगर आप लोग कोई सुझाव दें जो उभय पक्ष की ओर से हो तो मैं स्वीकार कर सकता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मुझे तो केवल आप की आज्ञा शिरोधार्य है।

खंड ७

7. After section 16 of the Principal Act, the following shall be added as new sections 16-A, 16-B, 16-C, 16-D, 16-E, 16-F, 16-G, 16-H and 16-I :

Addition of new sections 16-A to 16-I in U. P. Act II of 1921.

"16-A. (1) Notwithstanding anything in any law, document, or decree or order of a Court or other instrument, there shall be a Scheme of Administration (hereinafter referred to as the Scheme of Administration) for every institution, whether recognized before or after the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1957. The Scheme shall amongst other matters provide for the constitution of a Committee of Management (hereinafter called the Committee of Management) vested with authority to manage and conduct the affairs of the institution. The Headmaster or the Principal, as the case may be, of the institution and two teachers thereof, who shall be selected by rotation according to seniority, in the

Scheme of Administration.

manner to be prescribed by regulations, shall be *exofficio* members of the Committee of Management with a right to vote.

(1-A). No member of the Committee of Management shall either attend a meeting of the committee or exercise his right to vote whenever a charge concerning his personal conduct is under discussion.

(2) The Scheme of Administration shall also describe, subject to any regulations the respective powers, duties and functions of the Headmaster or the Principal, as the case may be and Committee of Management in relation to the institution.

(3) Where more than one recognized institution is maintained by a body or authority there shall be a separate Committee of Management for each institution unless otherwise provided in the regulations for any class of institutions.

(4) The Scheme of Administration of every institution shall be subject to the approval of the Director and no amendment to or changes in the Scheme shall be made at any time without the prior approval of the Director.

(5) Every recognized institution shall be managed in accordance with the Scheme of Administration framed under and in accordance with sub-section (1) to sub-section (4) and sections 16-B and 16-C.

16-B. (1) In the case of an institution already recognized at the date of the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1957, a draft of the Scheme of Administration shall be prepared and submitted to the Director for his approval in accordance with section 16-C within six months from the said commencement and in all other cases along with the application for recognition.

(2) If an institution which is already recognized at the commencement of the Intermediate education (Amendment) Act, 1957, fails to comply with the provision of sub-section (1) within the period provided therefor, the Director shall send a notice to such institution requiring it to submit the Scheme of Administration within a further period of three months.

Provided that on a representation by the institution prior to the expiry of the extended period the Director may in his discretion allow a further extension for a period of three mohths.

(3) If the Scheme of Administration is not submitted within the time allowed the Director shall take action in accordance with clause (*a*) or (*b*) of sub-section (3) of section 16-D.

16-C. (1) Subject to the regulations governing the principles for according approval to the Scheme of Administration, the Director shall within such period of time as may be prescribed, either approve the Draft Scheme of Administration submitted under section 16-B, or suggest any alteration or modification therein. Whenever the Director shall so suggest any alteration or modification in the Scheme he shall send a copy of the same to the institution giving his reasons therefor and affording an opportunity to the institution to make a representation, within such period of time as may be prescribed :

Provided that if the Director does not suggest any alteration or modification in the Draft Scheme of Administration within the period of time prescribed by regulations, the Draft Scheme of Administration shall be deemed to have been approved.

(2) The Director shall consider any representation made in accordance with the provision of sub-section (1) and may approve the Scheme of Administration in its original form or subject to the alteration and modification suggested under the said sub-section or with any other changes as may appear to him to be just and proper :

Provided that where the Director proposes to make a new alteration or modification in the Scheme of Administration he shall give an opportunity to the institution to make a representation to him within such period of time as may be prescribed.

Inspection of recognized institution and removal of defects.

16-D. (1) The Director may cause a recognized of institution to be inspected from time to time.

(2) The Director may direct a management to remove any defect or deficiency found on inspection or otherwise.

(3) If the management fails to comply with any direction made under sub-section (2), the Director may after considering the explanation or representation, if any, given or made by the management—

(*a*) refer the case to the Board for withdrawal of recognition ; or

(*b*) recommend to the State Government to proceed against the institution under sub-section (4).

(4) If on the receipt of a recommendation under sub-section (3) the State Government is satisfied that—

(*a*) the affairs of the recognized institution are being mismanaged ; or

(*b*) the management of the institution has wilfully or persistently failed in the performance of its duties ; or

(*c*) the institution is being conducted otherwise than in accordance with the Scheme of Administration ; or

(*d*) the draft of the Scheme of Administration has not been submitted within the time allowed.

It may by order make provision—

(i) for exercising control over such institution by authorizing any person (hereinafter referred to as an "Authorized Controller"), to exercise with respect to such institution and its management for such period as may be specified by the Government such functions of control as may be specified in the order, and on the making of such order the institution and its Management, as the case may be, shall, so long as the order continues in force, be conducted and carried on in accordance with any direction given by the Authorized Controller in accordance with the provisions of the order, and every person having any function of Management of such institution shall comply with such directions ; and

(ii) for any incidental or supplementary matter which appears to the State Government necessary or expedient for the purpose of the order.

The period for which an order under this sub-section is made may be extended by the State Government from time to time :

Provided that it will be lawful for an institution to submit a draft of the Scheme of Administration and for the Director to approve it with or without modification in accordance with the provisions of section 16-C, in so far as they are applicable, and on the approval of the said scheme, the order made under this sub-section in pursuance of clause (*d*) shall be withdrawn.

(5) Where the Management or any person having any function of management does not comply with or refuses to carry out any direction given by the Authorized Controller under and in accordance with the order under sub-section (4), the Authorized Controller may, with the previous approval of the State Government and for such period as the State Government may fix, take over the management of the institution including management of the land, buildigs, funds and other assets belonging to or vested in the institution, to the exclusion of the Management or any such person and whenever the Authorized Controller so takes over the management, he shall, subject only to such restrictions as the State Government may impose, have in relation to the management of the institution all such powers and authority as the Management would have if the institution were not taken over under sub-section (4) or this sub-section.

(6) No person who is appointed Authorized Controller under clause (*i*) of sub-section (4) shall be personally liable for acts done by him in good faith in performance of the duty entrusted to him.

(7) Any order made or directions given under sub-section (4) shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or instrument relating to the Management and control of the institution.

(8) No order made by the Board withdrawing recognition under clause (*a*) of sub-section (3) and no order made or dire tion given under sub-section (4) or (5) shall be called in question in any Court.

(9) The powers conferred by this section shall be in addition to and not in derogation of any powers conferred on the State Government or the Authorized Controller under any other law.

Appointment of Teachers.

16-E. (1) Qualifications for appointment as Principals, Headmasters and teachers of different subjects at different stages of the course shall be prescribed by regulations :

Provided that the Board may after considering the report of the Director exempt any person from the requirements of minimum qualifications having regard to his experience, education and other attainments.

(2) There shall be constituted in every recognized institution a selection committee for the purpose of

selecting candidates for appointment as teachers in the institution. The head of the institution shall be an *exofficio* member of the committee.

(3) There shall likewise be constituted a selection committee of three members for the selection of Principal or Headmaster of the institution. The Committee shall include as member a person not belonging to the district in which the institution is located, selected by the Committee of Management out of the Regional Panel referred to in sub-section (4).

(4) The Director shall prepare for each region a panel of persons to act as nominated members in the selection committee referred to in sub-section (3).

(5) The constitution of the Selection Committee referred to in sub-sections (2) and (3), the conduct of business at their meetings, the preparation of Regional panels and other matters shall be prescribed by Regulations.

[16-F. (1) No person shall be appointed as a Principal Headmaster or Teacher in a recognized institution unless he—

(*a*) possesses the prescribed qualifications or has been exempted under sub-section (1) of section 61-E,

(*b*) has been recommended by selection committee constituted under sub-section (2) or (3), as the case may be, of the said section and approved, in the case of Principal or Headmaster, by the Regional Deputy Director of Education, and in the case of a Teacher, by the Inspector.]

16-F. (1) Subject to the provisos hereinafter specified no person shall be appointed as a Principal, Headmaster or Teacher in a recognized institution unless he—

(*a*) possesses the prescribed qualifications or has been exempted under sub-section (1) of section 16-E,

(*b*) has been recommended by selection committee constituted under sub-section (2) or (3), as the case may be, of the said section and approved, in the case of Principal or Headmaster by the Regional Deputy Director of Education, and in the case of a Teacher by the Inspector :

Provided that if the Inspector is satisfied that for any institution no candidate, who possesses all the

prescribed qualifications, is available for appointment he may permit the institution to employ as a temporary measure any suitable person for a period not exceeding one year. Such period may be extended with the prior approval of the Inspector :

Provided also that in the case of leave vacancy or of a vacancy occurring for a part of the session of the institution it shall be lawful for the Committee of Management to appoint a Principal, Headmaster or Teacher if information of such an appointment is immediately conveyed to the Inspector.

(2) The names of selected candidates shall be forwarded for approval, in the case of a Teacher, by the Principal or Headmaster to the Inspector, and, in the case of Principal or Headmaster, by the Chairman of the Selection Committee to the Regional Deputy Director of Education. A statement showing the names, qualifications and other particulars as may be prescribed, of all candidates who may have applied for selection shall also be sent along with the name of the selected candidates. The Inspector or Deputy Director, as the case may be, shall give his decision within two weeks of the receipt of the relevant papers, failing which approval shall be deemed to have been accorded.

3 Where the Regional Deputy Director of Education or the Inspector, as the case may be, disapproves for reasons to be recorded in writing of any name proposed under sub-section (1), the Management may, within three weeks of the receipt of the disapproval, make a representation against it to the Director the case of a Principal or Headmaster and to the Regional Deputy Director of Education in the case of a Teacher, and the decision of the Director or the Regional Deputy Director as the case may be in the matter shall be final.

4 Where the recommendation made under sub-section (2) has been disapproved and the representation of the Management, if any, under sub-section (4) has been rejected, the Selection Committee shall proceed to select and recommend another name for approval as provided under sections 16-E and 16-F. If the selection so made is again disapproved and the representation, if any, against the disapproval has not been accepted, the Regional Deputy Director in case of a Teacher and the Director in case of a Principal or Headmaster may appoint any qualified

person out of the list of the candidates applying for the vacancies and such appointments shall be final.

16-G. (1) Every person employed in a recognized institution shall be governed by such conditions of service as may be prescribed by Regulations and any agreement, between the Management and such employee in so far as it is inconsistent with the provisions of this Act or with the Regulations shall be void.

Conditions of service of teachers.

(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1) the Regulations may provide for—

(*a*) the period of probation, the conditions of confirmation and the procedure and conditions for promotion and punishment, including suspension pending enquiry and the emoluments for the period of suspension and termination of service with notice,

(*b*) the scales of pay, and payment of salaries,

(*c*) transfer of service from one recognized institution to another,

(*d*) grant of leave and Provident Fund and other benefits, and

(*e*) maintenance of record of work and service.

(3) (*a*) No Principal, Headmaster or Teacher may be discharged or removed or dismissed from service or reduced in rank or subjected to any diminution in emoluments, or served with notice of termination of service except with the prior approval in writing of the Inspector. The decision of the Inspector shall be communicated within the period to be prescribed by regulations.

(*b*) The Inspector may approve or disapprove or reduce or enhance the punishment or approve or disapprove of the notice for termination of service proposed by the Management :

Provided that in the cases of punishment, before passing orders the Inspector shall give an opportunity to the Principal, the Headmaster or the Teacher to show

cause within a fortnight of the receipt of the notice why the proposed punishment should not be inflicted.

(*c*) An appeal against the order of the Inspector under clause (*b*) may be made to the Regional Appellate Committee constituted under clause (*d*) within one month from the date of such order being communicated to the parties concerned and the Regional Appellate Committee may after such enquiry as he considers necessary confirm the order or set aside or modify it, and the order passed by the Regional Appellate Committee shall be final.

(*d*) Subject to Regulations the Regional Appellate Committee in each region shall consist of—

(1) The Regional Deputy Director of Education, who will be the President of the Committee,

(2) a Member of the State Manager's Association nominated by that Association,

(3) a Member of the U. P. Secondary Education Association nominated by the Association.

(4) An order made or decision given by the competent aurhority under sub-section (3) shall not be questioned in any Court and the parties concerned shall be bound to execute the directions contained in the order or decision within the period that may be specified therein.

(5) In this section and in section 16-F the powers conferred on or the duties assigned to the Inspector and the Regional Deputy Director of Education shall, in the case of an institution for girls be respectively exercised or discharged by the Regional Inspectress of Girls, Schools and the Deputy Director of Education (Women).

Exemption of certain classe of-istitutions from the operation of certain sections.

16-H. (1) The provisions of sections 16-A, 16-B, 16-C, of sub-sections (2) to (7) of section 16-D and of sections 16-E, 16-F and 16-G shall not apply to recognized institutions maintained by the State Government or the Central Government.

(2) In the case of recognized institutions maintained by a local body the State Government may declare

that all or any of the provisions referred to in sub-section (1) shall not apply or shall apply subject to such alterations, modifications or additions as it may make.

16-I. Subject to the approval of the State Government the Director may, by a notification in the official *Gazette*, delegate all or any of the powers conferred upon him by or under this Act, except the powers which he exercises as Chairman of the Board, to an officer or officers of the Education Department not lower in rank than a Deputy Director of Education.

श्री गौरी शंकर राय—श्रीमन्, मैं खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16-A—(1) की पंक्ति १५ में "two teachers thereof" के पश्चात् "who shall be selected....prescribed by regulations" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"Who shall be selected amongst the teaching staff by majority of votes with secret ballots."

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत निर्दोष संशोधन है। जो विद्यालयों के दो अध्यापक होंगे उनको चुन लिया जाय और चुनाव का तरीका वही साधारण होगा जो कि बहुमत से चुन लिया जाता है और वह सिक्रेट बैलेट से होगा ताकि लोग अपनी राय फ्रीली दे सकें। इसके सम्बन्ध में अभी मैंने निवेदन किया कि अध्यापकों में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने मामले को बहुत फ्रैंकली और ठीक से कह सकते हैं मैनेजमेंट कमेटी के लोगों के सामने और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रबन्ध समिति के लोगों के सामने अपनी बातें ठीक से नहीं कह पाते हैं और लड़ नहीं पाते हैं। उनके विषय में प्रबन्ध समिति के लोगों की इच्छा के अनुसार ही फैसला हुआ करता है। इस वजह से वहां दो चुने हुये अध्यापक होने चाहिये। इसमें कोई पार्टीबाजी पैदा नहीं होगी। इस तरह से किसी अध्यापक को प्रबन्ध समिति के लोगों का कोप-भाजन बनने का अवसर भी नहीं आयेगा। अगर वह वहां जायगा और अपने हक के लिये लड़ेगा तो कोपभाजन भी जरूर बनेगा और तब उसका नुकसान होने की सम्भावना होगी। अब जो ये जायेंगे तो अध्यापकों के इन्टरेस्ट को रिप्रेजेन्ट नहीं करेंगे। इसलिये यह विवाद की बात नहीं है इसलिये कि जो चुनाव होगा वह सही होगा। इस तरह से अध्यापकों को प्रबन्ध समिति स्थान देना भी सार्थक होगा।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। अभी तक का जो अनुभव शिक्षा संस्थाओं के विषय में आज हम देखते हैं उसमें सब से बड़ी परेशानी मैनेजमेंट के सामने अनुशासनहीनता की है। अभी तक हम यह करते चले आये हैं कि प्रिन्सिपल और एक टीचर सीनियारिटी से कमेटी में शरीक होता है। अब उस एक नम्बर को बढ़ा कर दो कर दिया गया है। आज अगर यह तसलीम कर लेते हैं कि वह जो टीचर होंगे वह सीनियारिटी से नहीं बल्कि चुनाव से होंगे तो उससे यह नतीजा निकलेगा कि शिक्षा संस्था के टीचरों में चुनाव की प्रतिस्पर्धा हो जायगी। जैसे रोजाना राजनीति दूसरी जगह रहती है वह इन शिक्षा संस्थाओं में भी आ जायगी। आज हम लोग हर प्रकार से सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंच पाये हैं कि हमें शिक्षा संस्थाओं से जहां तक सम्भव हो इस राजनीति को निकालना चाहिये। यह गौरीशंकर राय जी का संशोधन ऐसा है जो शिक्षा संस्थाओं में राजनीति को भर देगा। प्रत्येक दल इस प्रयत्न में रहेगा कि किसी प्रकार से

उस दल का व्यक्ति चुना जाय। उन्होंने दलील दी कि कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट के सामने अपना केस फ़ोली जाहिर नहीं कर सकते और उनको साहस नहीं होता है कि वे जाहिर कर सकें और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बात जाहिर कर सकते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि जो सीनियर टीचर होगा, जिसको अनुभव होगा, वह अपनी राय जो जाहिर नहीं कर सकता। एक बात जरूर हो सकती है कि कुछ नये अध्यापक होते हैं जो केवल राजनीति में रहते हैं, जो बोलने का शौक रखते हैं, उनको वहां जाने का मौका मिल जायगा।

इसलिये, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—उग्रसेन जी, आप अपना संशोधन पेश न करें क्योंकि गौरीशंकर राय जी का संशोधन व्यापक है। उसी पर आप बोलें।

श्री उग्रसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन दिया था उसका आशय माननीय गौरीशंकर राय जी के संशोधन से पूरा हो जाता है। इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि जैसी प्रवर समिति से निकली हुई धारा १६-ए है, उसके अनुसार वही टीचर्स सेलेक्ट किये जायंगे जो कि सीनियारिटी के हिसाब से आयेंगे। तो, श्रीमन्, इसमें एक अनियमितता हो सकती है कि जो अध्यापक मनोनीत किये जायं उन पर अन्य अध्यापकों का विश्वास न हो, सही माने में अध्यापकवर्ग का वह प्रतिनिधित्व न कर सकता हो। इसलिये भारतीय संविधान के अनुसार जो अधिकार आम चुनाव का, बालिग मताधिकार का और सीक्रेट बैलट का हमें मिला है, अगर उसके अनुसार उनका चुनाव हो जाय तो सही माने में अध्यापक अपना प्रतिनिधित्व उसमें कर सकेंगे। श्रीमन्, ऐसा देखा जाता है और मैं भी कुछ दिन अध्यापक रहा हूं बम्बई में और यहां, और मेरा अनुभव है कि एक जगह जहां मैं था, अध्यापकों की तीन माह की तनख्वाह बाकी थी। जब मैंने उनसे कहा कि सब मिल कर प्रिंसिपल साहब से कह दें कि हमारा वेतन दे दिया जाय तो, हालांकि उनके पास तरकारी खरीदने के लिये पैसे नहीं रहे थे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि हमारे साथ प्रिंसिपल साहब के पास जायं और अपना बकाया वेतन मांगें। मैं देखता हूं कि मैनेजमेंट के जो खास लोग होते हैं मैनेजिंग कमेटी उन्हीं लोगों को रखना चाहती है ताकि कोई विरोध न रहे। सही माने में जब अध्यापकों की बात उठायी जाती है उस कमेटी में तो जो लोग उनके प्रतिनिधि होते हैं, उनको पहले से आदेश रहते हैं और वे वैसी ही बात करते हैं कि जो मैनेजमेंट चाहता है। इस तरह से अध्यापकों के अधिकारों का हनन होता है और वे सही मानों में अपनी मांगें नहीं रख सकते। अगर वह रखें तो ऐसी बहुत सी जगहें हैं कि जहां ऐसा किया गया, अपने हक की बात उन्होंने मैनेजिंग कमेटी में रखी और उनको अधिकारीवर्ग का कोपभाजन होना पड़ा है और दंडित होना पड़ा है। ऐसी-ऐसी अनियमितताये स्कूलों में हैं कि कागज पर अध्यापक १५० रुपया तनख्वाह पाता है, लेकिन वास्तव में उसे ८० रुपया ही मिलता है और उसे १५० पर दस्तखत करने पड़ते हैं और उसकी स्वीकृति उस अध्यापक से करा ली जाती है जो मैनेजिंग कमेटी में उनका प्रतिनिधि होकर बैठा है। तो यह आधारभूत चीज है। माननीय मंत्री जी चले गये हैं, माननीय उपमंत्री जी बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इसके मानने में उन्हें क्या कठिनाई है। यह रोडवेज कंडक्टर्स या ड्राइवर्स का सवाल नहीं है कि जो उनकी सीनियरिटी और मेरिट देखी जाय। जो पुराने अध्यापक हैं उनके साथ एक और कठिनाई है। वह काफी सीनियर हैं और दो, चार या पांच साल में रिटायर होने वाले हैं। तो किसी भी सूरत में वे अधिकारियों से अध्यापकों के लिये कोई झगड़ा नहीं लेना चाहते। यह उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वे झगड़ा ले लेंगे तो उनके रिटायरमेंट में मैनेजमेंट दखल दे देगा और इस तरह से वे सही माने में अपने और अध्यापकों के स्वार्थ की बात नहीं कर सकते।

दूसरे, माननीय मंत्री जी ने बड़ी लच्छेदार भाषा में अध्यापकों का गुणगान किया और वह सब अखबारों में जब निकलेगा तो अध्यापक उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करेंगे, लेकिन हम

[श्री उग्रसेन]

जब कहेंगे कि "विष रस भरा कनक घट जैसे", उसमें कुछ नहीं है तो वह हमारा मुंह नोच लेंगे। अभी हमारे एक विधायक मित्र ने कहा कि अनुशासनहीनता आ जायगी यदि हमारे अध्यापक चुनाव के द्वारा, सोक्रेट बैलट के द्वारा, कमेटी आफ मैनेजमेंट में जायं। यदि ऐसा हुआ तो विद्यालयों में अनुशासनहीनता आ जायगी। अनुशासन शब्द एक बहुत ही व्यापक शब्द है। यह एक रिलैटिव टर्म है। अनुशासन भी दो तरह का होता है एक पूंजीवादी अनुशासन और दूसरा सर्वहारा वर्ग का अनुशासन। इस सर्वहारा अनुशासन और पूंजीवाद अनुशासन में बड़ा फर्क है। मैनेजर के सामने उसका अनुशासन क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां बड़े-बड़े विद्यालय हैं। तो वहां अनुशासन क्या है? अगर वह मैनेजर साहब के लड़के को खिला आता है या शाम को फोकट में जाकर पढ़ा आता है तो वह बड़ा अनुशासनप्रिय है। यह पूंजीवादी अनुशासन है, जिसकी माननीय जगदीश जी ने चर्चा की। यदि कहीं वह इंकार कर दे तो चाहे जैसा अच्छा वह स्कूल में पढ़ाता हो, वह अनुशासनहीन है। लेकिन अगर उसको उसका हक दिया जायगा तो अवश्य ही वह अनुशासनप्रिय होगा।

श्रीमन्, इसके लिये बर्मा में एक बहुत ही लम्बा चौड़ा विधेयक है। वहां पर मिनिमम वेजेज नियत हैं। यहां बी० ए० के लिये वेतन ८० रुपये हैं और एम० ए० के लिये १५० रु० हैं, लेकिन मिलते उनको १०० रुपया ही हैं लेकिन बर्मा में उसके लिये वेजेज फिक्स्ड हैं। यहां पर उसको क्यों निर्धारित नहीं किया जाता है? श्रीमन्, बर्मा में अपर प्राइमरी स्कूल का अध्यापक ११४–१२८ रुपया माहवार पाता है और २८ लड़कों को वह पढ़ाता है। बर्मा के प्रधान मंत्री थाकिन नू जैसे अध्यापकों की इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे यहां शाम को मास्टर लोग क्लर्क से ६ आना पैसा मांगते हैं तरकारी खरीदने के लिये। अगर दो रुपया मांग लिया तो अनुशासन टूट गया। आम जनता को डेमोक्रेसी ने यह हक दिया है कि उसको मजदूरी दी जाय। अगर उसको उसका हक नहीं दिया जायगा तो जनता अनुशासनहीन बनेगी और अगर जनता को उसका हक दिया जायगा तो वह अनुशासित होगी। जैसा कि हमें देखने में आता है...

श्री जगदीश प्रसाद—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रक्रिया नियमावली की धारा १०६ के अनुसार आपने वादविवाद करने की आज्ञा दी है और इसको सीमित किया है। उसी के अनुसार संशोधन के पक्ष में केवल प्रस्तुत करने वाला ही बोल सकता है। वह इस प्रकार है :—

"इस प्रक्रम पर किसी भी प्रस्ताव या संशोधन पर वादविवाद न होगा, अतिरिक्त इसके कि प्रस्ताव या संशोधन प्रस्तुत करने वाले और उसका विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और तदनन्तर प्रश्न यथास्थिति उपस्थित किया जायगा या किये जायंगे।"

यानी, संशोधन प्रस्तुत करने वाले और उसका विरोध करने वाले के अतिरिक्त किसी को भी अनुज्ञा नहीं दी जा सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष—आपने संशोधन प्रस्तुत करने वाले का मतलब यह लगाया कि इस विधेयक में संशोधन प्रस्तुत करने वाला। संशोधन प्रस्तुत कर्ता हैं शिक्षा मंत्री, जो मूल अधिनियम में संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं या उसका अर्थ यह भी हो सकता है कि माननीय शिक्षा मंत्री के प्रस्ताव में फिर से जनमत को घुमाने या फिर से प्रवर समिति को भेजने का संशोधन, ऐसा संशोधन सामने नहीं है। मैंने शिक्षा मंत्री और विरोधी पक्ष की तरफ से श्री गौरीशंकर राय को बोलने की इजाजत दे दिया है। मैंने नियम का पूर्णतः पालन किया है। आपको भ्रम हो गया कि हर संशोधन प्रस्तुतकर्ता को मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है।

श्री उग्रसेन—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा था कि जब जनता को उसकी मांगें मिल जाती हैं तो वह अनुशासनप्रिय हो जाती है, लेकिन जब प्रदेश की जनता भूखों मरती है तो वह धड़ाधड़ दूकानें लूटती है जैसा कि हाथरस, तमकुही, आगरा और फर्रुखाबाद में हुआ है। क्या इंगलैण्ड में ऐसा देखा जाता है कि कोई दूकान लूटी गयी हो, जब ईडन के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ था तो क्या वहां लाठी चार्ज या गोलीकांड हुआ था? इस प्रकार से सारे प्रदेश को यही सरकार अनुशासनहीनता सिखा रही है। अध्यापक और चाहते ही क्या हैं? वे अपना पेट पालना चाहते हैं, मैनेजिंग कमेटी में वह अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। अपने हकों की मांग कभी भी अनुशासनहीनता नहीं हो सकती। जब उनको उनकी मांगें मिलेंगी तो जैसा कि पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है— "आचार्य देवो भव" उसका स्थान सर्वोपरि होगा और जब उनका स्थान ऐसा होगा तो बच्चों में भी कभी अनुशासनहीनता नहीं आ सकती। जब भारतीय संविधान में चुनाव की प्रणाली है, जब गुप्त मतदान का प्रयोग है तो मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री जी ने यह चीज क्यों रखा कि नोमिनेट्स पर चुने हुये लोग ही जिन्हें नामिनेट करेंगे उन्हीं का सेलेक्शन किया जाय। इसमें सेलेक्शन का शब्द क्यों रखा गया है? क्यों नहीं उन्होंने रख दिया कि जितना भी उनकी मांगें होंगी, जितने भी पनिशमेंट होंगे, या उनके एप्वायंटमेंट्स होंगे, तमाम बातों पर मैनेजमेंट कमेटी को फैसला देना होगा? और अगर वे अध्यापक सहीं माने में अपने फर्ज को अदा नहीं करेंगे उस कमेटी में तो मैं समझता हूं कि उस विद्यालय में जितने काम करने वाले अध्यापक हैं सब का सर्वनाश हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम वे हमारे और माननीय गौरी शंकर राय जी के इस सुझाव को तो मान ही लें कि अध्यापकों के प्रतिनिधि का जो चुनाव होगा वह गुप्त मतदान द्वारा किया जायगा।

श्री नवल किशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि मैं श्री गौरी शंकर राय जी ने जो अपना संशोधन रखा है उससे सहमत नहीं हूं और उसका विरोध कर रहा हूं। इस समय जो दो स्पीचें मैंने माननीय उग्रसेन जी की और माननीय गौरी शंकर राय जी की सुनीं तो मैंने यह समझा कि उन दोनों के विचार में यह चीज है—एक तो उन्होंने यह समझ लिया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में संघर्ष ऐसा चीज होता है और चलता रहेगा, लिहाजा वे इस बात को मान कर चलें कि वहां संघर्ष है और वह बराबर चलता रहेगा। मैं इसके खिलाफ हूं। बार-बार माननीय गौरी शंकर राय जी बहुत हवाला देते हैं राधा कृष्णन् कमेटी की रिपोर्ट का, आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी रिपोर्ट का और बहुत से शिक्षा शास्त्रियों की रिपोर्ट का। मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने तमाम रिपोर्ट को देखा होगा तो एक बात में कामन, सब एकमत हैं और वह यह कि शिक्षा संस्थाओं में चुनाव की जो पद्धति है उसका कम से कम प्रयोग किया जाय। इसी वजह से आगरा यूनिवर्सिटी के अन्दर भी हमने एक संशोधन किया और यही बात हमने इलाहाबाद में की और यही लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्दर भी की। तो एक बात मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में और बहुत से काफी राजनीतिक अखाड़े हैं, मेहरबानी करके वह शिक्षा संस्थाओं को राजनीति का अखाड़ा न बनावें। जहां तक हो सके सब दलों का यह फर्ज है कि वे शिक्षा संस्थाओं को राजनीति का अखाड़ा होने से बचावें।

एक दूसरी बात हमारे भाई ने यह कही कि जो टीचर्स वहां जायेंगे और मैनेजमेंट के साथ बैठेंगे, वे डर के कारण कोई बात उनके सामने नहीं कह पायेंगे। मैं समझता हूं कि उन्होंने टीचरों के लिये कोई बहुत बड़ा कम्पलिमेंट नहीं दिया। आप यह मान कर चलते हैं कि सिर्फ चन्द टीचर्स को छोड़कर जो एजिटेटर्स हैं या जिनको टीचर्स पोलिटिशियन कहते हैं, इनके सिवा और कोई टीचर नहीं है जो मैनेजमेंट में जाकर कोई सही बात कर सके। मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ कि इस तरह का लांछन उनके ऊपर लगाया गया और जब कि वे स्वयं भी टीचर होने का दावा करते हैं।

एक बात माननीय उग्रसेन जी ने फरमायी कि जो टीचर्स प्रतिनिधि होंगे वे तो रोटेशन से ही होंगे इसलिये जो सीनियर हैं उन्हीं को वहां जाने का अवसर मिलेगा। वह अपने को बचाने

[श्री नवल किशोर]

के लिए हां में हां कहेंगे । मैं आपको बतलाऊं कि आज इस विधेयक द्वारा जब कि मैनेजमेंट के हाथ से जितने पोजिटिव पासिबिल पावर्स हैं, वे छीने जा रही हैं तो अब मैनेजमेंट के पास ऐसे कोई हानि पहुंचाने की ताकत नहीं रह जायगी कि इस तरह की धांधली चल सके । इस विधेयक के बाद अब ऐसे कोई चांस नहीं होंगे, इसलिये अब डरने की कोई बात नहीं है । उन्होंने जो स्पीच दी उससे मैं समझता हूं, और मेरा यह निश्चित मत है, कि अगर चुनाव के अध्यापकों के अन्दर डाला गया तो उससे पार्टीबाजी पैदा हो सकती है और उस पार्टीबाजी से अनुशासन नहीं बनता जरूर पैदा होगी । कई बार हमारे विरोधी दल के बहुत से साथियों ने और बहुत बड़े-बड़े नेताओं ने और अध्यापकों के ऐसोसियेशन ने इस बात को माना है कि अगर अध्यापक अपनी जगह सही हों तो आपका अनुशासन बहुत हद तक मजबूत रहेगा, अपनी जगह कायम रहेगा । अगर वे असंतुष्ट हैं तो वह अपनी जगह कायम नहीं रहेगा । अगर यदि टीचर्स को संतुष्ट करने का एक ही तरीका है कि वे अपना चुनाव कर लिया करें तो मैं समझता हूं कि यह धारणा बड़ी गलत है । जहां तक अनुशासन का प्रश्न है टीचर्स व स्टूडेंट्स के अन्दर वह यों ही बहुत काफी नहीं है और अगर हमने इस चुनाव की प्रथा को इसके अन्दर जोड़ दिया तो इससे उसके अन्दर बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी ।

मैं यह भी समझता हूं कि जो सीनियर अध्यापक हैं वे ज्यादा अनुभवी हैं, ज्यादा सोबर हैं । मैं समझता हूं कि बहुत से कंट्रोवर्सियल समस्यायें मैनेजमेंट के सामने आयेंगी ; उन पर सीनियर अध्यापक ज्यादा अनुभवी विचार और परामर्श दे सकेगा ।

कुछ उन्होंने इज्जत की बात भी कही कि बम्बई और बर्मा में बड़ी इज्जत होती है लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा बदकिस्मत सूबा है जहां उनकी निगाह में अध्यापक की इज्जत नहीं होती है । जहां तक यह संशोधन विधेयक है यह बात सही हो सकती है कि जितने अधिकार वे चाहते हों उतने उनको न मिले हों, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि यह संशोधन विधेयक अगर मुख्यतः किसी के हित में है तो वह हमारे अध्यापक वर्ग के हित में ही है और इसके द्वारा इस बात की कोशिश की जा रही है कि उसकी इज्जत को बढ़ाया जाय ।

मेरे भाई ने कुछ संकेत किया कि दूकानें लूटी जाती हैं, लूटमार होती है । यद्यपि, अध्यक्ष महोदय, उसका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है और मेरा विश्वास है कि किसी टीचर ने न लूटमार की है और न कोई दूकान लूटी है, मालूम नहीं बाहर से उनके क्या कुछ कारण हैं लेकिन इतनी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह भी हम सब समझते हैं कि दूकानें क्यों लुटती हैं, किसके इशारे पर लुटती हैं, उसके पीछे कौन सी शक्तियां काम करती हैं । अगर उनकी यह इच्छा है कि शिक्षा संस्थायें तरक्की करें तो मैं हाथ जोड़ कर उनसे प्रार्थना करूंगा कि उनकी जो बड़ी-बड़ी स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं उनको वे कृपया कहीं न इस्तेमाल करें, लेकिन जो शिक्षा संस्थायें हैं, जिनको आधार शिला मानते हैं इस राष्ट्र, देश व प्रदेश को बनाने के लिये उनके ऊपर कृपा करके प्रयोग न करें ।

अन्त में पुनः मैं इस बात पर आता हूं कि गौरीशंकर राय जी हमारे बड़े संवैधानिक साथी हैं और मैं जानता हूं कि किसी भावावेश में आकर उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव रख दिया है वे संजीदगी के साथ अगर सोचेंगे तो मुझे विश्वास है कि वे अपने संशोधन को जरूर वापस ले लेंगे ।

*श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सरकारी पक्ष की ओर से माननीय नवल किशोर जी की कुछ बातें उस संशोधन के सम्बन्ध में सुनी जो माननीय उग्रसेन व माननीय गौरीशंकर राय जी ने उपस्थित किया । मुझे उनकी बातों में कोई तथ्य दिखाई नहीं दिया । एक बात जरूर है कि किसी पिटी जो कुछ मान्यतायें वे अपने मन में रखे हुये हैं उन मान्यताओं के बल पर वे अपने विचार प्रकट कर दिया करते हैं । मैं उनसे नम्र

*वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया ।

निवेदन करूंगा कि कम से कम वे मान्यतायें वे अपने दिमाग से हटा दें और इस नये युग में परिवर्तित मान्यताओं के साथ, जिनका कि मंत्री जी ने बड़ा दावा किया है, वे अपने मस्तिष्क को ढालें और उन पर विचार करें तो शायद वे इस संशोधन का विरोध नहीं करेंगे ।

माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि सीनियर अध्यापक बहुत ही अनुभवी, योग्य और विचारक होता है । सवाल इस बात का नहीं है कि सीनियर अध्यापक कैसा होता है, विवाद तो इस बात पर चल रहा है कि अगर अध्यापकों द्वारा चुन कर दो प्रतिनिधि मैनेजिंग कमेटी में आ जायं तो कौन सी धरती धंस जायगी और गगन फट जायगा ।

(इस समय ३ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

मैनेजमेंट का क्रोध हमेशा किस पर उतरता है, अगर इस बात को देखा जाय तो स्पष्ट सी बात है, जिससे माननीय नवल किशोर जी भी सहमत होंगे, कि यह देखा गया है कि हमेशा मैनेजमेंट के क्रोध का शिकार कोई हुआ है तो प्रारम्भ के या नये नियुक्त किये हुये मास्टर होते हैं या वे अध्यापक होते हैं जो अपनी जगह पर कन्फर्म नहीं हुये हैं। सीनियर मास्टर जो वाइस प्रिन्सिपल हो या वाइस प्रिन्सिपल के स्थान का उम्मीदवार हो मैं समझता हूं कि उनके साथ हमेशा मैनेजमेंट का सहयोग होता है और वह भी मैनेजमेंट के साथ हां में हां मिलाकर चलते हैं । तो यह जो माननीय सदस्यों ने संशोधन रखा है बहुत ही विचारणीय है । मेरा विचार है कि अगर अध्यापकों के प्रतिनिधि मैनेजिंग कमेटी में चुनाव की पद्धति से रखे जायंगे, सीनियारिटी से नहीं, तो जो क्रोध उन पर उतरता है या अन्याय होता है उसका वे समाधान कर सकेंगे ।

यह कहा गया कि इससे उनके अन्दर अनुशासनहीनता बढ़ेगी; तो वह तो अन्दर से बढ़ सकती है, बाहर से अनुशासन उन पर लादा नहीं जा सकता । प्रदेश में सरकार की ओर से बहुत से कानून बने हुये हैं जिनमें स्पष्ट कहा गया है कि ऐसा न किया जाय, लेकिन वह बात लागू नहीं हो पाती । चाइल्ड मैरिज ऐक्ट बहुत दिनों से लागू है, लेकिन जनता के मस्तिष्क पर उसकी धाक नहीं जम सकी, जिससे मुल्क के अन्दर उसको मान्यता नहीं दी जा रही है और न ही उसकी प्रतिष्ठा हो रही है । इसी प्रकार से मैं निवेदन करूं यह विचार किया जाना कि चुनाव होगा, मास्टरों में तो अखाड़ेबाजी होगी, अनुशासनहीनता बढ़ेगी और मुल्क भर में अनुशासन हीनता फैल जायेगी ....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अब आप अपना भाषण दूसरे रोज के लिये रखें । ४ बजे का समय हो चुका है । अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर विचार होगा ।

हाथरस, जिला अलीगढ़, में गल्ले की लूट के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--प्वाइंट आफ आर्डर । कई स्थानों पर कहीं पर ट्रक्स पर से, कहीं पर बैलगाड़ियों पर से और कहीं पर दूकानों से अनाज लूटा गया और इन सब बातों की वजह से वहां पर कुछ लोग अरेस्ट हुये । कल तक जो इत्तला थी वह यह कि ९२ आदमी अरेस्ट हुये हैं, लेकिन आज हमको यह मालूम हुआ कि ११६ आदमी पकड़े जा चुके हैं और ११६ आदमी महज पकड़े नहीं गये हैं बल्कि उनके खिलाफ चार्जशीट लगा दी गई है और मामला अदालत में है और मैजिस्ट्रेट के सामने ५६ आदमी जा चुके हैं । यह इत्तला है जो मुझे आज मिली है, जो कि कल मुझे नहीं थी और जिसकी इत्तला मुझे आज देनी है ।

श्री अध्यक्ष--आपका कहना है कि यह मामला सब-जुडिस है ?

श्री सैयद अली जहीर--मेरी गुजारिश यह है कि जहां तक हाथरस के वाकये का ताल्लुक है जिसके मुताल्लिक यह एडेजर्नमेंट मोशन था वहां तो यह मामला सब-जुडिस हो गया है। यह तमाम बातें कि आया यह जो लूटमार हुई यह किस वजह से हुई, इसके पीछे कौन लोग हैं और यह क्या सही है, यह वाकई वालेंटरी है या आर्गेनाइज्ड है, सब बातें ऐसी हैं कि जो उस मुकदमें में, जिस वक्त कि मुकदमा चलेगा, उसमें गालिबन दरपेश हो जायंगी। तो मेरी पहली गुजारिश यह है कि जहां तक इस मामले का ताल्लुक है चूंकि यह अब सबजुडिस हो गया है लिहाजा अब इसको यहां पर लेना आप मुनासिब न समझेंगे। मैं इसी सिलसिले में एक रूलिंग हाउस आफ दी पीपुल की आपके सामने पेश कर देना चाहता हूं जिसमें कि एक वाकया हुआ था जिसके ऊपर माननीय अध्यक्ष ने ऐजर्नमेंट मोशन स्वीकार कर लिया था और उन्होंने यह कहा था कि इस मामले के ऊपर कल बहस होगी। लेकिन दूसरे दिन जब बहस का वक्त हुआ ४ बजे तो उस वक्त लीडर आफ दी हाउस ने अध्यक्ष को यह इत्तला दी कि चार्जशीट मैजिस्ट्रेट के सामने जा चुकी है और उस चार्ज शीट के जाने की वजह से वह मामला जिसके ऊपर बहस होने को थी वह सब जुडिस हो गया। तो बावजूद इसके कि वह उसको ऐडमिट कर चुके थे उन्होंने यह फैसला किया--

"It cannot be moved under the circumstances now disclosed. Yesterday I admitted the motion and directed that it should be taken up to-day as the demands for grants of the Railway Budget had to be passed. To-day we are informed by the Honourable the Leader of the House that as a matter of fact, the subject-matter of the motion is now *sub judice* as a charge-sheet has been put up before the Magistrate in connection with the case.

The Leader of the House has made it clear that charge-sheet has been filed and the Magistrate has taken cognizance of the case under section 190 of the Criminal Procedure Code. Therefore, the matter is *sub judice* and cannot be discussed in the House."

तो मैं यह अर्ज करूंगा कि यह जो रूलिंग है यह बिलकुल इसी तरह के सर्कमस्टांसेज में हुई थी और कल हम आपको इत्तला नहीं दे सकते थे। लेकिन कल और आज के दरमियान में यह नया वाकया हुआ। तो इस बुनियाद पर यह ऐजर्नमेंट मोशन ऐडमिसिबिल नहीं है।

एक और गुजारिश है कि अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाय कि अनाज के मामले पर बहस का जहां तक ताल्लुक है उसका वह हिस्सा अलग करने की कोशिश की जाय उससे कि जो हाथरस में वाकया हुआ और जो मामला कि सब जुडिस हो गया, तो उसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज करूंगा कि हमारे रूल्स में जो क्लाज है ऐजर्नमेंट मोशन का उसमें यह लिखा है कि ऐसे मामलों के ऊपर ऐजर्नमेंट मोशन नहीं आ सकता जिसके ऊपर कि बहस उसी सेशन में पहले हो चुकी हो। रूल ७०, क्लाज ५, इस प्रकार है--

"The motion shall not revive discussion on a matter which has been discussed in the same session."

तो जनरल फूड सिचुएशन के मुताल्लिक बहस हो चुकी है और हाथरस जाहिर है कि इसी सूबे में शामिल है और जो हमारे सूबे की सिचुएशन और जगह की बाबत है हाथरस की भी वैसी ही है। उसमें कोई खसूसियत अगर है तो वह यही कि वहां के मुताल्लिक एक वाकया कहा जा सकता है और अगर उस वाकये के ऊपर बहस नहीं हो सकती कि वह सबजुडिस है तो उस जगह की फूड सिचुएशन जो और जगहों से मुख्तलिफ नहीं हो सकती, उस पर भी बहस नहीं हो सकती; और जगह की जो फूड सिचुएशन है उसके ऊपर इस सदन में बहस हो चुकी है और गालिबन और बहुत से मौके आयेंगे जब कि उसके ऊपर बहस हो सकेगी। तो इस ऐजर्नमेंट मोशन को इस बुनियाद पर नहीं लिया जा सकता है कि एक तो यह सब-जुडिस है और वह इस बुनियाद पर भी कि जहां तक फूड सिचुएशन की बात है उसके ऊपर पहले ही बात-चीत हो चुकी है। तो इन दोनों बुनियादों पर आप यह देखेंगे कि इसके ऊपर आज यहां डिसकशन होना किसी तरह से मुनासिब नहीं होगा।

श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वैधानिक आपत्ति माननीय खाद्य तथा न्याय मंत्री जी ने उठायी है उसे सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। पहले तो मैं स्वयं एक व्यवस्था का प्रश्न इस वैधानिक प्रश्न के सम्बन्ध में करना चाहता था कि जब अध्यक्ष महोदय दो व्यवस्थाएं दे चुके कल, पहले यह कि यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव वैध है और दूसरी यह कि इसे सदन की स्वीकृति भी मिल गई है, उसके बाद अध्यक्ष महोदय की इस व्यवस्था के विरुद्ध व्यवस्था का प्रश्न उठाना कहां तक ठीक है। लेकिन इस समय जिस तरह से सरकार टेक्नीकैलिटीज की शरण लेना चाहती है मैं उस तरह से टैक्नीकैलिटीज की शरण नहीं लेना चाहता। अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं मान लेता हूं कि उनको यह प्रश्न उठाने का अधिकार है।

उन्होंने अपने लम्बे भाषण में जो आपत्ति उठायी उसमें विचारणीय बातें केवल दो कहीं। एक तो यह कि यह सब-जुडिस है और दूसरी यह कि क्योंकि इस विषय पर पहले भी बहस हो चुकी है और कोई बात हाथरस में नई नहीं हुई है, इसलिये इन दो कारणों से इसका लेना वैध न होगा। उनके सम्बन्ध में मुझे आपसे निवेदन करना है। पहली बात तो यह है कि सबजुडिस मामला है हाथरस का। अगर कोई एक मामला सब-जुडिस है, वहां डकैती हुई, लोग मरे और पकड़े गये इसलिये हाथरस की और समस्याओं का सार्वजनिक समस्याओं पर जिनका कि डकैती से विशेष सम्बन्ध न हो क्या इस सदन में केवल इसलिये बहस नहीं हो सकेगी कि क्योंकि वह मामला सब-जुडिस हो गया है? जो आदमी गिरफ्तार किये गये, उन्होंने जुर्म किया है या नहीं किया है यह चीजें सबजुडिस हो सकती हैं लेकिन हाथरस में किन परिस्थितियों में लूट की परिस्थिति आयी उसका जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलू है वह किसी न्यायालय के विचाराधीन नहीं है और हम इस सदन में जिस बात पर विचार करना चाहते हैं वह केवल इतनी है कि वह क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई हाथरस में और जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई नई बात नहीं है। हाथरस में नई बात यही हुई अब तक जो प्रदेश में कहीं नहीं हुई थी कि हाथरस में खाद्य की कमी और सस्ते गल्ले की जो दुकानें खुली हैं उनसे कम गल्ला मिलने से, गांव में सस्ते गल्ले की दुकानें न खुलने के कारण गल्ले की लूट शुरू हो गई है। लूट करायी गई, किसका अपराध है या नहीं, यह विचार नहीं करना है। विचार यह करना है कि वहां ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गई जिससे लूट करने की स्थिति आयी .....

श्री अध्यक्ष—आप संक्षेप में कहिए।

श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल—यह परिस्थिति जो आज हाथरस में पैदा हो गई है यह प्रदेश भर में पैदा हो सकती है। इस पर कभी विवाद नहीं हुआ है। इसलिये हाथरस में नई बात भी हुई है और वह सबजुडिस भी नहीं है। इस पर विचार होना चाहिये। मैंने जो यह कहा कि जो हाथरस में हुआ है वह दूसरी जगह हो सकता है, तो मेरे पास इत्तला आयी है कि दूसरी जगह, आगरा और एटा में गल्ले की दूकानें लूटने की खबरें आयी हैं। यह परिस्थिति पैदा हो गई है। वहां तो कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। इसलिये विचाराधीन मामला केवल इतना है कि क्या परिस्थिति पैदा हुई है जिसकी वजह से लूट हुई है; किस तरह से प्रदेश भर में इस आग को फैलने से रोका जाय। केवल यह विचार करना है। इसलिये यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव अवैध नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री जी ने जो प्वाइंट आफ आर्डर उठाया है मैं समझता हूं कि उन्होंने मेरे ऐजर्नमेंट मोशन को पढ़ा ही नहीं। उसमें बहुत स्पष्ट है कि "सरकार की दुर्लक्ष्य और उदासीन नीति के कारण जो सिचुएशन डिटीरियोरेट कर रही है उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं।" उसके सारे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलू को हम डिस्कस करना चाहते हैं। हम यह नहीं डिस्कस करना चाहते हैं कि जो आदमी गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने जुर्म किया है या नहीं या कौन डाका मार कर

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]
चला गया । तो, श्रीमन्, मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि जिस बात को हम डिस्कस करना चाहते हैं उसको न्याय मंत्री जी ने ध्यान से नहीं रखा है और जो प्वाइंट आफ आर्डर उठाया है यह गलत है और आप हमको समय दें कि हम विवाद कर सकें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, माननीय यादवन्द्रदत्त दुबे जी और पालीवाल जी के प्रस्ताव हैं; वे चाहते हैं प्रशासन की नीति पर बहस करना। जैसा उन्होंने स्वयं कहा है और रूल ७०. . . ।

श्री अध्यक्ष—आप दोहरा रहे हैं। मैं समझता हूं, माननीय न्याय मंत्री जी ने यह बात कह दी है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—उन्होंने रूल ७० (६) की तरफ ध्यान नहीं आकर्षित किया है। श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि नियम ७० का जो भाग (६) है और जो यह एन्टीसिपेशन का कायदा है उनको भी यह प्रस्ताव भंग करता है क्योंकि आगे ३ तारीख को जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है उस पर बहस होने वाली है। उससे पहले यह नहीं आ सकता।

श्री अध्यक्ष—माननीय न्याय मंत्री जी ने दो एतराज किये हैं एक तो यह कि यह मामला सब-जुडिस है, दूसरे इस विषय पर बहस हो चुकी है यानी खाद्य समस्या पर और इस कारण से इस प्रस्ताव पर अब बहस नहीं हो सकती। तीसरे, अभी श्री दीपनारायण जी ने भी एक और एतराज किया कि एन्टीसिपेशन का जो हमारा नियम है उसको भी यह भंग करता है क्योंकि जो अविश्वास का प्रस्ताव आया हुआ है उस पर ३ तारीख को बहस होने वाली है, ३ तारीख उसके लिए निश्चित है, उसकी बहस में इस विषय पर बहस हो सकती है। इन तीन आक्षेपों पर मुझे विचार करना है।

जहां तक घटना सब-जुडिस होने का सवाल है जिसके कारण से आज प्रस्ताव पर बहस हो सकती है या नहीं ऐसा प्रश्न उठाया गया है। उस सम्बन्ध में, मैं पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह जो रूलिंग माननीय न्याय मंत्री जी ने मेरे सामने रखी उसमें यह स्पष्ट दिया हुआ है कि पुर्नविचार करके अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति नहीं दी और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी यह पद्धति है कि अगर अध्यक्ष की मंजूरी हो भी जाय और सदन भी अपनी अनुमति दे दे और बाद में कोई ऐसे वाकयात सामने आ जायं जिनसे कि बहस करना अवैध प्रतीत हो तो अध्यक्ष को अधिकार है कि वह बहस न होने दे। इसके यहां तक उदाहरण ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यवाही में हैं कि अध्यक्ष ने वहां स्वयं अपनी गलती कबूल करके कहा कि "मैंने गलती की कि मैंने इस प्रस्ताव पर यह इजाजत दी कि सदन की राय ली जाय।" जब ऐसे उदाहरण हैं तो मुझे स्वयं ही इसे अवैध करार देने का अधिकार है। पुर्नविचार का अधिकार मुझे और सदन दोनों को है। लेकिन अब हमें इस आक्षेप का औचित्य देखना है कि क्या यह मामला जिस पर बहस होने वाली है सब-जुडिस है। जो प्रस्ताव माननीय दुबे जी ने रखा था उन्होंने उसका जो हेतु है, जिस उद्देश्य से उन्होंने इसे रखा था उसे उन्होंने अभी स्पष्ट कर दिया। वह कहते हैं कि जो मामला सब जुडिस है, यानी जो गिरफ्तारियां हुईं, उन पर वह बहस नहीं चाहते बल्कि जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि लूट मार हुई उस पर वह बहस करना चाहते हैं। अब जिस उदाहरण को मंत्री जी ने मेरे सामने पेश किया था वह सन् १९३८ का वाकया है। जिन माननीय सदस्य ने कामरोको प्रस्ताव उपस्थित किया था लोकसभा में वह इन शब्दों में था :—

"To discuss a definite matter of urgent public importance relating to the molestation of an Indian girl by three European soldiers and opening fire on the rescuers of the villages of Bati and Arhara which has resulted in the death of a poor villager named Bhim Singh".

तो वह वाकया यह था कि किसी लड़की को कुछ सोल्जर्स ने छेड़खानी की थी और वह मामला अदालत के सुपुर्द हुआ था और उस मामले की निश्चित पुष्टि हो गई थी कि वह सब-जुडिस था, उस पर प्रस्तावक बहस करना चाहते थे और इस कारण से अध्यक्ष ने उसे सब-जुडिस समझ कर, यद्यपि उसकी पहले रोज मंजूरी दे दी गयी थी लेकिन जब उनको बाद में मालूम हो गया कि मामला अदालत के सुपुर्द हो गया है तो उन्होंने बहस की इजाजत नहीं दी। दूसरा उदाहरण मैं श्री बी० जी० पटल के निर्णय का देता हूं, जब वह प्रेसीडेंट थे तो इसी तरह का एक आक्षेप कामरोको प्रस्ताव के बारे में उठाया गया था कि मामला सब-जुडिस है इसलिये बहस नहीं हो सकती, मैं उनकी पूरी रूलिंग सुनाये देता हूं :

"I am satisfied that the matter proposed to be discussed is a definite matter of urgent public importance. It is not denied that the matter is of recent occurrence. What is contended is that the matter proposed to be discussed is sub-judice. As I understand the Opposition Benches, they propose to discuss the policy underlying this large number of raids and arrests, and not the merits of the cases that are to come before the Court of Law for adjudication. I am quite satisfied that the matter proposed to be discussed is not *sub-judice*, but I am bound to say that if, during the discussion of the motion for adjournment in the afternoon, any attempt is made to discuss the merits of any of the cases that are proposed to be lodged, the Chair will take steps to see that such discussion is not permitted. I hope Honourable Members, when discussing this matter, will confine themselves strictly to the policy underlying these arrests and not refer to the merits of the cases that are to come before the Court. I rule that the motion is in order."

मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनके सामने जो प्रश्न था वह प्रत्यक्ष कुछ लोगों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध का ही था। प्रस्तुत प्रस्ताव की बहस में तो अरेस्ट्स का भी प्रश्न नहीं उठाया गया है। जो यह सामने कामरोको प्रस्ताव है इसमें अरेस्ट्स के बारे में या अरेस्ट्स की पालिसी के बारे में भी प्रस्तावक आक्षेप नहीं कर रहे हैं। सेन्ट्रल असेम्बली में उक्त प्रश्न तो गिरफ्तारी की पालिसी के बारे में भी था। तो सेंट्रल एसेम्बली में जो माननीय पटेल की रूलिंग है वह स्पष्ट है। जब इस प्रकार गिरफ्तारी की आम चीजों पर बहस करना मामले के सब-जुडिस होने की वजह से सब-जुडिस नहीं माना गया, तब जब कि इसमें यादवेन्द्र-दत्त जी ने गिरफ्तारियों को डिस्कस करने का या उसकी नीति को डिस्कस करने का कोई प्रश्न उठाया नहीं है, बल्कि जिस परिस्थिति में इस तरह की लूटमार हुई वे परिस्थितियां चाहे वह आर्थिक हों, सामाजिक हों या राजनीतिक हों, जो भी परिस्थितियां हों, जिस परिस्थिति में भी ऐसी लूटमार प्रारम्भ हो गयी उन परिस्थितियों के विषय पर विचार के लिए उन्होंने रखा है। तब तो वह विषय सब-जुडिस किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। मैं इतना जरूर कहूंगा सदन में, जैसा कि प्रेसीडेंट पटेल ने केन्द्रीय सदन में कहा था कि यदि कोई गिरफ्तारी की आलोचना यहां पर शुरू होगी तो मैं उसको रोकूंगा, क्योंकि वह सब-जुडिस मामला होगा। लेकिन अगर इस सम्बन्ध में बहस होती है कि किस परिस्थिति में ऐसी लूट-मार प्रारम्भ हुई, यदि उसके कारण दोनों तरफ से बताये जायंगे जिनसे यदि यह कहा जाय कि अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी बहस का परिणाम अदालत में जो मुकदमे हैं उन पर पड़ जायगा तो उसके लिए लाचारी है। यह सदन ऐसी बातों पर बहस करने के अपने अधिकार को सरेंडर नहीं कर सकता। जब कि कोई इमर्जेंसी इस प्रदेश में उत्पन्न होती है, जिसकी जिम्मेदारी और जिसका सामना करने की जिम्मेदारी इस सरकार और इस सदन की है, यदि उस परिस्थिति पर विवाद करने से अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा बहुत-परिणाम अदालत में उपस्थित किसी मामले पर पड़ता है तो उसको सहन हमको करना उचित और आवश्यक ही है। जो गम्भीर परिस्थिति पैदा हुई है, वह अगर सत्य है और उसके सामना करने की जिम्मेदारी अगर सदन और सरकार की है तो उतनी हद तक ही बहस करना सदन के लिये आवश्यक है।

[श्री अध्यक्ष]

अब दूसरी बात यह रही कि क्या यह नियम के विरुद्ध है कि कोई बहस किया हुआ विषय पुनः दुबारा सामने बहस में लिया जा रहा है। मैं उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यह खाद्य समस्या एक रोज बहस करके खत्म होने वाली समस्या नहीं है, कंटीन्युइंग है। बराबर परिस्थिति अच्छी या बुरी, या तो अच्छी होती चली जायगी--अगर ठीक तौर से व्यवस्था की गयी और यदि भगवान ने हमको सहायता दी और पानी अच्छा बरसा, पैदावार अच्छी हुई तो खाद्य समस्या दुरुस्त होती चली जा सकती है; या अव्यवस्था के कारण या भगवान की अकृपा के कारण बुरी भी हो सकती है, लेकिन दोनों हालतों में इस आदरणीय सदन और इस सरकार का यह कर्तव्य रहेगा कि महत्वपूर्ण परिवर्तन खाद्य की अवस्था में होने पर उस पर विचार करे और ऐसा विचार करना सदन के लिये आवश्यक भी होगा। जो कल की परिस्थिति थी उससे भिन्न परिस्थिति दूसरे रोज पैदा हो सकती है। जिस समय सदन के सामने खाद्य का विषय पहले लाया गया था उस समय केवल यह था कि खाद्यान्नों की महंगाई हो रही है, उस समय सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती थी सदन जानना चाहता था और सदस्यगण ने उस सम्बन्ध में अपनी-अपनी राय दी थी। सरकार की जो योजना थी वह उसने सदन को सुनाई और वाद विवाद होकर वहां बात खत्म हुई। उसके बाद अगर कहीं परिस्थिति बिगड़ जाती है और नई घटनाएं होती हैं जिनसे सारे प्रदेश में आग लग सकती है तो सदन को अधिकार है कि उस परिस्थिति पर विचार करे, उसे रिवाइवल नहीं समझा जायगा बल्कि जो नई परिस्थिति पैदा हो गयी है और उसके पीछे जो कारण हैं उनको ढूंढ़ कर कोई रास्ता निकालने की चेष्टा में वह बहस की जा सकती है। इसलिये इसको नया विषय समझ कर मैं समझता हूं कि नियम ७० (५) इसमें बाधक नहीं होता है।

तीसरे एण्टीसिपेशन के रूल की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया गया है। मैं समझता हूं कि जब सदन ने और मैंने इसको इमर्जेन्ट समझा जब कि कल प्रश्न उठा था और जब इसको सदन अनुमति देता है और कहता है कि उस पर बहस कल ही होनी चाहिये थी क्योंकि एक रोज की दर भी खतरनाक हो सकती है, तो उस विषय में ३ तारीख के अविश्वास के प्रस्ताव की बहस तक राह देखना मैं समझता हूं कि उचित दिखाई नहीं देता है। इसलिये रूल आफ ऐंटीसिपेशन का आक्षेप भी अनुचित है और जो प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये यादवेन्द्रदत्त जी ने सदन की अनुमति प्राप्त कर ली है, वह उसको उपस्थित कर सकते हैं, उस पर बहस होना वैध है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने हमें प्रस्ताव उपस्थित करने की आज्ञा दी है। लेकिन इसके उपस्थित करने से पहले मैं एक निवेदन करूंगा कि जो समय इस प्वाइंट आफ आर्डर के उत्तर प्रत्युत्तर में निकल गया है उसका आगे के समय में ध्यान रखें। श्रीमन्, यह फूड का मामला आज प्रान्त के एक स्थान पर ही नहीं है.....

श्री अध्यक्ष--समय के बारे में नियम यह है कि--

"The debate on a motion to discuss a matter of urgent public importance, if not earlier concluded, shall automatically terminate on the expiration of two hours from the time when the discussion began and thereafter no question shall be put."

अब डिसकशन शुरू हो रहा है, इसलिये अब से दो घंटे गिने जायंगे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--श्रीमन्, इस प्रकार की घटनायें आज प्रान्त में केवल हाथरस में ही नहीं बल्कि समाचारपत्रों में यदि देखें तो भिन्न-भिन्न स्थानों पर दिखाई पड़ेंगी। इसी तरह से इस फूड क्राइसिस के पीछे हमें सोचना पड़ेगा और स्पष्ट है कि हमारे प्रान्त में जो खाद्य की स्थिति भीषण हो रही है, जिसकी सूचना अमय, समय पर, प्रश्नों के द्वारा, यहां वाद-विवाद

के द्वारा और सब प्रकार के कांस्टीटयूशनल मार्गों द्वारा सरकार को दी जा चुकी हैं लेकिन सरकार बराबर दुर्लक्ष करती रहती है। यहां सदन में तो यह घोषणा करते हैं कि हम यह करेंगे, वह करेंगे लेकिन करते कुछ नहीं हैं।

श्रीमन्, अगर आप देखें तो मालूम होगा कि इनकी ओर से कितनी बातें कही जाती हैं उनका दसांश भी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं इसके लिये केवल दो उदाहरण दूंगा। यहां इस आदरणीय सदन में माननीय खाद्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम दो पंचायती अदालतों के ऊपर एक सस्ते गल्ले की दुकान देंगे। श्रीमन्, जौनपुर में ही देखिये। वहां केवल १३४ दुकानें हैं जो ३४ परसेंट आबादी को ही कवर करती हैं; तो इनकी यह घोषणा कि हर दो पंचायती अदालतों के ऊपर एक दुकान सस्ते गल्ले की देंगे कहां गई? इसी प्रकार, श्रीमन्, प्रान्त के अन्य स्थानों पर देखा जाय। जहां हाथरस में यह घटना हुई वहां की आबादी ७० हजार की है और उसके लिये कुल चार दुकानें मुश्किल से उन्होंने खोली हुई हैं अब आप देखें कि इन ४ दूकानों पर इतने हजार लोग लेने जायंगे तो कैसे उनको गल्ला मिल सकता है।

इतना ही नहीं, श्रीमन्, जो यह गल्ले की दूकानें दी जा रही हैं इसके पीछे सरकार की भले ही स्पष्ट नीति न हो परन्तु मेरा आरोप है सरकार के ऊपर कि जिन लोगों को गल्ले की दूकानें दी गयी हैं उनसे अल्प बचत योजना में २,२, सौ ४,४ सौ, १,१ हजार रुपया बराबर, उनको बुलवाकर जमा करवाया जाता है। मैं यह स्पष्ट लांछन लगाता हूं कि जो ये दूकानें दी जाती हैं इनमें बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जिनके पीछे पोलिटिकल प्रोटेक्शन है और उसके परिणामस्वरूप सारा गल्ला चोरबाजारी में बिकता है और सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया।

आज ही यहां प्रश्नोत्तर में—मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस मंत्री के ऊपर आज सारे प्रान्त की खाद्य व्यवस्था का भार हो वह इतना कैलस हो कि वह कहे कि हमने सड़ा गल्ला दिया था, हमने नीलाम कराया था, उन लोगों के खाने के लिये नीलाम कराया था जो भूखों मर रहे हैं, उनके गोदामों में गल्ला सड़ रहा था, उस गल्ले को नीलाम के नाम पर खिलाते हैं, अगर यह उनकी हरकत रही तो उनके लिये चुल्लू भर पानी बहुत ज्यादा हो जायगा। एक ओर लोग भूखों मर रहे हैं दूसरी ओर गोदामों में गल्ला सड़ रहा है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि जो चीज समय से होनी चाहिये वह यह करते नहीं। मैं, श्रीमन्, अपने जौनपुर का उदाहरण देता हूं। अगस्त के महीने में जिस समय छुट्टी हुई थी मैंने जौनपुर में जा कर देखा कि ७,७ दिन से गल्ले का कोटा दूकानों पर नहीं दिया गया था। आजमगढ़ में १०,१० दिन से नहीं दिया गया था। मैंने स्वयं मुख्य मंत्री जी को तार दिया कि गल्ले का अभाव है, आप फौरन प्रबन्ध करें।

श्री अध्यक्ष—आप विशेषकर हाथरस का मामला लें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—उस तार के जवाब में सप्लाई आफिसर से जवाब तलब किया जाता है कि तुम बता क्यों देते हो कि स्टाक नहीं है। कहा करो गल्ला है, गल्ला देते हैं। लेकिन कहने से पेट नहीं भरेगा। इसी तरह से हाथरस में गल्ले का स्टाक कम हुआ और लोगों को गल्ला नहीं मिला। हाथरस के चारों ओर इतना पानी बरसा है कि हजारों गांव डूब गये। मीलों पानी ही पानी है। माननीय चौधरी चरण सिंह ने स्वयं स्वीकार किया कि उधर की स्थिति बहुत भीषण है। ६,६ हजार मकान जिले के एक हिस्से में गिर गये। ३, साढ़े, ३ लाख की रबी की फसल नष्ट हो गयी। मकान गिरे, पशु और आदमी प । परन्तु न उनके बसाने की व्यवस्था की और न काम दिलाने की व्यवस्था की।

हाथरस में एक फैक्टरी थी जो टाट पट्टी निवाड़ बनाती थी। मिल मालिकों ने उस मिल को भी बन्द कर दिया। इस गाढ़े समय में जब कि मजदूर पैसा जमा कर गल्ला खरीद सकते थे उस समय मिल मालिकों ने मिल बन्द कर दिया। उसके चलाने के लिये सरकार ने आज

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

तक कुछ सांस, डकार नहीं ली। दोष क्या था? दोष केवल यह था कि वहां के मजदूरों ने जिनको समय पर मजदूरी नहीं मिलती थी प्रोटेस्ट किया, सरकार के पास प्रोटेस्ट भेजा। मिल मालिक चिढ़ गये और मिल बन्द कर दिया। बहाना यह बनाया कि घाटा होता है। जिस समय समाज में आपत्ति आयी हो, आदमी दाने दाने को मोहताज हो रहा हो, जिस समय आवश्यकता हो कि लोगों को पैसा मिलें ऐसे समय में मुनाफे और घाटे का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिये। सरकार को चाहिये था कि उस मिल को रिक्वीजीशन करके स्वयं चलाती और उससे लोगों को पैसा मिलता, लोगों को काम मिलता। परन्तु उन्होंने कुछ नहीं किया।

इतना ही नहीं, इस प्रान्त के पश्चिमी जिलों में और खास कर अलीगढ़ जिले में ड्रेनेज की ठीक व्यवस्था नहीं है। अलीगढ़ में ड्रेनेज की नहर बनायी है। उसके बारे में समाचारपत्रों में इस सदन के एक माननीय सदस्य ने एक स्टेटमेन्ट भी दिया। उस नहर को तीन फीट चौड़ाई से शुरू किया। थोड़ी दूर के बाद २ और १ फीट की हो जाती है। अगर ३ फीट की चौड़ाई में पानी का वेग आयेगा और ज्यों ज्यों वह नैरो होती जायगी तो कुछ न कुछ पानी का प्रेशर बढ़ेगा। जिसका नतीजा यह होगा कि नहर टूटेगी और उससे चारों तरफ पानी फैल जायगा और गांव डूब जायंगे। यह इंजीनियरों का कमाल है। इंजीनियर समय पर काम कोई नहीं कर सकते। समय पर उसको बनाते नहीं हैं और उसके ऊपर सरकार कोई कदम समय पर नहीं उठाती। कान में तेल डालकर आंखों पर पट्टी बांधकर यह सरकार चुपचाप बैठी रह जाती है।

श्रीमन्, प्रश्न यह उठता है कि लोगों को काम न दें, लोगों को आमदनी का साधन पैदा न करें, लोगों के पास खाने को न रहे तो फिर आखिर आदमी क्या करे। यहां से, श्रीमन्, घोषणा हुई कि जो गरीब हैं जिनके पास कुछ भी साधन नहीं है, कुछ भी जिनके पास पैसा नहीं है, जो अपाहिज हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है उनको फ्री राशन का वितरण सरकार की ओर से होगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रान्त में कितना वितरण इस सरकार ने कराया है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि वह बहुत ही नगण्य वितरण हुआ है। कहीं भी फ्री राशन कार्ड नहीं बांटे गये। सरकार के पास यह रिपोर्ट आती है कि सस्ते गल्ले की दुकानों पर भीड़ बहुत लगती है। ७० हजार आदमी और ४ दुकानें, तो भीड़ वहां पर होगी ही। इतनी कम दुकानों पर क्या तमाशा होता होगा यह आप समझ सकते हैं।

श्रीमन्, मुझे अभी बतलाया गया कि फिरोजाबाद में एक सस्ते गल्ले की दुकान पर जब एक आदमी गल्ला खरीदकर निकला तो वहां पर इतनी भीड़ थी कि वह बाहर गल्ला लेकर जब आया तो वह वहां मर गया। इस प्रकार की भीड़ जब होगी तो इस प्रकार के परिणाम होना स्वाभाविक बात है। सरकार से बार-बार कहा गया कि आप इसका उपाय कीजिये और कुछ उपाय सोचिये लेकिन सरकार के पास कोई भी उपाय नहीं है। क्यों नहीं जनता में राशन कार्ड इश्यू किये गये जिससे हर आदमी उस कार्ड के आधार पर समय से बिना किसी धक्के-मुक्के के और बिना किसी अपनी जान गंवाये गल्ला पा सकता? लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया।

श्रीमन्, यहां पर आप कहते हैं कि सस्ते गल्ले की दूकानों पर ४० मन गल्ला दिया गया। उसके बाद २५ मन किया गया। परन्तु अभी मेरे मित्र माननीय सदस्य चन्द्रजीत जी यादव ने मुझको बतलाया कि आजमगढ़ की दूकानों पर ५ मन गल्ला दिया जाता है। अब, श्रीमन्, यह सोचा जाय कि यहां पर घोषणा कुछ और कृति कुछ। उस कृति का ही यह परिणाम है कि आज समाज के अन्दर निराशा खड़ी हो रही है। ईर्ष्या और विद्वेश की भावना समाज में खड़ी हो रही है जो कभी समाज के अन्दर फूट पड़ती है। यह संभल नहीं सकती है। मैं तो यह कहूंगा कि इस सरकार के लिये यह जो हाथरस की घटना है यह सा प्रकार का है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं "It should be treated as a writing on the wall." यह सोचने की बात है कि समाज की स्थिति कैसी भयंकर है। यदि समाज भूखा है तो वह कोई भी पाप कर सकता

है। "बुभुक्षितः किं न करोति पापम्" भूख में मनुष्य क्या पाप नहीं कर सकता है ? यह सरकार को स्पष्ट सोचना है और सोच समझकर सरकार इस ओर देखे। यदि यह सरकार इसी प्रकार से अपने लक्ष्य से गिरती रही तो मैं स्पष्ट कहे देता हूं कि इस प्रान्त में एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जो इस सरकार के सम्भाले नहीं सम्भलेगी और वह भीषण आग यहां पर लगेगी जो सारे प्रान्त को जलाकर क्षार कर देगी।

श्रीमन्, हमसे कोआपरेशन की बात की जाती है। हमसे यह कहा जाता है कि खाद्य समस्या को पार्टी पालिटिक्स की दल-दल में नहीं लाना चाहिये। हम भी कहते हैं कि इसमें पार्टी पालिटिक्स नहीं आना चाहिये किन्तु आप कोआपरेशन किसके लिये प्राप्त करना चाहते हैं ? और आप कैसा कोआपरेशन चाहते हैं ? क्या आप यह चाहते हैं कि जो आपकी गलत योजना है उनमें हम आपका साथ दें ? इस प्रकार की योजनाओं में हम सहयोग दे सकते हैं जिनमें हमारी बात भी सुनी जाय। आप किस प्रकार का हमसे सहयोग चाहते हैं इसके मैं दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले हमें माननीय खाद्य मंत्री के खाद्य सेक्रेटरी का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था सब दलों के नेताओं की बैठक माननीय खाद्य मंत्री के कमरे में होगी उसमें हम लोग जायं। मैंने स्वयं उसके विषय में पूछा कि क्या माननीय मुख्य मंत्री भी उस बैठक में उपस्थित होंगे ? उसका स्पष्ट उत्तर आया कि मुख्य मंत्री जी उसमें नहीं होंगे। फिर हम लोगों ने मिलकर विचार किया कि खाद्य मंत्री से तो हम दुकानों के विषय में बात करते ही रहते हैं, मुख्य मंत्री को वहां पर होना चाहिये। फिर इसके बाद उसका जवाब आया कि बैठक कैन्सिल कर दी गई, जिससे कुछ अच्छी वस्तुयें डिलीवर हों उसमें हम जा सकते हैं। सरकार को यह मानना चाहिये कि हम यह कर सकते हैं। एक ओर माननीय मुख्य मंत्री जी नारा लगाते हैं कोआपरेशन का और दूसरी ओर वे हमसे मिलने में घबराते हैं। सेक्रेटरी से भी लिखवाया जाता है कि आकर हम से मिलो। हमारे खाद्य मंत्री जी लखनऊ के रहने वाले हैं, तहजीब बहुत जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि खाद्य मंत्री हो जाने के बाद कुछ भूल गये हों और सेक्रेटरी से कह दिया हो कि बुला लो। तो हम किसके साथ और कैसे कोआपरेट करें ?

मैं एक उदाहरण और दूं। साल भर हुआ, जिस समय स्माल सेविंग्स कम्पेन यहां चल रहा था उस समय हमारे मुख्य मंत्री जी ने कोआपरेशन के लिये एक अपील की थी। हमारे जनसंघ के पूर्वांचल के सेक्रेटरी नाना देशमुख ने २६ अगस्त को एक पत्र मुख्य मंत्री जी को लिखा था कि हम को बतलाइये कि हम किस प्रकार आपको सहयोग दें। आज १२ महीने हो गये, न तो मुख्य मंत्री जी ने उसका उत्तर ही दिया और न उसकी स्वीकृति ही। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके यसमैन बन कर कोआपरेशन दें तो वह असम्भव है, आपकी गलत योजनाओं में भी कोआपरेशन देना हमारे लिये असम्भव है। आप स्पष्ट योजना बनाने में हमारा कोआपरेशन मांगें। और इसके अलावा कोआपरेशन बराबरी से होता है; बड़े और छोटे का भेद रख कर नहीं होता। अपमान के आधार पर कोआपरेशन नहीं होता। तो, श्रीमन्, मैं फिर कहूंगा कि यह जो सारी गड़बड़ी खड़ी हो रही है, जिसका द्योतक यह हाथरस की घटना है, उस पर यह सरकार पुनर्विचार कर के जल्दी से जल्दी कदम उठाये। जब लोगों के पास खाने को नहीं है तो उसकी व्यवस्था करके राशन कार्ड लोगों को समय से दें ताकि समय से उनको गल्ला मिल सके। पंचायत अदालतों की बारी बांधें और जो कुछ सदन में कहें कम से कम उसकी पूर्ति करें। खाली आवेश में आकर कोई घोषणा कर दें सदन में और फिर उससे निकल भागने की बात सोचने लगें, यह दो जबानों से बोलना आप छोड़ें। कौन चाहता है कि हमारे प्रान्त के आदमी मरें ? कौन चाहता है कि हमारे प्रान्त में इस प्रकार की अव्यवस्था खड़ी हो ? मैं तो कहता हूं कि हमारे मन पर स्पष्ट यह प्रतिक्रिया हुई है कि यह सरकार स्वयं चाहती है कि इस प्रान्त के अन्दर अनारकी हो। यह अनारकी सम्हाल नहीं सकते हैं। जिस समय फ्रांस में लुई १५ मर रहा था और उससे लोगों ने पूछा कि उसके बाद क्या होगा तो उसने कहा था फ्रेंच भाषा में कि मेरे बाद बाढ़ होगी और उसके बाद फ्रांस में भीषण क्रांति होगी।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

इन शब्दों के साथ में यह प्रस्ताव करता हूं कि—

"हाथरस, जिला अलीगढ़, में बाढ़ और महंगाई के कारण तथा सरकार की दुर्लक्ष्य और उदासीन नीति के कारण जनता अत्यधिक परेशान है। इसके परिणामस्वरूप गत दो दिनों से अनाज की लूट प्रारम्भ हो गई है। जनता में क्षोभ व्याप्त है और प्रान्त की शान्ति व सुरक्षा भंग होकर अराजकता अपना विकराल रूप धारण कर रही है। अतएव सदन का मत है कि इस निश्चित तथा महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिये सदन आज का अपना कार्य स्थगित करता है।" और आशा करता हूं कि चाहे इधर के लोग हों या उधर के, वे सब निष्पक्ष भाव से इस पर विचार करेंगे और बतायेंगे कि कहां क्या काम हो रहा है, किस प्रकार के काम की आवश्यकता है ताकि हम लोग विचार कर के एक योजना बना कर आगे के लिये काम कर सकें।

(श्री नवलकिशोर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, मुझे कुछ निवेदन करना है। हम लोग बाढ़ के क्षेत्र से आये हैं, हम को भी समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये। आज नहीं।

श्री टीकाराम पुजारी—यह चार पांच आदमी ही बोलते हैं और हमको बोलने नहीं देते हैं। हमको, श्रीमन्, समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी माननीय दुबे जी का जोशीला, आवेशपूर्ण वक्तव्य सुना। मैं यह समझता था और यह आशा भी कर रहा था कि वे अपने वक्तव्य में हाथरस में जो लूटमार हुई है उसके विषय में कुछ अधिक प्रकाश डालेंगे। बहरहाल, उसके ऊपर प्रकाश पड़ा या नहीं, यह तो दूसरी बात है, लेकिन यह सही है कि इस मौके पर जो आम नीति के प्रश्न सरकार के विषय में हैं, जिनके विषय में वक्तन-फवक्तन चर्चा होती रही है, हुई भी है, उन पर उन्होंने अपना काफी समय दिया। उन्होंने अपने भाषण का प्रारम्भ इस तरह से किया कि आज प्रदेश में केवल हाथरस में नहीं, न जाने कितने स्थानों पर फूड रायट्स हो रहे हैं। यह, श्रीमन्, उनके भाषण का प्रारम्भ था। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की शिकायत की कि आपने इस बात का वायदा किया था कि दो-दो पंचायतों के बीच में एक-एक दुकान देंगे, लेकिन आप दे नहीं पाये और आपने जौनपुर में इतनी कम दुकानें दीं और इस तरह से कितनी ही बातें उन्होंने बतलायीं। हाथरस के विषय में उन्होंने यह अवश्य कहा कि जब इंसान भूखा हो, उसके पास खाने को न हो, पैसा न हो, तो भूखा क्या पाप नहीं करता, यह कह कर उन्होंने हाथरस का जिक्र छोड़ दिया और यह कहा कि इसलिये जो हाथरस की घटना है वह जायज है और उचित थी और इसके बाद उन्होंने सरकार को चुनौती दी कि ऐसी दशा में एक ऐसी भीषण अग्नि इस प्रदेश में प्रज्वलित होगी कि जिससे सारा देश जलकर बिलकुल राख हो जायगा। मान्यवर, मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर प्रदेश के खाक हो जाने से ही दुबे जी की या उनके दल की तमाम समस्याएं हल हो जाती हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतनी जोशीली बातें कहने से मेरी समझ से कोई लाभ नहीं है। इससे हानि हो सकती है। वक्तव्य देने को तो वह इससे भी भीषण वक्तव्य दे सकते हैं।

हम सब जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में फूड पर डिबेट हुई। कई दिन तक वह चली। हमारे देश के प्रधान मंत्री ने, जो हमारे राष्ट्र नायक भी हैं, इस बात को तमाम देश के सामने माना कि आज खाद्यान्न की स्थिति गम्भीर हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं ११ साल से इस समस्या को उतना गम्भीर नहीं जान पाया था जितना आज जान पाया हूं।

मैं विरोधी पक्ष के लोगों से जानना चाहता हूं कि वे बार-बार मांग करते हैं कि दुकानें अधिक हों। सही बात है, अगर हो सकती हों तो हों। मगर बुनियादी चीज यह है कि इससे अधिक दूकानें हम खोलकर उन्हें अन्न भी सप्लाई कर सकेंगे या नहीं। हम उतनी ही दूकानें खोल सकते हैं जितना कि हमको भारत सरकार से अन्न मिल सकता है। जब भारत सरकार के प्रधान मंत्री कहते हैं कि उनके पास गल्ले की कमी है, तो हम परेशानी में हैं। आज यू० पी० ही डैफिसिट नहीं है बल्कि सारा हिन्दुस्तान डैफिसिट है और उस पर विदेशी मुद्रा की भी कमी है जो बाहर से मंगा लें बारिश और सूखा की वजह से हमारे यहां हर जगह अन्न की कमी है। यह कांग्रेस पार्टी की या किसी विरोधी पार्टी की बात नहीं है, यह नेशनल ईश्यू है। यदि हमने खाद्य समस्या को नैशनल और मानव प्वाइंट आफ व्यू को छोड़कर राजनैतिक दलदल में फंसा दिया तो यह तो हो सकता है जैसा हमारे दोस्त चाहते हैं—चाहे सरकार चाहती हो या नहीं—कि ऐनार्की हो जाय, मगर खाद्य समस्या इस प्रकार हल होने वाली नहीं है। मेरा विश्वास बन गया है कि इस प्रदेश के विरोधी दल चाहते हैं कि ऐनार्की हो। अगर उन्होंने सहयोग नहीं दिया और सही तरीके से इस समस्या को हल करने की कोशिश नहीं की तो देश की स्थिति बिगड़ती चली जायगी।

उन्होंने कहा कि भूखा आदमी दूकानें लूट सकता है मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कहूंगा कि जिससे जोश बढ़ जाय मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस सरकार ने तो उनके कथनानुसार कुछ नहीं किया मगर विरोधी पार्टियों ने भी क्या किया। उनका तो केवल एक काम है कि असेम्बली में आकर सरकार को गालियां दे दें। अगर विरोधी दलों का किसी भी देश में इतना ही उत्तरदायित्व होता है तो जरूर उन्होंने सही तरीके से अपने उत्तरदायित्व को अन्जाम दिया। अगर उनका काम यह भी था कि अभाव क्षेत्रों में जाते, अपील करते और फंड्स जमा करते, तो मैं समझता कि वाकई उनको सहानुभूति है। लेकिन वह तो हर डंडे को इस सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारे दुर्भाग्य की बात है कि आज जनता में यह जाकर कहा जाय कि दूकानें लूट लो। हमें सोचना है कि कौन लोग ऐसी स्थिति पैदा करते हैं ? जो भी हो, यह दुख की बात है, यह बात सही है कि हमारे देश में गरीबी बहुत है और अनाज की कमी है। यह बात भी सही है कि सरकार की मारल ड्यूटी है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधायें अनाज के सम्बन्ध में जनता को दे। लेकिन दूसरी ओर से बराबर यदि यह कोशिश हो कि लोग कानून को अपने हाथ में लें, तो सरकार क्या कर सकती है ? मान लीजिये कि उनके हंगर मार्च की बात सही भी हो, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के तो कुछ भाई अनशन भी कर रहे हैं यह भी माडर्न डेमोक्रेसी में नयी बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, "घेरा डालो" आन्दोलन शुरू होता है, लोगों को उभारा जाता है, उसके बाद दुबे जी यहां कहते हैं कि सरकार ऐनार्की पैदा करना चाहती है। जब आप आल्टरनेटिव सरकार बनाने का ख्वाब देखते हैं तो जहां इस सरकार की १०० परसेंट जिम्मेदारी है वहां ८०,९० फीसदी तो आपकी भी है। इस सरकार की जिन्दगी की तो मुझे ज्यादा चिन्ता नहीं है, लेकिन जिस प्रजातंत्र की दुहाई हम सब देते हैं और यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी भी देती है, आज उसका इम्तहान है। खतरा इस सरकार को नहीं है बल्कि देश की डेमोक्रेसी को है। अगर डेमोक्रेसी खत्म हो गई तो देश का क्या भविष्य होगा, यह सोचना है।

जहां तक हाथरस की बात है, वहां कुछ भाइयों ने गरीबी के आवेश में आकर और, मान्यवर, मैं तो बिलकुल निश्चित कहूंगा कि किसी के इशारे के ऊपर, दूकानों को लूटा। परन्तु दूकानों के लूटने से कितने दिन तक प्रदेश की भूखी जनता का खाने का काम चल जायगा ? यह कोई स्थायी हल नहीं है। आपने लोगों को कानून तोड़ने के लिये बाध्य किया। मगर फिर भी उनके पेट की ज्वाला उससे खत्म होने वाली नहीं है।

और भी बहुत सी बातें कही गईं। ड्रेनेज की बात कही गई और उसके सम्बन्ध में इंजीनियर्स को इनकाम्पीटेंट बताया गया। मैं इंजीनियर्स का यहां बड़ा भारी वकील तो नहीं हूं मगर उसके यहां कहने का क्या मौका था ? सीधी-सादी बात होनी चाहिये थी कि हाथरस

[श्री नवल किशोर]

में कुछ दूकानें लूटी गईं और क्यों लूटी गईं। राशन कार्डों की बात के बारे में यह है कि अगर हम इस स्थिति में होते कि सबको राशन कार्ड दे सकते होते तो बहुत अच्छी बात थी। मुफ्त अन्न देने के आंकड़े तो मंत्री जी देंगे, मेरे पास वे नहीं हैं। मगर आज बुनियादी कठिनाई यह है कि सब कुछ हो तो, लेकिन वह हो कहां से? फिर, मैं वही निवेदन करता हूं कि आवेश में आने से और एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियों को फेंकने से मूल समस्या का कोई समाधान होनेवाला नहीं है।

हाथरस में, कहा गया, सरकारी दूकानों की संख्या कम है। मिल के बन्द करने की बात भी कही गई। चूंकि उसके तमाम वाकयात मुझे नहीं मालूम हैं कि वर्कर्स क्या चाहते थे और सरकार ने क्या किया, मगर यह बात अवश्य है कि मजदूरों की बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिये था और हुआ होगा। मिल का बन्द होना और उसके साथ ही दूकानों के लूटे जाने से मुझे तो ऐसा ही लगा कि मिल मजदूरों को बहका दिया गया होगा, उन्होंने ही दूकानें लूटी होंगी, वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है।

एक आपत्ति यह भी की गई कि दूकानें कम तो खोली ही गईं, लेकिन ऐसे लोगों को दी गईं जिनके लिये एक शब्द इस्तेमाल किया गया---पोलीटिकल प्रोटेक्शन। अब तक हमने पुलिस प्रोटेक्शन की बात तो सुन रखी थी लेकिन आज यह नयी बात सुनी। यह भी कहा गया कि जिनको दूकानें दी जाती हैं वे स्माल सेविंग्स में हजारों की संख्या में रुपया देते हैं और उसकी आड़ में हजारों मन गल्ला स्मगिल होता है और उसका सही इस्तेमाल नहीं होता।

श्रीमन्, मैं अन्त में ज्यादा समय न लेकर एक निवेदन और करूंगा। आज विरोधी दल का सबसे बड़ा टारगेट और अल्टीमेटम यह नहीं है कि खाने की समस्या क्या है, यह तो अपनी जगह पर एक माइनर आइटम है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आज इस स्थिति में जब इंसान है दुखी, उसके लिये एक मुसीबत का वक्त है तो किस तरह क्या उसको पोलीटिकल एम्स के लिये एक्सप्लाइट किया जाय? इस बात की आज कोशिश की जा रही है कि हरएक कांस्टीटुयेंसी में जहां अनाज की कमी है वहां सरकार के प्रति प्रतिशोध की भावना पैदा की जाय और लोगों को इसके लिये उकसाया जाय कि वह बगावत का झंडा ऊंचा करें। और जब कोई कांड हो जाय तब सदन में कामरोको प्रस्ताव रखो। इस परिस्थिति में एक छोटे इन्सान की हैसियत से, एक विधान सभा के साधारण मेंबर की हैसियत से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जरा सोच कर और समझ कर कदम उठायें। आग लगाना आसान है मगर उसका बुझाना कठिन होता है।

माननीय दुबे जी ने कहा कि सेक्रेटरी के हस्ताक्षर से उनके पास पत्र गया। उन्होंने माननीय मंत्री जी के दिमाग की बात कही लेकिन उनके इस बात के कहने से उनके दिमाग में भी फाल्स प्रेस्टीज मालूम होती है। जब आग लगती है तो क्या कोई न्योते का इंतजार करता है? जब देश और प्रदेश में आग लगी हो तो तमाम दलों को नेशनल इमरजेन्सी समझ कर संयुक्त मोर्चे के रूप में काम करना चाहिये। यह न सोचना चाहिये कि इससे किस दल को क्रेडिट मिलेगा और किसको नहीं। बिना चीप पापूलेरिटी को देखे हुए, केवल वस्तुस्थिति के खयाल से, साधनों, आवश्यकताओं तथा स्टाक्स को ध्यान में रखकर सब दलों को मिल कर इस भयंकर समस्या को हल करना चाहिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों में से हूं जो यह चाहते हैं और हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि इस सदन में जब कभी भी वादविवाद हो तो उसका स्तर ऊंचा हो। वादविवाद को एक दूसरे पर आक्षेप लगाने का अवसर नहीं बनाना चाहिये। शांति और आत्मीयता के साथ समस्या के गुणावगुणों पर अच्छी प्रकार से विचार किया जाना चाहिये। इस दृष्टि से मैंने माननीय नवल किशोर जी के भाषण को सुना और उसको सुन कर मुझे निराशा हुई। उन्होंने कहा कि विरोधी दल इस बात को अच्छी

तरह से जान ले कि सरकार का विरोध करने से, सरकार को गालियां देने से, यह समस्या हल नहीं होगी । मैं यद्यपि उनकी इस बात से सहमत हूं लेकिन क्या मैं आशा करूं कि माननीय नवल किशोर जी भी इस बात से सहमत होंगे कि सत्ता का समर्थन करने से और हर बात में वह यह कहें कि सरकार जो कुछ कर रही है वही ठीक है और उसके आलवा कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता? इससे भी क्या समस्या हल हो सकती है ?

उन्होंने केन्द्र में लोक सभा में जो चर्चा हुई, उसका भी उल्लेख किया और यह कहा कि प्रधान मंत्री ने स्वयं ही इस बात पर दुख प्रकट किया है लेकिन उन्होंने यह बात नहीं कि वहां की उस बहस का परिणाम यह हुआ कि खाद्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा । इसकी सूचना रेडियो पर आ चुकी है । देखना यह है कि जो वादविवाद में प्रधान मंत्री की दुहाई देते हैं वे अपने आचरण में इस सदन में उन बातों को प्रदर्शित भी करते हैं या नहीं जो प्रधान मंत्री करते हैं ? अपने जीवन में वह बातें करते हैं या नहीं जो प्रधान मंत्री करते हैं ? वह रुख जनतंत्र के प्रति क्या वे अपनाते हैं जो प्रधान मंत्री अपनाते हैं ? क्या माननीय मंत्रियों द्वारा यह जनतंत्र का वह रुख अपनाया जाता है ? प्रधान मंत्री के आचरण से जो वे लोक-सभा में में प्रदर्शित करते हैं उससे आप यहां अपने आचरण से तुलना क्यों नहीं करते हैं जो आप विधान सभा में दिखाते हैं ।

तीसरी बात उन्होंने यह कही कि अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो न सही, लेकिन विरोधी दलों ने क्या किया ? इस सदन में तो उन लोगों में से नहीं हूं कि यह सरकार जो अच्छा भी काम करती हो तो उससे इंकार कर दिया जाय । मैं तो यह कहता हूं कि आपने इसके लिये बहुत कुछ किया और जो कुछ किया ईमानदारी के साथ किया, लेकिन यह कहना कि विरोधीदल ने क्या किया है, मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन कहने के लिये विवश हूं कि विरोधी दलों ने सरकार के दृष्टिकोण को ठीक करने के लिये अपनी जानों की बाजी लगा दी है । विरोधी दल के, इसी सदन के दो माननीय सदस्य आमरण अनशन कर रहे हैं इस बात के लिये कि सरकार का हृदय परिवर्तन हो जाय और इस समस्या का हल हो । लेकिन सरकार आज उनकी तरफ से उदासीन है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पोलिटिकल प्रोपेगेंडा की बात बहुत कही जाती है । इस प्रकार वे केवल गलो गलायी, पिटा पिटाई, घिसी घिसाई दलीलें देते हैं । इन दलीलों को सुन कर मुझे तो आश्चर्य हुआ । क्या यहां माननीय सदस्य सत्यानारायण की कथा पढ़ते हैं या रघुपति राघव राजाराम का कीर्तन यहां किया जाता है ? यहां पर जो बात होती है वह राजनीतिक ही होती है, यह कोई धार्मिक स्थान नहीं है जहां धार्मिक बात हो । यहां पर पोलिटिकल प्रोपेगेंडा की बातें ही कही जाती हैं । इतना कहते हुए श्रीमन्, एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि यह पोलिटिक्स का ही स्थान है तो अगर पोलिटिकल प्रोपेगेंडा इधर से किया जाता है तो क्या उधर से पोलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं किया जाता ? मैं फिर कहता हूं कि मैं इस बात का जाब नहीं देना चाहता हूं । पोलिटिकल प्रोटेक्शन की बात माननीय नवल किशोर जी ने ही कही । एक बात मैं फिर कहता हूं और फिर दोहराता हूं कि पोलिटिक्ल कैपिटल अगर जनता की मुसीबतों से बनाया जाता है तो वह उधर के लोगों द्वारा ही परमिट और लाइसेंस देकर बनाया जाता है और सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा कैपिटल बनाया जाता है । मैंने कई बार कहा कि मुझे विवश न किया जाय कि मैं इस तरह की बातें कहूं ।

इसलिये मैं इस पर कुछ अधिक न कहकर सरकार से केवल इतना कहना चाहता हूं कि हाथरस में जो कुछ हुआ है वह सरकार की गलत नीति की वजह से, इस समस्या को हल करने में सरकार की उदासीनता की वजह से और इस समस्या को हल करने में सरकार के गलत रुख की वजह से प्रदेश भर में जो आग लगी हुई है उसका एक शोला वहां प्रज्वलित हुआ है और अगर हमारी सरकार सम्भली नहीं तो आशंका इस बात की है कि प्रदेश भर में यह

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

आग बढ़ जायगी और उसकी वजह से न आपका भला होगा, न हमारा भला होगा। इसलिये हमारा और आपका यह कर्तव्य है कि हम सब मिलकर शान्तिपूर्वक इस विषय पर सोचें कि हम किस तरह से इसका सामना कर सकते हैं।

इस घटना के सम्बन्ध में जिस तरह से माननीय मंत्री महोदय के पास आज एक नयी सूचना आयी, उसी प्रकार से मेरे पास भी एक नयी सूचना आयी है कि जलेसर, फिरोजाबाद सैदाबाद, मथुरा, एटा जिले के कई स्थान जसराना, मैनपुरी आदि जगहों से दूकानों के लूटे जाने की खबर मिली है। यह भी नहीं कि ये दूकानें हाथरस शहर में या किसी कस्बे में एक दो जगह लूटी गयी हों, हाथरस के कई गांव में ये दूकानें लूटी गयी हैं, १०, २० गांवों में ये दूकानें लूटी गयी हैं। इसलिये यह सबजूडिस मामला नहीं है बल्कि यह परिस्थिति का मामला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह चुका हूं कि मैं सरकार की नीयत पर हमला नहीं करता। मैं यह भी कह चुका हूं कि सरकार जो कुछ कर रही है वह ठीक कर रही है लेकिन एक बात मैं जरूर कह दूं कि विरोधी दल के ऊपर जो लांछन लगाया गया उससे मुझे बहुत दुख हुआ। मैं आपको यह भी बता दूं कि विरोधी दल और सत्ताधारी दल के बीच शत्रुता की मेरी कल्पना नहीं है। मेरी कल्पना यह है कि विरोधी दल और सत्ताधारी दल में से एक के बिना भी सरकार नहीं चल सकती है। दोनों में पारस्परिक सहयोग होना चाहिये, दोनों में आत्मीयता होनी चाहिये। इसलिये मैं बहुत न कहते हुए यह भी साफ-साफ कह दूं कि मेरा यह निश्चित विश्वास है कि यह बात नहीं है कि इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। गल्ले की उतनी कमी नहीं है जितनी कि बतलायी जाती है। इस समस्या को अच्छी तरह से समझा नहीं गया है। मैं फिर कहता हूं कि सरकार की नीयत ठीक है लेकिन सरकार का दृष्टिकोण दूषित है और उस दूषित दृष्टिकोण के आधार पर सरकार ने जो नीति अपनायी है इससे इस समस्या का हल नहीं हो सकता। अगर सरकार अपने दृष्टिकोण को ठीक कर ले और अपनी नीति को ठीक कर ले तो इस समस्या का हल निकल आवे और सब का सहयोग भी प्राप्त हो जाय जिसके लिये माननीय नवल किशोर जी ने अपील की। एक बात माननीय दुबे जी ने भी कही, जिसको मैं दोहराता हूं।

माननीय मुख्य मन्त्री महोदय इस सदन में कई बार पोलिटिकल ट्रूस, राजनीतिक सुलह, की बात कर चुके हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती जो बात कि रामायण में तुलसीदास जी ने कही थी वह चौपाई मुझे याद आ जाती है—

"सेवक सोइ जो करे सेवकाई। अरि करनी करि करिय लड़ाई ॥"

राजनीतिक सुलह की बात आप करते हैं और काम लड़ाई के करते हैं। तो कथनी और करनी में यह अन्तर नहीं होना चाहिए। माननीय नवलकिशोर जी ने यह कहा कि दुबे जी को माननीय मंत्री महोदय ने जो व्यवहार किया उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। मैं उनकी इस बात को भी मानता हूं। मैं घृणा के साथ उसकी उपेक्षा करता हूं, उस घृणा के साथ जिससे कि वह देखी जानी चाहिए। लेकिन माननीय नवलकिशोर जी भी इस बात को मानें कि माननीय मन्त्री जी को भी यह देखना चाहिए कि वह यह सोचें कि वह हर वक्त मिनिस्टर नहीं हैं, मनुष्य भी हैं। इससे पहले जब मिनिस्टर नहीं थे तब भी मनुष्य थे, कुछ दिन बाद जब मिनिस्टर नहीं रहेंगे तब भी मनुष्य रहेंगे। तो अपने को यह मानकर के चलें कि हम मनुष्य हैं। इसे भूल न जायं और मानवता और सज्जनता की उपेक्षा न करें। मेरा यह विश्वास है कि अगर हमारी सरकार प्रेम से, कल्पना से, शिष्टता से, मानवता से, सज्जनता से और सहानुभूति से काम ले तो जिस समस्या को इतना गम्भीर समझा जा रहा है, जो अब तक हल नहीं हो रही है वह आसानी से हल हो सकती है। सरकार केवल अपने इस दृष्टिकोण को बदले और सही दृष्टिकोण से काम ले।

मैं यह कहूं कि अंग्रेजी सरकार का रवैया भी हमने देखा था और विरोधी दल की बाबत जो बातें माननीय नवलकिशोर जी ने कहीं उसके संबंध में मैं इतना नवलकिशोर जी से निवेदन कर दूं कि सन् १९२३ में जब आम चुनाव के बाद पहली मर्तबा स्वराज्य पार्टी बना कर के हम लोग कांग्रेस के लोग यहां विधान सभाओं में आये थे उस समय सेंट्रल असेम्बली में स्वर्गीय पंडित मोतीलाल जी नेहरू विरोधी दल के नेता थे ; उनके भाषणों को पढ़ लें और सरकारी पक्ष की ओर से जो भाषण दिये जाते थे उनको भी पढ़ लें। तो मुझे यह कहने के लिए माननीय नवलकिशोर जी क्षमा करेंगे कि जो भाषण आज माननीय नवलकिशोर जी ने दिया है वही भाषण उस समय सर मालकम हैली दिया करता था। पंडित मोतीलाल जी को भी यही कहा जाता था कि तुम केवल विरोध के लिए विरोध करते हो। एनी बेसेंट ने तो गान्धी जी के लिए कहा था कि अगर गोलियां चली हैं तो बुलेट्स फार ब्रिकबैट्स चली हैं क्योंकि जनता की ओर से ईंटें फेंकी गईं इसलिये गोलियां चलीं। उसी ब्रिटिश साम्राज्यशाही के दृष्टिकोण को आज आप सामने रखते हैं और पंडित मोतीलाल जी तो आज जीवित नहीं हैं, सम्भव है आप उनको भूल गए हों, क्योंकि आप तो उन्हीं को याद रखते हैं जो प्रधान मंत्री हो, गृह मंत्री हो, मन्त्री न हो तो चाहे गान्धी भी हो, या विनोबा हो, वह भी आपको याद नहीं आता। तो आजकल आपके गृह मंत्री और इतने काल तक आपके मुख्य मंत्री पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त भी कभी यहां की विधान सभा में विरोधी दल में बैठते थे। पढ़िये उनके भाषणों को, वह क्या कहते थे और पढ़िये सरकारी पक्ष की ओर से उनसे क्या कहा जाता था। बिलकुल हुबहू वैसी ही बातें आज माननीय नवलकिशोर और उनके साथी कहते हैं। मैं तो इन बातों को सुनते सुनते इनका आदी हो चुका हूं लेकिन आश्चर्य केवल इतना होता है कि कभी-कभी मैं यह सोचने लगता हूं कि उधर ये मालकम हैली और हैलेट बैठे हैं या हमारे पुराने साथी त्रिपाठी जी, अलीजहीर जी और चौधरी चरणसिंह जी बैठे हैं। इस बात में मुझे कभी-कभी शक होने लगता है कि मैं यह सब क्या देख रहा हूं, हम किस तरह से एक दूसरे पर आक्षेप करते हैं।

आवश्यकता नहीं है इस तरह के आक्षेप करने की या उन पुरानी बातों को दोहराने की। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम यह सोचें कि किस तरह से इस समस्या का समाधान हो सकता है और समस्या का समाधान इस तरह से नहीं हो सकता। जब विरोधी-दल यह पाता है कि उसके अनुनय-विनय से उसके किसी भी सुझाव को आप नहीं मानते हैं, तब क्या किया जाय ? अभी हाल में एक घटना हुई, आगरे में १८ अगस्त को माननीय मुख्य मन्त्री महोदय गए, वहां माननीय जगन्नाथ लहरी जी ने मुख्य मन्त्री जी को सुझाव दिया कि इस प्रकार से फीरोजाबाद की बाढ़-पीड़ित जनता के लिए अन्न का प्रबन्ध कर दीजिये, उन्होंने उसे नहीं स्वीकार किया, उनके न स्वीकार करने का परिणाम यह हुआ कि आज फीरोजाबाद में गल्ले की दूकानें लुटने लगीं। तो मामूली से मामूली सुझावों को, रचनात्मक सुझावों को प्रार्थनाओं को भी आप मानते हैं ? प्रार्थनायें आप नहीं मानते हैं अनशन करके गांधी जी का सिद्धान्त यह था कि अपने लोगों के ही विरुद्ध अनशन सफल होता है, जहां आत्मीयता होती है, अपने लोगों को तकलीफ़ भी होती है, अगर कष्ट सहन करेंगे तो हमारे साथियों का हृदय पिघलेगा, परिवर्तन होगा और हमारे दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेगा; उसके बजाय जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने आज कोशिश की और पहले भी कोशिश की और जो रुख रहा पूरे मंत्रि-मंडल का अनशन के प्रति वह मैं कहता हूं कि सरकारी था, मानवीय नहीं था। वह सरकारी दृष्टि से कितना भी सही क्यों न हो लेकिन मानवीय और जनतन्त्रीय दृष्टि से बिल्कुल गलत था। और मैं सरकार को सावधान किये देता हूं कि माननीय शिब्बन लाल जी, माननीय मदन पांडेय जी और अन्य सैकड़ों लोगों की भूख हड़ताल की उपेक्षा करके यह सरकार जीवित नहीं रह सकती, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। इसलिये ईश्वर के लिये अपने दृष्टिकोण को बदलिये, सही दृष्टिकोण से काम लीजिये और सब के सहयोग से यह समस्या हल कीजिये।

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---मान्यवर, आज की बहस में इस प्रदेश की जनता के सम्बन्ध में और उसके कल्याण के सम्बन्ध में बड़ी चर्चा हमारे सामने

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

पेश की गई। उसके सम्बन्ध में कोई नीयत पर हमला करने की मेरी मंशा नहीं है, लेकिन चंद बातों को कहना मैं भी जरूरी समझता हूं। मान्यवर, हमारे माननीय दुबे जी को मुबारक हो भारतीय जन संघ का साथ, जिस जमात को हम जानते हैं, जिसकी जड़ों को जानते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं यह पार्टियों का विषय मत लीजिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि हर आदमी के जो विचार होते हैं, जो बातें होती हैं और यहां जितने दल बैठे हुए हैं उन सबकी विचारधारा, उन सब की बातें उनसे सम्बन्धित थीं और सम्बन्धित हैं। इसलिये मैंने इशारा उधर किया था। लेकिन मैं झगड़ा नहीं करता। मैं इतना कहना चाहता हूं कि विरोधीदल की तरफ से जितने भी सुझाव इस सदन में आज तक आये हैं, मैं तो, मान्यवर, आपकी आज्ञा से माननीय पालीवाल जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा और वह यह कि कितनी बार खेती की दशा को सुधारने के लिये या उत्पादन को बढ़ाने के लिये या इस देश की बदकिस्मती को दूर करने के लिये जो बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, गल्ले की कमी और दूसरे कारणों से हमारे सामने आयीं, उनको दूर करने के लिये क्या ठोस सुझाव रखे गये? मैं मानता हूं कि आज हमारे सामने एक मोटी दलील और मोटा नारा पेश कर दिया जाता है और वह यह कि पहले भी सरकार के खिलाफ जो लोग कहते थे उनको इसी तरह से कहा जाता था। यह दलील उतनी ही खतरनाक है जितनी खतरनाक वह बात जिसके सिलसिले में यह बात उठायी गई। विरोध के लिये विरोध खराब था। पहले विरोध उस सत्ता के खिलाफ होता था जो हमारी मर्जी के खिलाफ इस देश में आयी थी, जो नैतिकता का गला घोंट कर बैठी हुई थी। लेकिन आज सत्ता प्रजातंत्र के द्वारा यहां आयी है और प्रजातंत्र को स्थापित रखने के लिये यहां रही है और जितने दिन यहां रहेगी प्रजातन्त्र की शक्ति को मजबूत करेगी।

मान्यवर, एक चीज हमारे माननीय दुबे जी ने बड़ी अच्छी तरह से अदा की। उन्होंने कहा कि माननीय न्याय मंत्री जी ने कोई दावतनामा दिया था दुबे जी को और उन्होंने उस संबंध में लखनऊ की तहजीब की चर्चा की। हालांकि मैं लखनऊ से दूर से आया हूं लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि, लखनऊ की तहजीब जो उन्हें पसन्द है, उस तहजीब में यह कब बताया गया है कि जब बुलाये अपने घर में कोई तो मेहमान का मेजबान से इसरार इस बात का हो कि फलां आदमी को भी बुलाया जाय, तभी हम आयेंगे? मुबारक हो उन्हें अगर वह लखनऊ की तहजीब को इसी तरह समझते हैं!

एक सिलसिले में मैंने कहा था.....

(व्यवधान)

घबराइये नहीं, सुनिये। आज जरूरत तो इस बात की थी कि जब देश का और इस प्रदेश का काफिला आगे बढ़ रहा है, हम सब उसमें कदम से कदम मिलाते हुये, तमाम कठिनाइयों का मुकाबला करते हुये, मजबूती के साथ मंजिल की तरफ आगे बढ़ते और देश को इस मुसीबत से, इस भौतिक विपत्ति से निकालकर आगे ले जाते। परन्तु इन उलटे सीधे नारों से और इस तरह की गैरजिम्मेदाराना बातों से जो कष्ट देश पर है वह दूर नहीं हो सकता। आज देश में जरूरत इस बात की है कि हमारे देश के जितने संगठन हैं वह मजबूती के साथ कदम बकदम ठोस कदम उठाकर और सहयोग के साथ ऐसी मुसीबत को दूर करने के लिये तत्पर हों। कौन नहीं जानता कि पिछले दो तीन साल से लगातार हमारी फसलें खराब हुई हैं, बाढ़ें आई हैं और गल्ले की कमी को पूरा करने के लिये विदेशों से २,७५,००,००,००० रुपए का गल्ला मंगाया जा चुका है और महज उसकी उठवाई में ५०,००,००,००० से ऊपर की लागत आई है उस गल्ले की कि जो आज बाजारों में बांटा जा रहा है। आज जो गल्ला सरकार के द्वारा बांटा जा रहा है वह इतना नहीं है कि उससे यहां के रहने वालों की सारी जरूरत पूरी होती हो बल्कि वह केवल इतना है कि एग्जिस्टिंग

स्टाक्स में और जितने स्टाक्स की जरूरत है उसमें जो बीच का गैप है वह किसी तरह से पूरा हो जाय। (व्यवधान) मैं फेक्ट्स दे सकता हूं, सुझाव दे सकता हूं लेकिन मैं अक्ल नहीं बांट सकता। मान्यवर, यह नारेबाजी, यह चर्चा और यह आवाजें मैंने देखा है कि कुरबानी के मैदान में.....

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मैं वैधानिक आपत्ति करता हूं कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि "मैं अक्ल नहीं बांट सकता," क्या यह ऐसपर्शन विरोधीदल पर नहीं है कि वह अक्ल से खाली है ? क्या यह वैधानिक है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि ऐसा कहने से आपको किसी तरह का अपमान नहीं मानना चाहिये, यह पार्लियामेंटरी पद्धति है, आप सन्देह न करें, इसमें आप के ऊपर कोई हमला नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय---मैं जानना चाहता हूं कि अक्ल उनके पास नहीं है या विरोधी दल के पास नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---इसमें ज्यादा सन्देह की जरूरत नहीं है, जनता जानती है कि कहां अक्ल की कमी है।

एक चीज बड़े जोर से पेश की गई और उसको कहने में माननीय पालीवाल जी को कोई दिक्कत नहीं हुई। वह कहते हैं कि आपकी नजर दूषित है। लेकिन हम उनकी नजर को क्या करें ? सवाल यह है कि आपकी नजर हमें किस नजर से देखती है। आप को तो हम वैसे ही दिखाई देंगे जैसी आपकी भावना होगी; जैसी भावना रखेंगे, प्रभु भी वैसे ही आपको दिखाई देंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---जो सत्ता की खुशामद करेगा उसे खुशामद ही दिखाई पड़ेगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---हमारे मित्र जो जनसंघ के प्रतिनिधि हैं राजा साहब जौनपुर.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं व्यक्तिगत हमला नहीं करना चाहिये। मैं किसी को भी एक दूसरे की पार्टियों पर यहां हमला नहीं करने दूंगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैं अब केवल यह कहूंगा कि यहां बड़ी मजदूरों की दोस्ती की दुहाई दी गई और कहा गया कि मजदूरों की बेकारी की वजह से यह गल्ले की दूकानों पर हमला हुआ। मैं समझता हूं, यह बिलकुल गलत है और वाकयात से इतनी दूर है जितना रात से दिन दूर है। वाकया यह है कि पिछले दस साल से बराबर इस सूबे के संयोजित मजदूरों की संख्या बढ़ी है। हमने इस संबंध में बजट के मौके पर श्रम विभाग की ओर से एक पुस्तिका भी बांटी थी, उसकी ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाऊंगा; उसको अगर वह देखें तो मजदूरों के बारे में उनको पता चलेगा कि क्या स्थिति है।

यह भी कहा गया कि मिलों का रिक्वीजीशन किया जाय। शायद वह रिक्वीजीशन शब्द के बजाय कुछ और कहते तो अच्छा होता। मिल रिक्वीजीशन नहीं हुआ करतीं। उसके लिये कोई नियम नहीं है, कोई ढंग नहीं है। हम तो सरकार के नियम को लेकर ही चलते हैं और उनमें मिल के रिक्वीजीशन का सवाल नहीं आता। हम तैयार हैं किसी मिल को चलाने के लिये; शर्त यह है कि ऐसी मिल से पैदा किये माल की खपत के लिये माननीय सदस्य मंजूरी ले लें या इंतजाम कर लें; तो हमें कोई उज्र नहीं है।

पिछले दस सालों में हमारे देश में खास कर कपड़ा उद्योग में जो कठिनाइयां आयी हैं, उनका तजकिरा टेक्सटाइल इंक्वायरी कमेटी ने किया है, मैं इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के अधिकांश मिल्स कोरा कपड़ा और मोटा कपड़ा बनाते हैं और इसकी

[श्री हेमवतीनन्द बहुगुणा]

तादाद बढ़ी है । टेक्सटाइल इनक्वायरी कमेटी ने लिखा है कि सन् १९५५ से १९५७ के बीच में हमारे देश की मिलों में जो धोती की तादाद में बढ़ती हुई तो पहले अगर २ मिलियन यार्ड कपड़े की धोती बनती थी वह इन दो सालों में २०० मिलियन यार्ड हो गयी । यकायक सौ गुना उत्पादन अधिक हुआ । स्पष्ट है कि देश की समृद्धि बढ़ी, लेकिन उतने उत्पादन के लिये बाहरी बाजारों में, दूसरे देशों के' खपत नहीं थी और सिलसिलेवार मुकाबला अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति से करने पर, जोकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार है, हमें दिक्कत हुई । हम उतना अच्छा माल नहीं निकाल सके । उसके बावजूद हमारे उत्तर प्रदेश में कोरे कपड़े की मिलों का अपना स्थान है और हमने श्रमिकों को उनमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में काम दिया । यह हमारे लिये घमंड की बात है, यह मैं कह सकता हूं ।

माननीय पालीवाल जी ने कहा कि इस सदन में बैठकर हम पंडित जवाहर लाल नेहरू की बातों को नहीं मानते । मुझे खुशी हुई, हमारे नेता जवाहर लाल जी उन्हें प्रिय हैं । वह देश के प्राण हैं और हमारे अगुवा हैं, हमारे नेता हैं और देश के बनाने वाले हैं । तो पालीवाल जी ही उनकी कौन-कौन बात मानते हैं, यही बता दिया होता ।

मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता था और वह यह कि यह कहा गया कि केन्द्रीय खाद्य-मंत्री ने इस्तीफा दे दिया । यह वाकयात से बिलकुल दूर है । खाद्य-मंत्री का इस्तीफा पंडित जवाहरलाल जी की नीति-रीति और कांग्रेस की नीति रीति का द्योतक नहीं हो सकता । हमारे प्रदेश में गल्ले की कमी है । मेरा स्पष्ट मत है कि विरोधी दल वालों ने सरकार के हाथ को मजबूत नहीं किया । देश की जनता को जो नेतृत्व चाहिए था उसको देने में विरोधी दल ने कमी की है । मेरा आपके द्वारा उनसे निवेदन है कि नारों को भूल कर, इन छोटी मोटी बातों में न पड़कर कि पोलिटिकल कैपिटल हम इकठ्ठा करते हैं या वह करते हैं, यह हम सबका कर्तव्य है कि सालिड फाउंडेशन पर हम खड़े हों, हमारे देश की जनता को सही नेतृत्व मिले और जो आज संकट प्रदेश के सामने हैं उसका सामना कर सकें और लोगों को मुसीबतों से बचा सकें, ताकि हमारा देश जैसा कि हम उसको बनाना चाहते हैं और जैसा ऊंचा उठाना चाहते हैं वैसा हम उठा सकें ।

*श्री गेंदासिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय बहुगुणा जी जो हमारे नौजवान दोस्त हैं उनकी कुछ बातों का जवाब अगर नहीं दूंगा तो उन्हें डिसअप्वाइंटमेंट होगा, और मैं दो तीन बातों में जो उनकी उत्सुकता है, जिज्ञासा है उस जिज्ञासा भाव को संतुष्ट करना चाहता हूं ।

पहले तो वह सब की बात छोड़ दें, जवाहर लाल जी की बात को, जिनको कि उन्होंने अपना आंका कहा है, कम से कम अपने आका की बात तो माना करें, हमारी बात न मानें । आका ने कल परसों बंगलौर में कबूल किया कि अभी हमारी समझ में पहले पहल बात आयी है कि हिन्दुस्तान में खेती-बाड़ी की जब तक ठोस बुनियाद नहीं बन जायगी तब तक उद्योग नहीं चल सकते । अभी उद्योग का उलाहना दे रहे थे बहुगुणा जी कपड़ा मिल-मालिकों की ओर से कि बाहर के बाजारों में कपड़ा नहीं बिका । (व्यवधान) हमको ऐसा लगता है कि घंटों बैठकर आपके पास बात करनी होगी, जरा शान्ति से सुनिये । तो जब खेती करने वालों की हालत सुधरेगी तभी उद्योग बढ़ सकते हैं । यह तो आपके आका ने कहा है, उनकी बात तो मान जाइये ।

दूसरी बात अक्ल की उन्होंने कही । भगवान न करे उधर की अक्ल इधर आवे ! मेहरबानी करके वह अक्ल उधर ही रखें या वह अक्ल अगर देश से बाहर चली जाय तो देश का कल्याण हो जायगा । आप लोगों में सबसे ज्यादा अक्ल है उसे आप अपने पास ही रखिये,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमें उसकी जरूरत नहीं है। एक बात और कह दूं कि बुरे समय में हमसे अक्ल लेने की बात मत सोचिये। हम छोटे घर वाले हैं और आप बड़े घर वाले हैं और हमारा और आपका एक बड़ा आदमी इस देश में था और सारा संसार उसको बड़ा कहता है। उसी की बात पढ़ लिया कीजिये। यदि बुरे समय में उनकी बात पढ़ ली जाय तो आपस की जो बातें होती हैं वह बहुत कम हो जायं।

अब मैं दूसरी बात की तरफ ध्यान ले जाना चाहूंगा कि यह गलतफहमी इधर के और उधर के सदस्यों को नहीं होनी चाहिये कि सारा उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है। अगर कहीं ऐसा होगा तो देश की लुटिया डूब जायेगी। अध्यक्ष महोदय, उन करोड़ों लोगों का भी तो कुछ उत्तरदायित्व है जिन्होंने हमें यहां भेजा है, जो हमारे लिये कपड़ा, मकान, बिजली और सारी चीजों का बन्दोबस्त करके भेजते हैं। आखिर उनका भी तो कुछ उत्तरदायित्व है, उन्होंने अपना उत्तरदायित्व संभाला है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं, जिस समय सरकार जो करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लिये बैठी है, वह सारी असत्य की बातें दुहराने वाली हो जाय, वह जनता की तकलीफों को आराम समझने लगे, जब जनता नंगी हो तो यह कहे कि मखमल पहन रही है, जब भूखी नंगी जनता कराह रही हो तो यह सरकार कहे कि पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ रही है, उस समय जनता क्या करेगी? उन बदकिस्मत लोगों की जो कम खाने के आदी हैं और अक्सर उपवास करते हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ी लेकिन जब ग्रेनरी में आग लगी और वह इधर की अक्ल से लगी, हमारी अक्ल से नहीं लगी, तो हाथरस के हमारे भाइयों ने अपने को एसर्ट किया। मैं इसकी ताईद नहीं कर सकता हूं कि कोई भाई किसी दूकान से माल छीन ले। इस संबंध में मैं मुख्य मंत्री जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि दो वर्ष पहले अमेरिका में बाढ़ आई। उस देश में बहुत पुराना प्रजातंत्र है, उसमें धन भी है। उसके बाद वहां की जनता ने क्या किया? जरा उस सरकार की तरफ से सुस्ती हुई मदद करने में। उन्होंने डाका डाला और लूटा। मैं यह नहीं जानता था, यह स्वतः एक बार बहस होते हुये मुख्य मंत्री जी ने कहा था। मैं अब यह निवेदन करना चाहता हूं कि हाथरस के बाद, सादाबाद के बाद, जलेसर के बाद तो आंखें खोलें। क्या आपको मालूम नहीं है कि यह क्यों हो रहा है? क्या आपको इसकी जानकारी नहीं है कि १६ रुपये मन गेहूं बिक रहा है दिल्ली में और गाजियाबाद में २४ रुपये मन बिक रहा है? हममें ही अक्ल है और दिल्ली के लोग नालायक हैं कि वहां की जनता को, पंजाब की जनता को १६ रुपये मन गेहूं मिले। मैं आपसे कहता हूं कि यह सारी दुनिया जानती है और इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। मैं आज सवेरे ही दिल्ली से आया हूं।

किसने कहा कि जोनल सिस्टम बनाइये? यह केन्द्रीय सरकार ने नहीं कहा था बल्कि आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही कहा था कि हमारे यहां बहुत अनाज पैदा होता है, लेकिन अनाज बाहर चला जाता है इसलिये हम परेशानी में पड़ जाते हैं। यह चूंकि बाहर चला जाता है इसलिये अगर जोनिंग सिस्टम बना दें तो उत्तर प्रदेश तो सेल्फ सफीशौंट है ही और दूसरों को मदद करने लायक हो जायगा। फिर उत्तर प्रदेश में महंगी क्यों आयी? कहां है वह आंकड़े रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, कहां है वह नार्मल कंडीशन? मेहरबानी करके बताइये तो। श्रीमन्, यह बात सही है कि ऐसी स्थिति सारे देश में उत्पन्न नहीं होनी चाहिये कि लूट-मार की स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन जब तक लूटमार न हो और उसको भी कहा जाता है कि एक मामूली बात थी—उनको संतोष तो तब होगा जब इससे कुछ बड़ी बात हो। तो यह न्यौता देना है न? अब उत्तरदायित्व उसने संभालना शुरू कर दिया है और मैं समझता हूं कि उधर भी कम से कम उस अक्ल से नहीं तो दूसरों की अक्ल को मंगनी लेकर काम चलाया जा सकता है, दूसरों की अक्ल से ही कुछ काम चलाया जाय।

एक बात और अजीब है। उपज तो कभी कम हुई नहीं। फूड मिनिस्टर साहब कहते हैं कि उपज कम हो गयी, लेकिन उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है कि फूड मिनिस्टर को कहां अक्ल है, सारी की सारी अक्ल तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है। कभी कृषि विभाग

[श्री गेंदा सिंह]

कहता है कि फसल कम हो गयी, उस वक्त भी यह कह दिया गया कि यह गलत है। इस वक्त भी गवर्नमेंट की अक्ल है, उससे कुछ काम लिया जाय। यह हमारा दुर्भाग्य है कि एक लाख मर्तबा इस तरफ के लोगों ने आरज़ू की, मिन्नत की, धमकी भी दी और कुछ झगड़ा भी किया, आज शिब्बन लाल जी दिल्ली में और दूसरे साहब यहां हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। हमने तो डर के मारे हंगर स्ट्राइक छोड़ दिया। हमारे मित्र ने पिछले साल कहा था कि अगर मेरे हाथ में रहता तो इस आदमी को मैं मर जाने देता। गवर्नमेंट एक तरफ रहती और चीफ मिनिस्टर एक तरफ रहते। मैं डर के मारे हंगर स्ट्राइक नहीं करता क्योंकि मुझे मर जाना पड़ेगा। आखिर किस तरह से उनका ध्यान दिलाएं? कपार फोड़ कर अपनी अक्ल तो रखेंगे नहीं और वह आप लेने को तैयार नहीं हैं। जो बात हम कहते हैं उसको भी सुनने को वह तैयार नहीं हैं। मैंने मंत्री जी से कहा कि फसल का अंदाजा करने के लिये इजाजत दे दीजिये कि हम लोग भी जायं। तो नहीं। कलेक्टर? कलेक्टर भी नहीं, लेखपाल और कानूनगो जो कहेगा वह तुम्हें नहीं तुम्हारी सात पुश्त को मानना पड़ेगा चाहे जो हो।

अध्यक्ष महोदय, चाहे यह हजार बार कहा जाय कि उपज कम नहीं हुई है, लेकिन हुई। तो बाहर से बन्दोबस्त करना ही पड़ेगा। बाहर का हिसाब सुन लिया जाय। बम्बई से अनाज आने वाला है। एक हफ्ते तक गल्ला नहीं मिलता। जिस वक्त किसान के पास अन्न है उस वक्त उसके दरवाजे पर अन्न पहुंचेगा, लेकिन जब वह संकट में हैं, जैसे हमारे यहां कहा जाता है कि तोते की भी ठोढ़ पक जाती है जब कहीं कुछ नहीं मिलता खेत में न खलिहान में, ठीक उसी वक्त बम्बई की गाड़ी बिहार की तरफ चली जाती है यू० पी० की तरफ नहीं आती। यह इंतजाम की खूबी है।

मैं फिर आज कहता हूं, बार-बार दोहराता हूं और इस को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं फूड मिनिस्टर साहब से और पूरी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि १५,००० दूकानें बिहार में चलती हैं, ८,००० दुकानें केरल में, १,१०,००,००० की आबादी पर चलती हैं, बंगाल में ८,००० दूकानें चल रही हैं? और क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश के सारे हिस्सों में आग लगी हुई है? आज शहर के भाई, और गांव के भाई दोनों मुसीबत में काट रहे हैं और दोनों के ऊपर संकट का समय है तो फिर क्यों न इसका सही हल निकाला जाय? एक दिन यहां पर सवाल किया गया कि हमारे फूड मिनिस्टर हमको बतावें कि केरल में दुकानों की संख्या कितनी है, बिहार में कितनी संख्या है और बंगाल में कितनी संख्या है, लेकिन वह इसको नहीं जानते हैं। जब सेन्टर से अनाज लेना है तो आपको यह भी जानना चाहिये कि सेन्टर किस तरह से बटवारा करता है। अगर सरकार की जानकारी इसकी है तो आज भी हम पूछते हैं कि मेहरबानी करके यह सरकार बतावे कि कितना अनाज बिहार को मिलता है, बंगाल को कितना मिलता है, केरल को कितना मिलता है, मगर सरकार यह बता नहीं सकती क्योंकि वह मुंह छिपाने वाली बात है।

किसके ऊपर वह चोट आकर पड़ेगी? वह चोट आकर पड़ेगी उत्तर प्रदेश के रहने वालों पर। आप यह समझते थे कि कुछ किनारे पर लोग बसते हैं, उधर मरेंगे तो उसकी खबर लखनऊ तक नहीं आयेगी, लेकिन वह बीमारी तो सारे उत्तर प्रदेश में लगी। मुझे इस बात का अफसोस है कि सारे प्रदेश में वह आग लगी, क्योंकि हम यह समझते थे कि हमारे घर में अगर आग लगेगी तो मेरठ का भाई, बुलन्दशहर का भाई हमारी मदद आकर करेगा मगर अब तो सब जगह मुसीबत में लोग हैं तो फिर कैसे काम चले?

मैं थोड़ा सा बटवारे का हाल भी कहना चाहता हूं। एक जिला है और उसकी एक तहसील है जिसमें कांग्रेस के एक मेम्बर चुन कर चले गये और इत्तफाक से ३ मेम्बर दूसरी पार्टी के चले गये। मैं उस जिले का नाम नहीं लूंगा। वहां पर ७० दुकानें खुली हुई हैं। ३८ दुकानें उस इलाके में खोलने की इजाजत मिली जिसमें कांग्रेस सदस्य चुन कर चले गये हैं और ३२ दूकानें उस इलाके में खुलने की इजाजत हुई जिससे वह तीन मेम्बर चुन कर आये जो इत्तफाक

से दूसरे दल के चुन कर चले गये। मैं आपसे कहता हूं कि किसने बटवारा किया। मैं जानता हूं कि फूड मिनिस्टर ने बटवारा नहीं किया। मैं यह भी जानता हूं कि सेक्रेटेरियट से बटवारा नहीं हुआ, लेकिन जिसने बटवारा किया उसकी पीठ ठोंकी जाती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और ऐसा काम करते रहो तो जिन्दगी भर और दुनिया में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।

अन्त में एक बात मैं और कहना चाहता हूं। विरोधी नेताओं ने क्या किया, यह तो एक ऐसी अनर्गल बात है जिसका कोई आधार नहीं है। कोआपरेशन की बात सरकार की तरफ से होती है। रोज इस तरह की बातें होती हैं। हम तो कोआपरेशन की बात नहीं करते, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने एक कमेटी कन्वीन करने की कोशिश की कि विरोधीदल के नेताओं से विचार विमर्श करके कोई एक मत की बात निकाली जाय। मगर क्या बात हो गई जिससे वह प्रस्ताव गर्भ में ही मर गया ? क्यों उस पर विचार नहीं हुआ ? जब देश के सामने संकट आता है तब यहां पर बहस होती है। इसलिये मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सचमुच राजनीति इस मामले में न लाई जाय। अगर राजनीति इसमें लायेंगे तो हम इस देश को खतरे की तरफ ले जाते हैं और न यह हमारे लिये उचित है और न आपके लिये है।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मान्यवर, मैं बड़ी देर से इस बहस को सुन रहा था बड़े ध्यान से, यह सोच कर कि जो अपने प्रदेश की खाद्य की समस्या है उसके सुलझाव के लिये आदरणीय पालीवाल जी ऐसे हमारे पुराने नेता और योद्धा और हमारे माननीय गेंदा सिंह जी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अक्ल का ठेका ले रखा है और जिन्हें भगवान् ने २ अक्ल में से १॥ बांट दी और आधी को सारी दुनिया में बांट दिया, वह कोई सुझाव पेश करने की चेष्टा करेंगे और हम लोग जिनके ऊपर इस बिगड़ी हुई खाद्य समस्या को सुलझाने का उत्तरदायित्व है और जिनकी नीति दुर्नीति समझी जाती है और दोषपूर्ण समझी जाती है वह कदाचित् कुछ प्रकाश प्राप्त करेंगे। यादवेन्द्रदत्त जी कोई विशेष सुझाव दे सकेंगे, इसकी मुझे उनसे आशा नहीं थी, क्योंकि मैं समझता हूं कि उन्हें कुछ बहुत सार्वजनिक जीवन का अनुभव नहीं है और यदि होता तो अभी हमारे साथी खाद्य मंत्री जी के लिये 'कैलस' 'केयरलेस','चुल्लूभर पानी',इस प्रकार के शब्दों का वह प्रयोग कभी न करते। उन्होंने उनकी लखनऊ की तहजीब देखी और यह भूल गये कि उनका मकान जौनपुर में है। हमारे खाद्य मंत्री जी उन्हीं के साथी और उन्हीं के जिले के रहने वाले हैं। वह बहुत दिनों से लखनऊ में हैं और यादवेन्द्रदत्त जी अभी हाल में आये हैं। अभी लखनऊ की तहजीब समझ में आयी नहीं, नहीं तो कभी भूल कर भी 'चुल्लू भर पानी' का जिक्र न करते।

जहां तक खाद्य समस्या का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि अकल के बटवारे का सवाल यहां नहीं था। यह मान भी लें कि उधर बहुत अकल है, तो भी उस अकल से हमको कुछ लाभ मिलना चाहिये और यह भी मान लें कि अकल बिल्कुल कम रही है तो हमारे किन्हीं साथियों का यह कहना कि उपवास कर रहे हैं तो मर जायं, और उनमें यह अकल आ गयी कि वे उपवास करने का फिर नाम न लें, यह किस बात का द्योतक है ? तो अकल के बटवारे का सवाल नहीं है। सवाल है खाद्य समस्या का। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो यह स्वीकार न करे कि हमारे प्रदेश की खाद्य समस्या गंभीर है। न कोई यह कहेगा कि हमारी खाद्य समस्या इस तरह की है कि जिसमें कुछ चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसी बात होती तो इतना प्रबन्ध कभी न किया गया होता जो इस प्रदेश की सरकार ने खाद्य की समस्या के सुलझाव के लिये किया है।

हम जानते हैं कि हमारे देश की समस्या गम्भीर है। यह ज्ञान अभी पार्लियामेंट के विवाद से हमको प्राप्त हुआ और दूसरी जगहों की भी सारी जानकारी हमको हासिल हुई कि सारे देश में खाद्य की समस्या गम्भीर है। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से गम्भीर है इसमें सन्देह नहीं। पश्चिम के हमारे इलाके जिनमें कि गल्ला अधिक पैदा हुआ करता था और जो बाढ़ से बचते

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

रहते थे और जहां सूखा भी कम पड़ता था, क्योंकि नहरों का बहुत काफी इन्तजाम था, वह आज पिछले चार, पांच सालों से, मान्यवर, ऊपर से नीचे तक ध्वस्त हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है पर हमने बाढ़ को वहां बुलाया नहीं। हमारी किसी दोषपूर्ण नीति के कारण बाढ़ नहीं आयी, कोई दुर्नीति नहीं थी कि जिसके कारण बाढ़ वहां आयी हो। इस वर्ष भी बड़े लम्बे चौड़े क्षेत्र में वहां बाढ़ आयी और उसकी वजह से नुकसान हुआ और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, जहां बाढ़—सूखा, अन्न की कमी, जन-संख्या की वृद्धि और अभाव होना खेतों का, किसी प्रकार का विशेष व्यापार न होना, इत्यादि अनेक कारणों से जो गरीबी रही है वह प्रतिवर्ष बाढ़ और सूखे की वजह से तबाह और बरबाद होते गये। उसने हमारी खाद्य की समस्या को और गम्भीर किया है क्योंकि वहां पहले ही गरीबी रही है। वह प्रदेश और गरीब हुआ। इस वर्ष जो आंकड़े मिले हैं उनसे स्पष्ट है कि हमारे यहां अनाज कम हुआ है। खरीफ और रबी, दोनों में फसल खराब हुई है।

इस स्थिति का मुकाबला करने की कोशिश सरकार ने की और मैं समझता हूं कि जो कुछ भी संभव था, जो सुझाव हमारे सामने आये, जो मानने योग्य रहे, उनको हम ने माना और इस समस्या को हल करने की चेष्टा की। बहुत सी दूकानें खोली गयीं, बहुत सा गल्ला आया, बहुत सी जगहों में टेस्ट वर्क चले, बहुत जगहों में गल्ला मुफ्त भी बांटा गया, बहुत जगहों में तकावी दी गयी, बहुत जगहों में रेमिशन दिया गया, बहुत जगहों में इस प्रकार से भी सहायता की गयी कि जिसमें किसी प्रकार से उनके वसूल करने की कोई आवश्यकता नहीं हो, मुफ्त में उन लोगों को सहायता मिल जाय, जो इस तरह के लोग थे उनको, इसमें किसी को संदेह नहीं और वह आंकड़े हमारे खाद्य मंत्री जी स्वयं प्रस्तुत करेंगे। बावजूद उन तमाम चीजों के भोजन की समस्या हमारे यहां गम्भीर है। कदाचित् गम्भीरता कुछ कम हो गयी होती यदि बाढ़ न आयी होती। बैठे बैठाये हमारे गेंदा सिंह जी के क्षेत्र में हजारों एकड़ में मक्खियां लग गयीं और धान की फसल नष्ट हो गयी। हजारों एकड़ भूमि सरजू और राप्ती की बाढ़ से तबाह है और खड़ी हुई फसलें बरबाद हो गयी हैं। यह सब प्रत्यक्ष है। अब इस स्थिति में यह होना चाहिये था कि वे यह बताते कि इस समस्या का सुलझाव क्या होगा। आदरणीय पालीवाल जी को हमारी नीयत पर सन्देह नहीं, उन्होंने कहा कि उन्हें हमारी नीयत पर सन्देह नहीं है, हम भरसक चेष्टा भी करते हैं, लेकिन हमारी नीति दोषपूर्ण है। कौन सी हमारी नीति दोषपूर्ण है? क्या गल्ले का बांटना दोषपूर्ण है, क्या तकावी देना दोषपूर्ण है, क्या टेस्ट वर्क चलाना दोषपूर्ण है और इस तरह से जनता को सहूलियत देने के लिये लाखों रुपया खर्च करना दोषपूर्ण है? कौन सी हमारी नयी नीति है जो दोषपूर्ण है? क्या दोषपूर्ण हो गया? माननीय गेंदा सिंह जी के भाषण से एक बात दोषपूर्ण अवश्य मालूम हुई कि दूकानों का बटवारा ठीक नहीं हुआ है। उनकी कांस्टीटुएंसी में ३० दूकानें हैं और किसी दूसरी कांस्टीटुयेंसी में ७० खुल गयी हैं। माननीय यादवेन्द्रदत्त जी ने जो दोष देखा वह यह देखा कि दूकानों का बटवारा गलत हुआ। किसी के प्रोटेक्शन में किसी को मुनाफा होता है। क्या यही एक दोषपूर्ण नीति हमारी है? और कौन सा दोष है जिसको आपने देखा?

अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के प्रस्ताव इस समस्या का सुलझाव हैं जिन प्रस्तावों में यह कहा जाय कि हाथरस में लोगों ने असर्ट किया और दूसरी ओर यह कहा जाय कि हम इसको बुरा समझते हैं कि गल्ला लूट लिया जाय, लेकिन उन्होंने असर्ट किया। उन्होंने एक प्रमाण भी प्रस्तुत किया। विशेषरूप से अमेरिका का प्रमाण उपस्थित किया गया। इस प्रकार से खाद्य की समस्या जो वैसे ही बुरी है, उसको और बुरा बनाकर अराजकता और कानून तोड़ने की भावना लोगों में उत्पन्न की जाती है और इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं कि अगर उपद्रव न भी होते हों तो होने लगें, अगर एक स्थान पर हो रहा है तो उसको सारे प्रदेश में फैलाया जाय। क्या यही प्रदेश की सेवा है? क्या खाद्य समस्या को हल करने का उपाय यही है? मैं विरोधी दलों के नेताओं से अपील करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि

क्या इस प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा है जो खाद्य समस्या से गम्भीर रूप से प्रभावित न हो। क्या कोई जिला ऐसा है जहां कानून के विरुद्ध आप लोगों ने लोगों के अन्दर मनोभाव इस प्रकार के पैदा करने की चेष्टा न की हो? मुझे ऐसी खबरें मिली हैं कि विरोधीदल के नेताओं ने यहां तक कहा कि दूकानों से गल्ला ले लो अगर तुमको खाना नहीं मिलता है तो। 'घेरा डालो' आन्दोलन चलाया और कानून तोड़ने की प्रवृत्ति पैदा की। क्या यही इस समस्या का हल है कि तहसीलदारों को पीटा जाय, कलेक्टरों को पीटा जाय? क्या इस प्रकार से खाद्य समस्या को हल किया जा सकता है कि लगान को बन्द कर दिया जाय, कमिश्नरी, कलेक्टरी और तहसीलों के कामों को बन्द कर दो, सत्याग्रह करो, अगर प्रदेश में एक जगह आग लग रही हो तो सारे प्रदेश में आग लगा दो? क्या इससे प्रदेश की खाद्य समस्या सुलझ सकती है? इसका तो केवल एक ही अर्थ हो सकता है, कि प्रदेश की जो इस समय खाद्य स्थिति खराब हो रही है, उस बिगड़ी हुई स्थिति से आप भरपूर लाभ उठायें और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें जिससे समाज और इस सरकार का चलाना असंभव हो जाय। यह कोई राजनीतिज्ञता नहीं है, प्रदेश की सेवा नहीं है, यह खाद्य समस्या को हल करने का उपाय कदापि नहीं हो सकता। वह इस प्रकार हल होने वाली नहीं है। इससे भले ही आप प्रदेश को संकट में डाल दें, सरकार को संकट में डाल दें और इस कारण कि आप एक मिनिस्टर से नाराज हैं, सारे प्रदेश को मुसीबत में डाल दें; इसमें आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन इससे प्रदेश का सत्यानाश हो जायगा।

आज की परिस्थिति एक गम्भीर परिस्थिति है। वह इस बात की आज आपसे मांग करती है कि आप लोगों से कहें कि खाद्य की समस्या इतनी बिगड़ी हुई नहीं है, आप इससे परेशान न हों, सरकार जो कुछ कर रही है उससे लाभ पहुंचेगा और जो कुछ आगे सम्भव होगा उसको करने की चेष्टा करेगी, आप जैसे भी हो उस पर काबू पाने की चेष्टा करें। चलिये, हिम्मत करके अधिक पैदा कीजिये, अधिक से अधिक खाद्यान्न को उत्पन्न कीजिये, मुसीबत का समय अवश्य है लेकिन पुरुषार्थ करो, सरकार के सामने हाथ मत फैलाओ और अपने को दीन दरिद्र न समझो। उनके हृदय के अन्दर यह भाव भरा जाता कि सरकार इन कठिनाइयों का सामना करने के लिये प्रत्येक उपाय कर रही है, न कि यह कि उनको उभाड़ा जाता कि अराजकता पैदा करो, कानून की अवहेलना करो, सरकार की निन्दा करो और सबसे बड़ी बात यह कि यह विश्वास कर लेना कि, हां भगवान्! कल खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे परिस्थिति सुलझ नहीं सकती। मैं आपसे करबद्ध, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि भले ही आप बहस करें लेकिन मेरे पास रिपोर्ट है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं किसी पर लांछन नहीं लगाता लेकिन जिस प्रकार की घटना हाथरस में हुई है और दूसरी जगहों पर हुई हैं उनको आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष मालूम होगा कि इसके पीछे है क्या, किस प्रकार से चीज हुई है। जो केवल इसलिये सत्याग्रह करना चाहते हैं कि भगवान करे, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाय कि सरकार असफल हो जाय, तो आपका लक्ष्य पूरा भले ही हो जाय लेकिन आप इस बात को भी समझ लें कि इससे समाज छिन्न-भिन्न हो जायगा और नष्ट हो जायगा। और वह इतना बड़ा अपराध होगा जिसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकेगा। मेरी प्रार्थना है कि आप खाद्य समस्या को हल करने के ऊपर सोचें और हमें सुझाव दें कि कैसे खाद्य समस्या हल हो सकती है। अगर किसी मीटिंग में आप आये और मिनिस्टर ने कह दिया कि आज मीटिंग नहीं होगी तो इस तरह से आपको भावुक नहीं होना चाहिये कि उसका प्रतिशोध इस तरह से लें। आपके जो सुझाव होंगे उनके ऊपर हम विचार करेंगे। आपको चाहिये कि किसानों से जाकर कहें कि तुम अधिक अन्न उत्पन्न करो और इस तरह से यह समस्या सुलझ सकती है।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, में निवेदन करना चाहता हूं कि अभी दो पार्टियां ऐसी हैं जिनको अपनी भावनाओं को जाहिर करने का अवसर नहीं मिला और यह प्रश्न उपस्थित हो गया।

मैं इसका विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि यह तरीका विरोधी पक्ष के कुछ अंगों को अपनी बातें न कहने देने का है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें।

श्री झारखंडे राय—अभी ३५ मिनट समय बाकी है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, आपने व्यवस्था दी थी कि इसके लिये २ घंटे का टाइम देंगे, तो क्या उस बीच में भी यह क्लोजर का मोशन प्रस्तुत किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—जी हां, हो सकता है।

एक बात मैं कह दूं कि मैं देखता जाता था लेकिन आप (श्री झारखंडे राय से) उठते नहीं थे।

श्री झारखंडे राय—मैं तो उठा था।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, अभी उठे थे।

श्री झारखंडे राय—मैं उठना चाह रहा था, लेकिन आप (गृह मंत्री) बोलते रहे, इसलिये मैंने उठना उचित नहीं समझा।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, अब तो जो गलती की है उसे भुगतना पड़ेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन् मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं।

मैं देखता रहा कि आप बोलने के लिये उठेंगे, लेकिन आप उठे नहीं। मैं बहुगुणा जी को न बुलाता अगर आप में से कोई खड़ा होता, लेकिन आप खड़े नहीं हुए। इससे मैंने अन्दाजा लगाया कि इस ओर का कोई सदस्य बोलना नहीं चाहता इसलिये मैंने उनको बुला लिया।

श्री झारखंडे राय—श्रीमन्, मैं देखता आया हूं कि यहां पर जब किसी विषय पर बहस होती है तो, क्रम से भिन्न-भिन्न पार्टी के लोगों को बोलने का अवसर मिलता है और चूंकि मेरी पार्टी इस सदन में सब से छोटी है इसलिये मैंने सोचा कि मुझे बाद में समय मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—तो पहले आप मुझको सूचना दे देते कि किस क्रम से आप लोग बोलना चाहते हैं।

श्री झारखंडे राय—अब तक तो यही हुआ करता था।

श्री अध्यक्ष—खैर, अब तो वह बात खतम हो गयी। अब प्रश्न उपस्थित हो चुका है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, ...

श्री झारखंडे राय—चूंकि प्रश्न उपस्थित हो गया है और हम लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिला इसलिये हम लोग कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे।

(इसके पश्चात् कम्युनिस्ट दल के सदस्य सदन छोड़ कर चले गये। सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी श्री रामस्वरूप वर्मा के नेतृत्व में सदन छोड़ कर बाहर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे—अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बहुसंख्यक दल ने इतनी भी कर्टेसी नहीं बरती कि जब दो दलों के लोग बोलने को बाकी हैं और उन्होंने क्लोजर मूव कर दिया। खैर, जैसी उनकी बुद्धि है जिसका उन्होंने परिचय दिया है वह उन्हीं को मुबारक हो, वह जिसको चाहें उसको बांटें। (शोर) आपके हल्ला करने से मैं चुप नहीं रह जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—आप जारी रखें।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे—श्रीमन्, मैं अभी माननीय त्रिपाठी जी की बात सुन रहा था, बड़े गौर से सुन रहा था और आशा करता था कि बहुत दिनों से इस सदन में बैठे हुये हैं, बहुत वयोवृद्ध हैं, कुछ इस समस्या में जो मतों का अन्तर है इनके अन्तर को दूर करने की, इनके समन्वय की बात निकालेंगे, परन्तु उनका सारा भाषण सुनकर मुझे एक पद याद आता है—

"तेन वृद्धो न भवति . . ."

जिसके बाल सफेद हो जायें वह वृद्ध नहीं हुआ करता, अनुभवी नहीं हुआ करता।

श्रीमन्, अभी हमारे बहुगुणा जी ने बड़ी नींव की बात की। मैं उसकी उपेक्षा की दृष्टि से अवहेलना करता हूं। केवल इतना ही कहूंगा श्रीमन्, कि उनको बड़ा गुस्सा इस बात का है कि मैंने जिस बात को कहा कि सरकार दो जबान से बोलती है और उस उदाहरण में सरकार की ओर से हल्ला किया गया, कोआपरेशन की बात के ऊपर कहा कि वह कोआपरेशन से भागते हैं, इस दृष्टि से वह उदाहरण मैंने पत्र-व्यवहार का दिया था। परन्तु वह उसको कुछ दूसरा समझते हैं। हो सकता है कि बरेली और त्रिवेणी के संगम की बुद्धि हो। वह उन्हीं दोनों को मुबारक हो!

श्रीमन्, मैं इतनी देर से सुन रहा था कि विरोधी दलों की ओर से समस्या का हल नहीं आया। मैंने अपने भाषण में स्पष्ट कहा कि आपको लोगों को काम देना चाहिये, वह आपने नहीं दिया। मैंने स्पष्ट आरोप और लांछन लगाये कि आपको ठीक से गल्ला बांटने की व्यवस्था करनी चाहिये थी, राशन कार्ड देना चाहिये था, वह आपने नहीं किया है और तीसरा आरोप मैं फिर लगाता हूं और मंत्री महोदय पर लगाता हूं कि जो होर्डिंग की बात चल रही है प्रान्तों के अन्दर, जिसका कि आज इस सदन के अन्दर प्रश्न उठा था कि कितने बड़े बड़े व्यापारी होर्डर्स पकड़े गये, मंत्री महोदय एक का भी उत्तर नहीं दे सके। केवल इसी बात का उत्तर दिया कि हम उनसे स्टाक रजिस्टर मंगाते हैं। यह बात आज आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि हर स्टाकिस्ट दो दो रजिस्टर रखता है, हर बड़ा बड़ा व्यापारी चार चार बहियां रखता है। आपके पास सी० आई० डी० है, सारी जांच करने की, इन्क्वायरी करने की, मशीनरी है। लेकिन क्या आपने इसका उपयोग किया? मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आपने नहीं किया। मैं फिर अपनी आंखों देखा उदाहरण देता हूं। यहीं लखनऊ नगर की बात है। जिस समय यहां लोग भूखों मर रहे हैं, परसों की बात है यहां जो सबसे बड़ा गल्ले का बाजार है, उधर से वजीरगंज की तरफ से मैं आ रहा था, आधी सड़क पर एक बड़े भारी व्यापारी का ४ ट्रक गेहूं बिछा हुआ था। आपके अधिकारी क्या अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अन्धे होकर बैठे हुये हैं? बड़े दुख की बात है। मैं तो कहूंगा कि लज्जा की बात है। यह, श्रीमन्, वही दृश्य है आज यहां लाना चाहते हैं जो बंगाल में सर जान हर्बर्ट के कारण उपस्थित हुआ था। बंगाल का जो स्वरूप सर जान हर्बर्ट ने किया था वही आज इस प्रान्त का हमारे खाद्य मंत्री करने जा रहे हैं। इस प्रान्त में जो भी आज भूखों मर रहे हैं और आगे जो भी इस प्रान्त की दुर्गति होगी उस सारे का रक्त मंत्री जी के सिर पर होगा। मैं उनसे मांग करता हूं कि अपने पद से इस्तीफा दो। अगर ठीक व्यवस्था नहीं कर सकते तो इन कुर्सियों से हट जाओ। सरकार की ओर से सही व्यवस्था होनी चाहिये।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

श्रीमन्, खाद्य मंत्री कहेंगे कि हमको स्टाक नहीं मिलता। क्या कारण है केरल में १०,००० दुकानें और आपके यहां कुल ३,४०० ? कौन स्टाक देता है ? भारत सरकार किसकी है ? उत्तर प्रदेश के ही भारत सरकार के खाद्य मंत्री हैं। और अगर भारत सरकार गल्ला नहीं देती है तो कारण क्या है ? दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आप उनको ऐसे गलत आंकड़े देते हैं जिससे कि उनको यह विश्वास हो गया होगा कि इस प्रान्त में अन्न की उतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है या फिर भारत सरकार को स्वयं अविश्वास है इस मन्त्रिमंडल के ऊपर कि यह मंत्रिमंडल ठीक से गल्ले की व्यवस्था नहीं कर सकता। क्यों नहीं उन्होंने भारत सरकार से गल्ले की मांग की ? क्यों नहीं माननीय मुख्य मंत्री जी ने और कैबिनेट के मंत्रियों ने केन्द्रीय सरकार से स्पष्ट कह दिया कि वे इस प्रान्त के लोगों को भूखे नहीं मरने देना चाहते ? हमको पर्याप्त गल्ला भारत सरकार दे। अगर इन्होंने आवश्यकता बतायी है और केन्द्रीय सरकार ने नहीं दिया है तो इसके माने यह होंगे कि इनके बताने में और कोशिश करने में कोई गड़बड़ी है। माननीय गेंदा सिंह जी ने बताया कि गल्ले से लदे हुये वैगंस इस प्रान्त में न आ कर दूसरे प्रान्त में जाते हैं। कौन है रेलवे मिनिस्टर ? यह कह कर हमारे खाद्य मंत्री नहीं छूट सकते कि गल्ला लाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, भारत सरकार को लाना चाहिये, उनकी जिम्मेदारी है। ऐसी भीषण स्थिति में क्यों नहीं सरकार प्रान्त में स्वयं खरीदना शुरू करती ? क्यों नहीं स्टाक्स को रिक्वीजीशन करती ? खाली कागज पर घोड़ा दौड़ाने से काम नहीं चलेगा। कह दिया कि २०० फैक्टरियों का गल्ला पकड़ा, बड़ा कमाल किया ! यह कौन सा कमाल है ? अगर सरकार की यही नीति है तो अत्यन्त ही निन्दनीय है और सरकार पर और खास कर खाद्य मंत्री के माथे पर प्रान्त में भूख से मरने वाले लोगों के खून का टीका लगेगा।

श्रीमन्, एक बात और कहूंगा कि अब भी समय है, सरकार अब भी सचेत हो जाय, सरकार को सचेत हो कर विचार करने की जरूरत है और इसमें हमारी या आपकी प्रेस्टिज का कोई सवाल नहीं है। सवाल आज लोगों की जान का है। प्रान्त में जो खतरे की अवस्था खड़ी हो रही है उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है और विचार करने से अधिक काम करने की जरूरत है।

मैं एक सुझाव और दूंगा, उनकी समझ में आये या न आये। श्रीमन्, इस स्थिति का मुकाबिला वार-फूटिंग पर किया जाना चाहिये। क्यों नहीं एक हाई पावर कमेटी कैबिनट की बनायी जाती और उसमें विरोधी दलों के लोगों को भी लिया जाता है ? और क्यों नहीं उस कमेटी को सम्पूर्ण अधिकार दे कर ठोस कदम उठाया जाता ? लेकिन यह सरकार, श्रीमन्, इसके लिये तैयार नहीं है। तो यह जो दो जबान से बोलने की नीति है इसी का नतीजा है कि आज यह भीषण परिस्थिति खड़ी हुई है।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः सब से निवेदन करूंगा कि किसी प्रकार के दल की बात ध्यान में न रखते हुये शुद्ध भाव से इस प्रश्न पर विचार करें। और अन्त में, श्रीमन्, इस बहुमत दल ने, संख्यासुर जिसे माननीय पालीवाल जी कहते हैं, जिस प्रकार दो प्रमुख विरोधी पार्टियों के सदस्यों के बोलने के अधिकार को छीना है उसके प्रोटेस्ट में मैं जनसंघ के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(इसके उपरान्त जनसंघ के सदस्य सदन का त्याग कर गये।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—मान्यवर, यह परिपाटी चली आयी है कि सदन के सभी दलों को वाद-विवाद में हिस्सा लेने दिया जाता है। लेकिन आज दो प्रमुख विरोधी दल सरकार

के रुख के कारण इस वाद विवाद में भाग नहीं ले पाये इसलिये हम भी विशेष परिस्थिति में वाक आउट करते हैं।

(प्रजा समाजवादी दल, समाजवादी दल और आई० पी० पी० दल के सदस्य सदन का त्याग कर गये।)

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, जो मंजर इस वक्त आपके सामने पेश हुआ उसी से यह मालूम हो गया कि असली नीति इन लोगों की क्या थी। हमारे राजा साहब जौनपुर अभी ६ वर्ष पहले तक गालिबन हजारों ही काश्तकारों पर अगर वे अपना लगान न देते होंगे तो खुदा जाने क्या क्या उन पर मुसीबतें ढाते होंगे ....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं आप वैयक्तिक हो रहे हैं, पर्सनल हमला कर रहे हैं, जो दूसरे की गैरहाजिरी में नहीं होना चाहिये।

श्री सैयद अली जहीर---वह उस क्लास के हैं ....

श्री अध्यक्ष---जो नहीं, मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है, वे किसी क्लास के हों।

श्री सैयद अली जहीर---आपने सुना कि दो जबान की बात उन्होंने मेरे लिये ५० दफा दोहरायी और मेरे मुताल्लिक कहा है।

श्री अध्यक्ष---आपको जात पर नहीं कहा गया, मिनिस्टर की हैसियत से हमला था।

श्री सैयद अली जहीर---मेरे मुताल्लिक कहा गया। बार-बार दोहराया।

श्री अध्यक्ष---अब मैं वैयक्तिक आक्षेप करने की इजाजत नहीं देता हूं। मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि आप मंत्री हो कर और उनकी पुरानी लाइफ का जिक्र करें। अगर उन्होंने इस वक्त या इस सिलसिले में कोई सलूक आपके साथ किया हो तो आप कह सकते हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं और उस पर टीका कर सकते हैं।

श्री सैयद अली जहीर---आप चाहते हैं कि मैं उनकी इस वक्त की ही बातों का जिक्र करूं तो मैं कहूंगा कि जो नमूना उनकी जिन्दगी का था वह आज भी उन्होंने पेश किया है।

शिकायत इस बात की की गई कि मैंने खुद उन के खत का जवाब नहीं दिया और मेरे सेक्रेटरी ने जवाब दिया। जहां तक उस खत का ताल्लुक है, अगर वह मेरे पास सीधे आता तो मैं यकीनन उसका जवाब उन्हें देता, लेकिन उन्होंने वह खत माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेजा था और फिर वह खत मुख्य मंत्री जी के यहां से मेरे यहां आया कि इस पर जरूरी कार्यवाही की जाय और मैंने मुनासिब जरूरी कार्यवाही उस पर की। मैंने उनको बुलाया और मैं चाहता था कि जितने खाद्यान्न के मुताल्लिक उनके सुझाव हैं जो और दूसरे विरोधी दलों के नेताओं के सुझाव हैं उनको लेकर मेरी उनसे बातचीत हो लेकिन उनकी तरफ से इसकी और मेरी दावत की कतई परवाह नहीं की गई और आखिर में यह बहाना किया गया कि चूंकि उस कान्फ्रेंस में माननीय मुख्य मंत्री जी शरीक नहीं होंगे इसलिये हम भी शामिल होना नहीं चाहते। जाहिर है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को कोई हुक्म तो दे नहीं सकता। वह नेतागण उन से खुद अगर कहते तो यकीन है कि वह तैयार भी हो जाते और उनसे जरूर मिल कर सुझाव सुनते। इससे साबित है कि वह सिर्फ एक राजनैतिक सवाल इस मसले की आड़ में बनाना चाहते हैं और एक परेशानी पैदा करना चाहते हैं और वाकई समस्या का हल करना नहीं चाहते। आज का जो उनका तर्जेअमल रहा है उससे भी आप के सामने यह बात जाहिर होती है।

कहा गया कि दो जबानों से माननीय न्याय मंत्री जी बात करते हैं और कहा गया कि मंत्री जी ने यह वादा किया था कि २ अदालती पंचायतों के ऊपर एक दूकान होगी और जौनपुर में केवल १२४ दुकानें खोली गई हैं। वाकया इससे जुदा है। वाकया यह है कि जौनपुर

[श्री सैयद अली जहीर]

जिले में केवल २१४ पंचायती अदालतें हैं और वहां इस वक्त दूकानों की तादाद २३२ है, यानी एक पंचायती अदालत पर एक दूकान से भी ज्यादा दुकानें वहां मौजूद हैं और उनका एतराज है कि वहां काफी दुकानें नहीं हैं। यह भी कहा गया कि आप काफी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और उसके कारण लोगों में भुखमरी फैली है और काफी परेशानी है और सरकार उसका कोई इलाज नहीं कर पा रही है। अकबरपुर का वाकया बयान किया गया कि वहां सड़ा हुआ अनाज खाने को दिया गया। मैंने जैसा कि जवाब में कहा था और सुबह बताया था कि यह बात बिलकुल गलत है, जो अनाज सड़ा हुआ था वह पहले ही अलग कर दिया गया था। उसको खाने के लिये नहीं दिया गया बल्कि उसे नीलाम कर दिया गया खरीदने वाला उसको जी चाहे जैसे इस्तेमाल करे इससे हमारा वास्ता नहीं। जाहिर है कि अगर वह खाने के काबिल न होगा तो उसने वह जानवरों को दिया होगा या अच्छा कुछ निकाल कर बाकी दिया होगा, कुछ भी किया होगा लेकिन जहां तक यहां की दुकानों का ताल्लुक है उसमें से एक सेर गल्ला भी सड़ा हुआ नहीं दिया गया।

मैं और और बातों का कहां तक जवाब दूं? होर्डर्स के मुताल्लिक कहा गया कि उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती। मैंने बार-बार कहा है और सदन में भी कहा है और मैं हमेशा चाहता हूं कि अगर कोई हमें आथेन्टिक इत्तला दें तो हम कार्यवाही करने को तैयार हैं। कहा गया कि वह दुकानदार दो किताबें या बहियां रखते हैं और इस तरह से वह होर्डिंग को छिपाते हैं। सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अगर हम हर इत्तला पर ऐसी कार्यवाही करने लगें तो हमें अन्देशा है कि बजाय फायदे के नुकसान भी हो सकता है। यही बातें मुझे अर्ज करनी थीं।

बहरहाल, जो हजरात शिकायत करने वाले थे और जिन्होंने यह सवाल उठाया था उनको तो इतनी भी दिलचस्पी नहीं है कि वह जवाब सुनें और उनको यह मालूम हो कि किस तरह से कदम उठाये गये हैं, और वह यहां से जा चुके हैं। मुझे इस वक्त ज्यादा नहीं कहना है। मैं चाहता हूं कि इस हाउस के सामने क्वेश्चन पुट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि हाथरस, जिला अलीगढ़, में बाढ़ और मंहगाई के कारण तथा सरकार की दुर्लक्ष्य और उदासीन नीति के कारण जनता अत्यधिक परेशान है। इसके परिणामस्वरूप गत दो दिनों से अनाज की लूट प्रारम्भ हो गयी है। जनता में क्षोभ व्याप्त है और प्रान्त की शांति व सुरक्षा भंग होकर अराजकता अपना विकराल रूप धारण कर रही है। अतएव सदन का मत है कि इस निश्चित तथा महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिये सदन आज का अपना कार्य स्थगित करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब गृह मंत्री के एक प्रस्ताव पर कि "इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय, श्री रामस्वरूप वर्मा भाषण देंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा नहीं हैं। तो क्या सदन की राय है कि इस वक्त कार्यवाही आगे बढ़ायी जाय?

कुछ सदस्य--नहीं।

श्री अध्यक्ष--तो अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बज कर १० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२६ अगस्त, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १११ पर)

नाविक जल मजदूर संघ की मांगें तथा उन पर की गई कार्यवाही

मांगें	कार्यवाही
१—घाटों की ठेका पद्धति समाप्त कर लाइसेंस पद्धति चालू की जाय।	१—इस मांग पर सरकार का निश्चय जिलाधीश, जौनपुर को दिसम्बर, १९५६ में सूचित कर दिया गया।
२—जहाजों पर शिक्षित नाविकों के लिये ७५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रक्खा जाय।	२—४—गंगा ब्रह्मपुत्र वाटर ट्रांसपोर्ट बोर्ड के पास यह मांगें राज्य सरकार द्वारा भेजी गई थीं। उनका उत्तर प्राप्त होने पर जिलाधीश, जौनपुर को सूचित कर दिया गया था कि जहाजी ट्रेनिंग के लिये सभी राज्यों से चुनाव किया जाता है। यह चुनाव एम्प्लायमेन्ट इक्सचेन्ज द्वारा अथवा स्थानीय निर्मित कमेटियों द्वारा होता है और जहाज सम्बन्धी पद्धति जानने वालों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। १८ से २५ वर्ष के युवकों को, जो कक्षा ४ तक पास हों और जो स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्धारित स्तर के हों, लिया जाता है। इलाहाबाद में साधारणतया हर तीन महीने में डाइरेक्टर जनरल आफ शिपिंग के प्रतिनिधि तथा स्थानीय एम्प्लायमेंट इक्सचेंज अफसर द्वारा चुनाव किया जाता है। इस स्थिति की सूचना जिलाधीश, जौनपुर, को फरवरी, १९५८ में भेज दी गई।
३—उत्तर प्रदेश में बरहज बाजार, देवरिया जिला में नाविकों के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाय।	
४—जो प्रशिक्षण केन्द्र खुलने वाले हैं उनमें नाविकों के बच्चों को भरती किया जाय।	
५—बाढ़ में काम करने वाले नाविकों को २ रु० प्रति दिन के हिसाब से दिया जाय तथा जिनकी नाव काम में लाई जाती हो उनको ४ रु० प्रति नाव प्रति दिन किराया भी दिया जाय।	५—जिलाधीश, जौनपुर, को इस मांग पर आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।
६—जिले के सहकारी मत्स्य विभाग के नाविकों को ७५ प्रतिशत स्थान दिया जाय जो सुरक्षित हों।	६—सूचना एकत्र की जा रही है।
७—मछली बाजार में लगने वाला २ आना प्रति रुपया टैक्स घटाकर पहले के एक पैसा प्रति रुपया टैक्स के समान किया जाय।	७—जिलाधीश, जौनपुर, ने सूचित किया कि इस मांग के बारे में म्युनिसिपल बोर्ड, जौनपुर से वह सम्पर्क कर रहे हैं।
८—भागीरथी नदी जो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता जाती है, गहरी की जाय जिससे नाविकों को यातायात में सुविधा हो।	८—गंगा नदी तथा और नदियों पर यातायात को उन्नत करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने गंगा-ब्रह्मपुत्र वाटर ट्रांसपोर्ट बोर्ड की

स्थापना की है। संघ की यह मांग उस बोर्ड के पास राज्य सरकार ने भेजी। उनका उत्तर प्राप्त होने पर जिलाधीश, जौनपुर को सूचित कर दिया गया था कि यह काम वर्तमान आर्थिक स्थिति और प्राविधिक कठिनाइयों के कारण फिलहाल करना संभव नहीं है। इसकी सूचना जिलाधीश को फरवरी, १९५८ में दे दी गई।

९—नाविक जल मजदूरों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाय तथा छात्रवृत्ति दी जाय।

९—सूचना एकत्र की जा रही है।

१०—गंग बरार और गंग पेटे की भूमि पर मल्लाहों को स्वामित्व दिया जाय।

१०—सूचना एकत्र की जा रही है।

११—नाविकों को आर्थिक सहायता दी जाय।

११—प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है। जिलाधीश से सुझाव मांगे गये थे जो सरकार को अभी प्राप्त नहीं हुये हैं।

१२—जिन नाविकों के मकान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुये हैं उन्हें आर्थिक सहायता दी जाय।

१२—जिलाधीश, जौनपुर ने सूचित किया था कि इस मांग पर वह कार्यवाही करेंगे।

विधान सभा सदस्य

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३२ पर)

गांव पंचायतों की सूची जहां पर कोरम से भी सदस्य कम हैं ।

क्रम-संख्या	नाम गांव पंचायत	चुने गये सदस्यों की संख्या	निर्धारित सदस्यों की संख्या	विवरण
१	डकौली	..	४	१५
२	हरियावर	..	..	२०
३	लखनापुर	..	४	१५
४	सादुल्लापुर	..	२	१५
५	सेलापुर	..	१	१५
६	राजेपुर	..	३	१५
७	तमोरिया खुर्द	..	३	१५
८	भिक्खनपुर गोपालपुर	..	..	१५
९	बिराईचमऊ	..	४	१५
१०	सराय-कटियान	..	४	१५
११	गौरीशंकरपुर ग्रंट	..	४	१५
१२	अनूपपुर	..	१	१५
१३	टिकरापदमरा	..	१	१५
१४	टिकरीगनेश	..	२	१५
१५	बैरागर	..	..	१५
१६	बड़हमीरपुर	..	३	१५
१७	कुलहाबगहा	..	..	१५
१८	बदरका हरबंश	..	..	१५
१९	घोतीरीतापुर	..	..	१५
२०	सिगरौसी	..	४	१५
२१	अलग नगढ़	..	३	१५
२२	अटावा मोहतालवसिया	..	३	१५
२३	शेरपुर खुर्द	..	३	१५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३३ पर)

फैजाबाद जिले की विभिन्न तहसीलों में खुली हुई दुकानों की संख्या तथा प्रत्येक दूकान की स्थिति की तालिका

क्रम-संख्या	नगर या तहसील	खुली दुकानों की संख्या	दूकान की स्थिति
१	फैजाबाद व अयोध्या नगर	१०	(१) रकाबगंज, (२) सिविल लाइन्स, (३) कंधारी बाजार, (४) हैदरगंज, (५) दालमंडी, (६) देहली दरवाजा, (७) साहबगंज रथ हवेली, (८) लालबाग, (९) रायगंज सिगरहाल, (१०) रामकोट अयोध्या ।
२	फैजाबाद तहसील	१	(१) गोसाईगंज ।
३	बीकापुर		(१) मिल्कीपुर, (२) हरिगटनगंज, (३) खपराडीह
४	अकबरपुर	९	(१) शहजादपुर, (२) अकबरपुर, (३) मिटी, (४) जलालपुर, (५) मालीपुर, (६) बुरयावन, (७) रामपुर सकरवारी, (८) कटेहरी, (९) बुल्हूपुर ।
५	टांडा	१२	(१) सकरावल, (२) हयातगंज, (३) शुकुल बाजार, (४) बसखारी, (५) इलतिफातगंज, (६) रामनगर, (७) मन्दरमऊ, (८) खमरियाघाट, (९) सुरहरपुर, (१०) मकदूमनगर, (११) हजलापुर, (१२) जहांगीरगंज ।
	योग ..	३५	

उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ १३५ पर)

सूची

	संख्या	वेतन
१ डेली लेबर (मजदूर) लगभग	७५६	१ रु० से २५ नये पैसे प्रति दिन तक।
२ जमादार (मेट)	८३	१ रु० १९ नये पैसे से १ रु० ५० नये पैसे प्रति दिन तक।
३ वर्क सुपरवाइजर	१२	८८ रु० से १२५ रु० प्रति मास तक।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०-ए० पी०—१३९ एल० ए०—१९५८-८३७।